A civilization can be judged by the way it treats its minorities

-Mahatma Gandhi

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित। 2014
PRINTED BY THE DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD. 2014

www.dop.nic.in

भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त
COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES

पचासवाँ प्रतिवेदन
Fiftieth Report

(जुलाई 2012 से जून 2013)
(July 2012 to June 2013)

सत्यमेव जयते

भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त
COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
Ministry of Minority Affairs

भारत सरकार
Government of India

50वाँ प्रतिवेदन
50th Report

(जुलाई 2012 से जून 2013)
(July 2012 to June 2013)

भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों

के

आयुक्त

का

पचासवाँ प्रतिवेदन

(जुलाई 2012 से जून 2013)

www.nclm.nic.in

सत्यमेव जयते

संख्या/No.CLM REPORT/50/2014

आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
Commissioner for Linguistic Minorities
Ministry of Minority Affairs
Government of India

101, प्रथम तल, पर्यावरण भवन,
सी०जी०ओ० कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
टेलीफोन: 011-24368380

101, 1st Floor, Paryavaran
Bhawan, C.G.O. Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003
Telephone: 011-24368380

दिनांक/Dated: 16.7.2014

सेवा में,

भारत के महामहिम राष्ट्रपति

द्वारा : माननीया मंत्री, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

महोदय,

मैं आपको, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ख(2) के अनुपालन में, जुलाई 2012 से जून 2013 की अवधि का 50वाँ प्रतिवेदन, सादर प्रस्तुत करता हूं। प्रस्तुत प्रतिवेदन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदत्त संवैधानिक और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सुरक्षणों की योजना के कार्यान्वयन के संबंध में मेरी विस्तृत प्रश्नावली के उत्तर से एकत्रित एवं आमेलित सूचनाओं के विश्लेषण तथा विभिन्न भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ मेरी हुई चर्चाओं पर आधारित है।

प्रतिवेदन में निष्कर्षों और सिफारिशों को अभिलेखबद्ध किया गया है जिन पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यथोचित कार्रवाई करनी है।

निवेदन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 350ख (2) के अनुपालन में इस प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत किया जाए।

अथाह आदर के साथ,

भवदीय,

(प्रो० अख़्तरूल वासे)
भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त

विषय सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	01–03
उत्तरी अंचल		
2.	चण्डीगढ	04–08
3.	दिल्ली	09–10
4.	हरियाणा	11–12
5.	हिमाचल प्रदेश	13–17
6.	जम्मू और कश्मीर	18–19
7.	पंजाब	20–21
8.	राजस्थान	22–26
केन्द्रीय अंचल		
9.	बिहार	27–28
10.	छत्तीसगढ	29–34
11.	झारखण्ड	35–36
12.	मध्य प्रदेश	37–42
13.	उत्तराखण्ड	43–44
14.	उत्तर प्रदेश	45–51
पूर्वी अंचल		
15.	अरूणाचल प्रदेश	52–53
16.	असम	54–55
17.	मणिपुर	56–60
18.	मेघालय	61–66
19.	मिजोरम	67–71
20.	नागालैण्ड	72–78
21.	उड़ीसा	79–83
22.	सिक्किम	84–89
23.	त्रिपुरा	90–94
24.	पश्चिम बंगाल	95–103
पश्चिमी अंचल		
25.	दादरा और नगर हवेली	104–108
26.	दमन और दीव	109–112
27.	गोवा	113–117
28.	गुजरात	118–122
29.	कर्नाटक	123–129
30.	महाराष्ट्र	130–137
दक्षिणी अंचल		
31.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	138–143
32.	आंध्र प्रदेश	144–145
33.	केरल	146–152
34.	लक्षद्वीप	153–154
35.	पुदुचेरी	155–161
36.	तमिलनाडु	162–172
37.	सिफारिशें	173–180
38.	परिशिष्ट	181–227

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट	शीर्षक	पृष्ठ
I	भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त	181–183
II	भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षण	184–186
III	आयुक्त के 50वें प्रतिवेदन की प्रश्नावली	187–198
IV	प्रांतीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकृत संकल्प (अगस्त 1949, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित)	199
V	भारत सरकार का 1956 का ज्ञापन	200–204
VI	भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षणों के लिए 1959 में हुई दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की मंत्री–स्तरीय समिति	205–216
VII	अगस्त, 1961 में राज्यों के मुख्य मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों की बैठक	217–222
VIII	क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्षों की पहली बैठक (नवंबर 1961)	223–227

प्रस्तावना

1.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 क के अंतर्गत मुझे दिनांक 4 मार्च, 2014 को भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त के कर्तव्य और उत्तरदायित्व सौंपे गए जिससे मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। संवैधानिक अधिदेश के अनुसरण में मुझे जुलाई 2012 से जून 2013 तक की अवधि की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त संगठन के सन 1957 में अस्तित्व में आने के बाद से यह 50वीं रिपोर्ट है।

प्रो० अख़्तरूल वासे भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त
के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हुए

1.2 विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में एक, भारत विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं की बेहतरीन पच्चीकारी प्रस्तुत करता है। शताब्दियों–पुराने हमारे बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक लोकाचार ने देश को एक खूबसूरत मोती के माले में पिरोए धागे की तरह मिलाकर एकजुट कर रखा है जिससे हमारे देश में विविधता में एकता परिलक्षित होती है। यह विविधता देश के भिन्न–भिन्न भागों में लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के समूह में विशिष्ट रूप से

प्रदर्शित होती है। चूंकि भाषा एक एकीकारी एवं योजक कारक है, इसलिए यह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न भाग है।

1.3 समावेशी विकास, राष्ट्रीय अखण्डता तथा शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत में व्याप्त भाषाई विविधता में सौहार्दपूर्ण सामंजस्य स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि हमें मालूम है कि हमारा समाज, जो कि बहुभाषी है, की भारत में एकजुटता तथा सौहार्दपूर्ण माहौल सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः भिन्न–भिन्न भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों को प्रभावी ढ़ग से लागू करना तथा समान अवसर प्रदान करना आवश्यक है ताकि देश में समावेशी विकास को मूर्त रूप दिया जा सके।

1.4 हालांकि राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता को भलीभांति समझते हैं, फिर भी कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इन प्रयासों में तेजी लाए जाने तथा इस रिपोर्ट के निष्कर्षों एवं सिफारिशों के अनुरूप सुप्रवाही बनाए जाने की आवश्यकता है।

भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त प्रो० अख़्तरूल वासे माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, डॉ० नजमा हेपतुल्ला सम्मान्य मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने के दौरान अभिवादन करते हुए, डॉ० ललित के० पनवर, सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भी अन्य अधिकारियों के साथ मौजूद

1.5 हाल ही में मैंने भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करने हेतु लखनऊ, उत्तर प्रदेश का मार्च, 2014 में दौरा किया। इसका मकसद राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों की स्थिति तथा उनके समक्ष आने वाली विशिष्ट कठिनाईयों से अपने–आप को अवगत करना था। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा प्राधिकारियों के साथ भी बैठक की तथा भाषाई अल्पसंख्यकों की वास्तविक एवं अनुभूत कठिनाईयों के बारे में उनसे बातचीत की ताकि

आवश्यक सुधारक एवं उपचारी उपाय किए जाएं। राज्य सरकार के समक्ष आने वाली अड़चनों से भी मुझे अवगत कराया गया।

1.6 विभिन्न भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधियों तथा मंडल आयुक्त, इलाहाबाद के साथ हुई मेरी मुलाकात के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित कतिपय ज्वलंत विषय मेरी जानकारी में लाए गए। ये विषय मुख्यतः भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को अनुच्छेद 350 क के तहत यथा उपबंधित शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की सुविधाओं तथा अल्पसंख्यकों को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत यथा उपबंधित उनकी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित तथा प्रशासित करने के उनके अधिकार से संबंधित थे। साथ ही, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थाओ को भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा देने से संबंधित विषय–वस्तु जो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आती है, भी मेरी जानकारी में लाई गई। मैंने उन्हें भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त को प्रदत्त संवैधानिक अधिदेश की सीमाओं में रहते हुए इन मुद्दों को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उठाने का आश्वासन दिया।

प्रो० अख़्तरूल वासे इलाहाबाद में उर्दू भाषाभाषियों
के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए

1.7 इस रिपोर्ट में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित निष्कर्ष एवं सिफारिशें दर्ज की गई हैं। मुझे दृढ़ विश्वास है कि यह रिपोर्ट भाषाई अल्पसंख्यकों को समान अवसर उपलब्ध कराने तथा उनके रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में सार्थक सिद्ध होगी।

1.8 मैं भारत सरकार, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को संविधान के तहत मुझे अपने कर्तव्यों को पूरा करने में उनके सहयोग के लिए शुक्रिया अदा करते हुए गर्वित महसूस करता हूं। कार्यालय के सभी सदस्य भी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने रिपोर्ट पूरा करने में अथक मेहनत की।

प्रो० अख़्तरूल वासे
भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त

चंडीगढ़ 2

भाषाई रूपरेखा

2.1 जनगणना–2001 के अनुसार चंडीगढ संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या 9,00,635 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् हैः

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
हिंदी	6,08,218	67.53
पंजाबी	2,51,224	27.89
उर्दू	7,254	0.81
तमिल	5,716	0.63

2.2 **संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा :** संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन ने सूचना दी है कि इसकी राजभाषा अंग्रेजी है तथा चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा कोई राजभाषा अधिनियम नहीं बनाया गया है।

भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् है :

2.3 संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा सूचना दी गई है कि अल्पसंख्यक भाषाओं में महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, आदेशों एवं अधिसूचनाओं इत्यादि के अनुवाद एवं प्रचार–प्रसार की कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि, प्रशासन ने अनुदेश जारी किए हैं कि पत्राचार का उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं सहित उसी भाषा में दिया जाए जिसमें वे प्राप्त हों।

2.4 संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती

क. सूचना दी गई है कि चंडीगढ प्रशासन द्वारा बनाई गई भर्ती नियमावली में संघ राज्य क्षेत्र की क्षेत्रीय/राजभाषा में प्रवीणता प्राप्त करने से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है।

ख. संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती के लिए भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में देने की अनुमति नहीं है।

ग. संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती के समय कोई अधिवासीय प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं।

2.5 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता

सूचना दी गई है कि प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के लिए पंजाब शिक्षा संहिता के तहत यथा उपबंधित "मान्यता प्रदान करने के नियम" इस संघ राज्य क्षेत्र में लागू हैं। कोई अलग नियम नहीं बनाए गए हैं क्योंकि विभाग को किसी भाषाई अल्पसंख्यक संस्था से कभी भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। मान्यता प्रदान करने के लिए, डीपीआई (एस) मिडिल स्कूलों तक मान्यता देने हेतु सक्षम है।

2.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान संस्वीकृत करने के लिए नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

2.7 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषा पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
पंजाबी	54	968	53

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर एक विषय के रूप में अल्पसंख्यक भाषा पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
पंजाबी	106	61,939	160

2.8 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषा पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
पंजाबी	47	582	105

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर एक विषय के रूप में अल्पसंख्यक भाषा की शिक्षा की सुविधा का ब्योरा निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
पंजाबी	99	40,346	96

2.9 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10)

क. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषा पढ़ने की सुविधा का ब्योरा निम्नवत् है :

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
पंजाबी	38	2,349	61

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर एक विषय के रूप में अल्पसंख्यक भाषा की शिक्षा की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
पंजाबी	86	6,740	73

2.10 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

क. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषा पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है :

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
पंजाबी	15	23	10

ख. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में अल्पसंख्यक भाषा पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
पंजाबी	29	1,037	29

2.11 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएं निम्नलिखित हैं:

प्रथम भाषा : हिंदी/पंजाबी
द्वितीय भाषा : पंजाबी/हिंदी
तृतीय भाषा : अंग्रेजी

ख. कक्षा 8 में पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी सीख रहे विद्यार्थियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

भाषा	विद्यालय
पंजाबी	18,143
हिंदी	18,143
अंग्रेजी	18,143

2.12 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. शिक्षा के एक विषय तथा एक माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षण के लिए शिक्षकों के स्वीकृत पदों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

भाषा	माध्यम		विषय	
	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	स्वीकृत पद	भरे हुए पद
पंजाबी	सूचना नहीं दी गई है		169	160

ख. राज्य शिक्षा संस्थान (स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन) को अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण संस्थान के रूप में बताया गया है।

प्रशिक्षण संस्थान	अल्पसंख्यक भाषा	
	पढ़ाई के माध्यम के रूप में	विषय के रूप में
राज्य शिक्षण संस्थान	हां	हां

2.13 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

यह सूचित किया गया है कि राज्य शिक्षा संस्थान, चंडीगढ़ द्वारा पाठ्य–पुस्तकों का अनुवाद हिंदी से पंजाबी में किया जाता है। ये पुस्तकें पंजाब विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रतियोगी/इमदादी दरों पर, उपलब्ध कराई जाती हैं।

2.14 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

सूचना दी गई है कि भाषाई वरीयता' पंजियों का रख–रखाव संघ राज्य क्षेत्र के स्कूलों में नहीं किया जाता है।

2.15 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन और विकास के लिए कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषाओं के संर्वधन एवं विकास के लिए अकादमियों के बारे में भी कोई सूचना नहीं दी गई है।

2.16 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

सूचना दी गई है समाज कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। उपायुक्त एवं संयुक्त सचिव (गृह) डी०पी०आई०(सी), डी०पी०आई०(एस) और डी०एस०डब्ल्यू०, चंडीगढ़ प्रशासन इस समिति के सदस्य हैं। फिर भी, संदर्भाधीन अवधि के दौरान आयोजित बैठकों के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है। यह भी सूचना दी गई है कि चंडीगढ प्रशासन ने भारत सरकार, से संघ राज्य क्षेत्र क्षेत्र चंडीगढ़ को पृथक अल्पसंख्यक आयोग के गठन से मुक्त रखे जाने हेतु अनुरोध किया है।

2.17 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

सूचना दी गई है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने भारत के संविधान में भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए यथा निर्धारित रक्षोपायों को लागू करने के लिए बहुत से निर्णय लिए हैं, और संबंधित विभागों से यह अनुरोध किया गया है कि वे इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। यह भी सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों का समन्वय करने के लिए निदेशक समाज कल्याण को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है तथा इस अवधि के दौरान कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

2.18 निष्कर्ष / संस्तुतियां

क. संघ राज्य क्षेत्र में जनसंख्या के 60% से अधिक लोग हिंदी भाषी हैं। अतः संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को हिंदी को संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ की अतिरिक्त राजभाषा घोषित करने पर विचार करना चाहिए।

ख. संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को संघ राज्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, अधिसूचनाओं तथा शासनादेशों इत्यादि का अंग्रेजी के अलावा हिंदी और पंजाबी भाषाओं में अनुवाद और प्रचार–प्रसार करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

ग. संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में, जहां कहीं अपेक्षित हों, अभ्यावेदन की प्राप्ति और उनके उत्तर संबंधित भाषा में देना भी सुनिश्चित करना चाहिए।

घ. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सिविल सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अल्पसंख्यक भाषाओं के प्रयोग के बारे में, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विस्तृत जानकारी प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।

ड. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध रक्षोपायों / सुविधाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करने की सलाह दी जाती है।

च. संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने हेतु संधशासित क्षेत्र स्तरीय कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठकें आयोजित करने की सलाह दी जाती है।

छ. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन चंडीगढ़ के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का निर्धारित तारीख तक, प्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे कि, संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत की जा सके।

2.20 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, चंडीगढ़, से अनुरोध है कि आवश्यक उपचारी कदम उठाएं, जिससे कि, संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी रूप से तथा कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा सके।

दिल्ली 3

भाषाई रूपरेखा

3.1 जनगणना–2001 के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या 13,850,507 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नलिखित है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
हिन्दी	1,12,10,843	80.94
पंजाबी	9,88,980	7.14
उर्दू	8,74,333	6.31
बंगाली	2,08,414	1.50

3.2 क. **दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की राजभाषा** : दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की राजभाषा हिन्दी है।

क. **अतिरिक्त राजभाषा** : उर्दू एवं पंजाबी को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अतिरिक्त राजभाषा घोषित किया गया है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

3.3 यह चिंता का विषय है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने आयुक्त द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350बी (2) में शामिल संवैधानिक अधिदेश के अनुसरण में प्रेषित पत्रों का उत्तर नहीं दिया है।

3.4 भारत के महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष इस रिपोर्ट की प्रस्तुति करने के लिए इसे अंतिम रूप देने तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

3.5 संस्तुतियां

क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की तथ्यपरक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है।

ख. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं की स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं से सम्बन्धित समुचित नीति बनाने की आवश्यकता है।

ग. जिन जिला/तहसील/तालुका/नगर–पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा, भाषाई

अल्पसंख्यकों के हितार्थ, नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

घ. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ड़. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

च. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा विस्तृत सूचना प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।

छ. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास हेतु प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य में, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की अकादमियों की स्थापना की जानी चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।

ज. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई प्राथमिकता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षण देने हेतु अन्तर–विद्यालयीन समायोजन को सुगम बनाया जा सके।

झ. उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू किया जाना चाहिए।

ञ. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "उच्च स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है।

ट. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावली के व्यापक एवं समेकित उत्तर प्रस्तुत किए जाएं ताकि संवैधानिक प्राधिकारी समय पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकें।

3.6 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से आग्रह है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी रूप से तथा कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा सके।

हरियाणा 4

भाषाई रूपरेखा

4.1 जनगणना–2001 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या 2,11,44,564 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
हिंदी	1,84,60,843	87.31
पंजाबी	22,34,626	10.57
उर्दू	2,60,687	1.23
बंगाली	39,199	0.19
नेपाली	20,362	0.10

4.2 **राज्य की राजभाषा** : राज्य की राजभाषा हिन्दी है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

4.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार ने आयुक्त द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350बी (2) में शामिल संवैधानिक अधिदेश के अनुसरण में प्रेषित पत्रों का उत्तर नहीं दिया है।

4.4 महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष इस रिपोर्ट की प्रस्तुति करने के लिए इसे अंतिम रूप देने तक राज्य सरकार से कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

4.5 संस्तुतियां

क. राज्य सरकार से प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की तथ्यपरक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है।

ख. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं की स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं से सम्बन्धित समुचित नीति बनाने की आवश्यकता है।

ग. जिन जिला/तहसील/तालुका/नगर–पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

घ. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ड़. राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

च. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत सूचना प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।

छ. राज्य में, अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास हेतु प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य में, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की अकादमियों की स्थापना की जानी चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।

ज. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई प्राथमिकता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षण देने हेतु अन्तर–विद्यालयीन समायोजन को सुगम बनाया जा सके।

झ. उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार को व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू किया जाना चाहिए।

ञ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

ट. राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावली के व्यापक एवं समेकित उत्तर प्रस्तुत किए जाएं ताकि संवैधानिक प्राधिकारी समय पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकें।

4.6 राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी रूप से तथा कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा सके।

हिमाचल प्रदेश 5

भाषाई रूपरेखा

5.1 जनगणना–2001 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 60,77,900 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
हिंदी	54,09,758	89.01
पंजाबी	3,64,175	5.99
नेपाली	70,272	1.16
किन्नौरी	64,293	1.06

5.2 क. **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा हिंदी है।

ख. **अतिरिक्त राजभाषा :** ऐसा बताया गया है कि राज्य की विधायिका के कार्य–संपादन के लिए राज्य की राजभाषा हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है।

ग. बताया गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक भाषा जिले की 60% या अधिक जनसंख्या द्वारा नहीं बोली जाती है। यह भी बताया गया है कि ऐसा कोई जिला/तहसील/तालुका/नगरपालिका नहीं है जहां की जनसंख्या के 15% या अधिक द्वारा अल्पसंख्यक भाषा बोली जाती है। तथापि, बताया गया है कि लाहौल, स्फीती तथा पांगी के कुछ क्षेत्रों में भोटी भाषा बोली जाती है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत है:

5.3 राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

क. सूचना दी गई है कि सभी महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों तथा नोटिस इत्यादि का प्रकाशन हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में ही किया जा रहा है।

ख. बताया गया है कि शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषा में अभ्यावेदनों की प्राप्ति या संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में उत्तर प्रेषित करने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है जबकि सामान्यतः अभ्यावेदनों के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में ही दिये जाते हैं।

5.4 राज्य सेवाओं में भर्ती

क. सूचना दी गई है कि राज्य सेवाओं में भर्ती हेतु क्षेत्रीय/राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित है।

ख. यह भी सूचित किया गया है कि राज्य की सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षा में प्रश्न–पत्रों के उत्तर लिखने का माध्यम केवल हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा है।

ग. राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए अधिवासीय प्रतिबंधों के संबंध में बताया गया है कि अभ्यर्थी को राज्य का वास्तविक निवासी अवश्य ही होना चाहिए।

5.5 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

क. भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने वाले पदनामित सक्षम प्राधिकारी तथा तत्संबंधी नियमों और विनियमों/दिशानिर्देशों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख. 30 जून, 2013 तक भाषावार मान्यता प्रदान की गई भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ग. भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने हेतु भाषाई अल्पसंख्यको से प्राप्त अभ्यावेदनों/शिकायतों/याचिकाओं के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

5.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

ऐसा बताया गया है कि शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान की संस्वीकृति के संबंध में ऐसे कोई नियम/विनियम नहीं बनाए/अधिसूचित किए गए हैं।

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

5.7 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)

ऐसा बताया गया है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, शिक्षण का एकमात्र माध्यम हिंदी है।

5.8 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा के संबंध में कोई सूचना नहीं प्रदान की गई है। तथापि, बताया गया है कि शिक्षण के उच्च प्राथमिक स्तर पर भोटी को एक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है जिसका विवरण निम्नवत है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
भोटी	45	1,015	45

5.9 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)

शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम या विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

5.10 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम या विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

5.11. त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएँ निम्नलिखित हैं:

प्रथम भाषा	:	हिंदी
द्वितीय भाषा	:	अंग्रेजी
तृतीय भाषा	:	संस्कृत

ख. कक्षा 8, 10 और 12 में त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शामिल छात्रों का कोई विवरण नहीं दिया गया है :

5.12 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम और एक विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नवत है:

भाषा	माध्यम		विषय	
	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	स्वीकृत पद	भरे हुए पद
उर्दू	100	34	100	34
पंजाबी	100	72	100	72
भोटी	45	45	45	45

ख. बताया गया है कि उर्दू को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने के लिए उर्दू शिक्षकों को, उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र, सोलन में प्रशिक्षित किया जाता है। अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु पड़ोसी राज्यों से कोई परस्पर सहयोग/व्यवस्था नहीं है।

प्रशिक्षण संस्थान	अल्पसंख्यक भाषा	
	माध्यम के रूप में	विषय के रूप में
उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र सोलन, हिमाचल प्रदेश	उर्दू	उर्दू

5.13 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

क. भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को अल्पसंख्यक भाषा में पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री शैक्षणिक सत्र की शुरूआत में ही उपलब्ध कराने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख. राज्य सरकार ने भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री का प्रापण करने के लिए अभिकरणों/अन्तर–राज्य व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

ग. सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री कम प्रतियोगी दरों पर उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था नहीं है।

5.14 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

विद्यालयों में भाषाई वरीयता पंजियों के रख–रखाव के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

5.15 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

क. पंजाबी एवं उर्दू को विषयों के रूप में राज्य के सौ (100) स्कूलों में शामिल किया गया है।

ख. अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन हेतु राज्य में कोई भाषाई अकादमी नहीं है। तथापि, उर्दू भाषा के संवर्धन एवं विकास के लिए सोलन में उर्दू शिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र विद्यमान है।

भाषा	संस्था का नाम	कब स्थापित हुई	वर्ष 2013–14 हेतु बजट
उर्दू	उर्दू शिक्षण और अनुसंधान केन्द्र, सप्रून, सोलन, हिमाचल प्रदेश	1973	मनव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत संचालित

5.16 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

राज्य/जिला स्तरों पर समिति के गठन के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

5.17 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

राज्य सरकार ने संवैधानिक अधिकारों तथा रक्षोपायों के प्रचार–प्रसार के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है।

5.18 निष्कर्ष/संस्तुतियां

क. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, नियमों, विनियमों, सूचनाओं आदि का प्रासंगिक अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित करना चाहिए।

ख. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को प्राप्त करने और उन्हीं भाषाओं में उनके उत्तर देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

ग. राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता और सहायता–अनुदान की स्वीकृति संबंधी संवैधानिक उपबंध के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है।

घ. राज्य सरकार को भर्ती के समय राज्य की क्षेत्रीय/राजभाषा के पूर्व ज्ञान पर जोर नहीं देना चाहिए और न ही राज्य सेवाओं में भर्ती हेतु अधिवासीय प्रतिबंध लगाना चाहिए।

ड. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर उपलब्ध शिक्षा संबंधी सुविधाओं के बारे में विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी चाहिए।

च. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षकों के पदों तथा अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षण हेतु उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

छ. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार से सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करने का आग्रह किया जाता है ताकि राज्य में मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने हेतु अन्तर–विद्यालय समायोजन को सुसाध्य बनाया जा सके।

ज. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यको के लिए उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति राज्य में उनमें जागरूकता के प्रसार हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू करना चाहिए।

झ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने हेतु राज्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिला स्तर पर भी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जानी चाहिए ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

ञ. हिमाचल प्रदेश सरकार के नोडल अधिकारी को, आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत व समेकित प्रत्युत्तर का समय पर प्रेषण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे की संवैधानिक प्राधिकारी समय पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर पेश कर सके।

5.19 हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक उपचारी उपाय करें, जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का राज्य में प्रभावी तथा सक्षमतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

जम्मू और कश्मीर 6

भाषाई रूपरेखा

6.1 जनगणना–2001 के अनुसार जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या 1,01,43,700 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशत
कश्मीरी	54,25,733	53.49
डोगरी	22.05,560	21.74
हिन्दी	18,70,264	18.44
पंजाबी	1,90,675	1.88
लद्दाखी	1,01,466	1.00

6.2 **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा उर्दू है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

6.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार ने आयुक्त द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350बी (2) में शामिल संवैधानिक अधिदेश के अनुसरण में प्रेषित पत्रों का उत्तर नहीं दिया है।

6.4 भारत के महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष इस रिपोर्ट की प्रस्तुति करने के लिए इसे अंतिम रूप देने तक राज्य सरकार से कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

6.5 संस्तुतियां

क. राज्य सरकार से प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की तथ्यपरक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है।

ख. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं की स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं से सम्बन्धित समुचित नीति बनाने की आवश्यकता है।

ग. जिन जिला/तहसील/तालुका/नगर–पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15% या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

घ. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ड़. राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

च. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत सूचना प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।

छ. राज्य में, अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास हेतु प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य में, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की अकादमियों की स्थापना की जानी चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।

ज. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई प्राथमिकता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षण देने हेतु अन्तर–विद्यालयीन समायोजन को सुगम बनाया जा सके।

झ. उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार को व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू किया जाना चाहिए।

ञ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

ट. राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावली के व्यापक एवं समेकित उत्तर प्रस्तुत किए जाएं ताकि संवैधानिक प्राधिकारी समय पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकें।

6.6 जम्मू और कश्मीर सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी रूप से तथा कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा सके।

पंजाब 7

भाषाई रूपरेखा

7.1 जनगणना–2001 के अनुसार पंजाब की जनसंख्या 2,43,58,999 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
पंजाबी	2,23,34,369	91.69
हिंदी	18,51,128	7.60
उर्दू	27,660	0.11
बंगाली	206,55	0.08
नेपाली	19,778	0.08

7.2 **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा पंजाबी (गुरूमुखी लिपि में) है।

7.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार ने आयुक्त द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350बी (2) में शामिल संवैधानिक अधिदेश के अनुसरण में प्रेषित पत्रों का उत्तर नहीं दिया है।

7.4 भारत के महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष इस रिपोर्ट की प्रस्तुति करने के लिए इसे अंतिम रूप देने तक राज्य सरकार से कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

7.5 संस्तुतियां

क. राज्य सरकार से प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की तथ्यपरक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है।

ख. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं की स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं से सम्बन्धित समुचित नीति बनाने की आवश्यकता है।

ग. जिन जिला/तहसील/तालुका/नगर–पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

घ. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ड़. राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

च. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत सूचना प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।

छ. राज्य में, अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास हेतु प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य में, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की अकादमियों की स्थापना की जानी चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।

ज. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई प्राथमिकता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षण देने हेतु अन्तर–विद्यालयीन समायोजन को सुगम बनाया जा सके।

झ. उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार को व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू किया जाना चाहिए।

ञ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

ट. पंजाब सरकार के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावली के व्यापक एवं समेकित उत्तर प्रस्तुत किए जाएं ताकि संवैधानिक प्राधिकारी समय पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकें।

7.6 राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी रूप से तथा कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा सके।

राजस्थान 8

भाषाई रूपरेखा

8.1 जनगणना–2001 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 5,65,07,188 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है :

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
हिन्दी	5,14,07,216	90.97
भीली	26,00,933	4.60
पंजाबी	11,41,200	2.01
उर्दू	6,62,983	1.17

8.2 क. **राज्य की राजभाषा** : राज्य की राजभाषा हिन्दी है।

ख. **अतिरिक्त राजभाषा** : हिंदी के साथ अंग्रेजी को अतिरिक्त राजभाषा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् है :

8.3 राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

क. अल्पसंख्यक भाषाओं में महत्वपूर्ण नियमों/ विनियमों तथा सूचनाओं इत्यादि के अनुवाद व प्रकाशन के बारे में कोई सूचना नहीं प्रदान की गई है।

ख. राज्य सरकार ने शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में, अभ्यावेदनों को स्वीकार करने और उन्ही भाषाओं में उत्तर देने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है।

8.4 राज्य सेवाओं में भर्ती

क. सूचना दी गई है कि राज्य सेवाओं की भर्ती में पूर्वापेक्षा के रूप में राजभाषा की जानकारी के बारे में ऐसे कोई प्रावधान नहीं हैं।

ख. यह भी बताया गया है कि राज्य की सेवाओं में भर्ती हेतु भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में देने की अनुमति नहीं है।

ग. सूचित किया जाता है कि राज्य की सेवाओं में भर्ती के लिए कोई अधिवासीय प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं।

8.5 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं का मान्यता

सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने के लिए निदेशक, अल्पसंख्यक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार, सक्षम प्राधिकारी हैं। तथापि 30 जून, 2013 तक भाषावार मान्यताप्राप्त भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। 30 जून, 2013 तक भााषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के रूप में मान्यता हेतु कोई आवेदन लम्बित नहीं बताया गया है।

8.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

क. सूचित किया गया है कि राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक कार्य विभाग के निदेशक भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान देने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।

ख. वर्ष 2012–13 के लिए भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को स्वीकृत सहायता–अनुदान का विवरण निम्नवत है :

स्तर	विद्यालयों की संख्या	अल्पसंख्यक भाषा
प्राथमिक	3548 मदरसा	उर्दू
उच्च प्राथमिक	279 मदरसा	उर्दू

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

8.7 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, शिक्षण के माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू	17	2,274	29
सिन्धी	03	50	04

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू	3,548	2,41,404	4,468 संविदा पर
उर्दू	171	13,311	82
सिन्धी	10	832	14

8.8 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू	14	1,441	32
सिन्धी	05	86	22

ख. उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू	279 मदरसा	9,596	825 संविदा पर
उर्दू	867	88,926	585
सिन्धी	12	1,014	18
पंजाबी	806	42,827	806

8.9 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)

क. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाए जाने के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।

ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू	347	21,600	469
पंजाबी	68	15,406	47
सिन्धी	25	695	35
गुजराती	10	648	10

8.10 उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

उच्च माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को माध्यम एवं एक विषय के रूप में पढ़ाये जाने से संबंधित कोई सूचना नहीं प्रदान की गई है।

8.11 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएँ इस प्रकार हैंः

प्रथम भाषा : हिंदी
द्वितीय भाषा : अंग्रेजी
तृतीय भाषा : उर्दू/सिंधी/पंजाबी/संस्कृत/गुजराती

ख. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शामिल कक्षा 8, 10 और 12 के छात्रों का विवरण निम्नवत हैः

भाषा	कक्षा 8	कक्षा 10	कक्षा 12
उर्दू	36,804	7,684	1,640
सिंधी	581	190	82
पंजाबी	48,022	7,011	996
संस्कृत	11,30,430	—	—
गुजराती	—	229	109

8.12 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. उर्दू भाषा के शिक्षकों के लिए स्वीकृत पदों का विवरण निम्नवत् हैः

भाषा	माध्यम के रूप में		विषय के रूप में	
	स्वीकृत	भरे हुए	स्वीकृत	भरे हुए
उर्दू	8,619	5,293	–	–

ख. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय तथा माध्यम के रूप में पढ़ाए जाने हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए पड़ोसी राज्यों से कोई सहयोग नहीं लिया जा रहा है।

8.13 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकं

क. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, राजस्थान पाठ्य–पुस्तक मण्डल, जयपुर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर तथा राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य–पुस्तकों को तैयार और प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी अभिकरण है।

ख. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा के छात्रों को पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री शैक्षणिक सामग्री शैक्षणिक सत्र की शुरूआत के समय मुफ्त प्रदान की जाती हैं।

8.14 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

जानकारी दी गई है कि भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को उनकी भाषाई वरीयता का पंजीकरण करने के लिए सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियाँ' रखी जा रही हैं। लेकिन, इस संबंध में स्कूलों के कोई आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

8.15 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास हेतु किसी योजना के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन और विकास के लिए स्थापित अकादमियों का विवरण निम्नवत् हैः

भाषा	अकादमी का नाम	कब स्थापित हुई	2012–13 के लिए बजट (रू0 लाख में)
उर्दू	राजस्थान उर्दू अकादमी, जयपुर	1979	98.00
सिंधी	राजस्थान सिंधी अकादमी, जयपुर	1979	21.61

8.16 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

क. भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण और समीक्षा करने के लिए राज्य/जिला स्तर पर गठित तंत्र/समिति के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख. सूचना दी गई है कि जिला स्तर पर, भाषाई अल्पसंख्यकों के मामलों की देख–भाल करने का कार्य प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को सौंपा गया है।

8.17 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

ऐसा बताया गया है कि सभी संबंधित जनपदों के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को भाषाई अल्पसंख्यकों को उन्हें उपलब्ध रक्षोपायों और सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने का कार्य सौंपा जाता है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का ब्यौरा देने वाले कोई पैम्फलेट आदि प्रकाशित नहीं किए गए हैं। तथापि, बताया गया है कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अधिकारियों के लिए आदेश जारी किए गए हैं। यह भी बताया गया है कि महत्वूपर्ण सूचनाएं सूचना–पट्टों पर प्रदर्शित की जाती हैं।

8.18 निष्कर्ष / संस्तुतियां

क. राज्य सरकार को उन क्षेत्रों को अधिसूचित करने की आवश्यकता है जहाँ भाषाई अल्पसंख्यक स्थानीय जनसंख्या के 15% या अधिक हैं।

ख. राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ उन जिला / तहसील / तालुक / नगर–पालिका, जहां भाषाई अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 15% या उससे अधिक है, में नियमों, विनियमों तथा सूचनाओं, आदि का प्रासंगिक अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

ग. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा मे उनके उत्तर देना सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्था की जानी चाहिए।

घ. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षकों के सृजित / स्वीकृत पदों और उनके प्रशिक्षण सुविधाओं का पूर्ण ब्यौरा दिए जाने की आवश्यकता है।

ङ राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति राज्य में उनमें जागरूकता के प्रसार हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू करना चाहिए।

च. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण एवं समीक्षा करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, एक जनपद स्तरीय समिति का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसख्यकों के रक्षोपायों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

छ. राजस्थान सरकार के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी नियत समय में अपनी रिपोर्ट भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर सकें।

8.19 राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त बिंदुओं पर ध्यान दें और आवश्यक उपचारी उपाय करें, जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का राज्य में प्रभावी ढंग से तथा सक्षमतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

बिहार 9

भाषाई रूपरेखा

9.1 जनगणना–2001 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 8,29,98,509 दर्ज की गई तथा इसकी भाषाई रूपरेखा निम्नवत है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
हिन्दी	6,06,35,284	73.06
मैथिली	11,8,30,868	14.25
उर्दू	94,57,548	11.39
बंगाली	4,43,426	0.53

9.2 **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा हिन्दी है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

9.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार ने आयुक्त द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350बी (2) में शामिल संवैधानिक अधिदेश के अनुसरण में प्रेषित पत्रों का उत्तर नहीं दिया है।

9.4 भारत के महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष इस रिपोर्ट की प्रस्तुति करने के लिए इसे अंतिम रूप देने तक राज्य सरकार से कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

9.5 संस्तुतियां

क. राज्य सरकार से प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की तथ्यपरक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है।

ख. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं की स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं से सम्बन्धित समुचित नीति बनाने की आवश्यकता है।

ग. जिन जिला/तहसील/तालुका/नगर–पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

घ. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ड़. राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

च. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत सूचना प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।

छ. राज्य में, अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास हेतु प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य में, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की अकादमियों की स्थापना की जानी चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।

ज. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई प्राथमिकता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षण देने हेतु अन्तर–विद्यालयीन समायोजन को सुगम बनाया जा सके।

झ. उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार को व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू किया जाना चाहिए।

ञ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

ट. राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावली के व्यापक एवं समेकित उत्तर प्रस्तुत किए जाएं ताकि संवैधानिक प्राधिकारी समयय पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकें।

9.6 राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी रूप से तथा कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा सके।

छत्तीसगढ़ 10

भाषाई रूपरेखा

10.1 जनगणना–2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,08,33,803 दर्ज की गई इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
हिन्दी	1,72,10,481	82.61
गोंडी	8,94,806	4.29
उड़िया	8,19,098	3.93
हलाबी	5,44,874	2.62
कुरूख	4,44,008	2.13
बंगाली	2,08,669	1.00

10.2 बताया गया है कि इस राज्य में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां अल्पसंख्यक भाषाएं 60% या अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाती हो। यह भी बताया गया है कि ऐसा कोई जिला/तहसील/तालुका/नगरपालिका नहीं है जहां अल्पसंख्यक भाषाएं 15% या अधिक स्थानीय जनसंख्या द्वारा बोली जाती है।

10.3 **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा हिन्दी है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि में, भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नलिखित है :

10.4 राज्य में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग

क. महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, आदेशों तथा अधिसूचनाओं इत्यादि के अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन की व्यवस्था के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख. शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को प्राप्त करने और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में उत्तर देने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

10.5 राज्य सेवाओं में भर्ती

क. राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषा/राजभाषा की जानकारी की पूर्वापेक्षा के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख. राज्य सरकार ने राज्य सेवाओं की भर्ती परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों का उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में दिए जाने की अनुमति के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है।

ग. राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए अधिवासीय प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

10.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

क. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को मान्यता प्रदान करने का प्राधिकार आयुक्त/निदेशक अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग रायपुर के पास है। किन्तु इस कार्यालय को धार्मिक संस्थानों से ही मान्यता हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। यह भी बताया गया है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता तथा भाषाई अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र प्रदान करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा प्रासंगिक क्रियाविधि का प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के आदेश सं०9096/2007/25–2/आजक दिनांक 11 अक्टूबर, 2007 तथा संशोधित आदेश सं0 एफ–20–57/25–3/2008 आजवि दिनांक 23 जून, 2010 के तहत किया गया है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने के लिए विहित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज को संलग्न किया जाना अपेक्षित हैः

i. फर्म तथा संस्था का पंजीकरण।
ii. नियमावली
iii. आवेदन से पूर्व तीन वर्षों के परीक्षित लेखे तथा वार्षिक रिपोर्ट।
iv. भर्ती नियम–शैक्षणिक/गैर–शैक्षणिक भर्ती नियम, जो भी लागू हो।
v. संस्था की चल, अचल संपत्ति की सूची तथा उनका सत्यापित मूल्यांकन पत्र, पाठ्यक्रम की सूची, शिक्षण/गैर–शिक्षण संकाय की शैक्षणिक अर्हताओं, उनके पद, वेतन एवं अन्य विवरण, मान्यता प्रदान करने वाले संस्थान अर्थात् अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई) का प्रमाण पत्र एवं संबंधन विश्वविद्यालय/बोर्ड का प्रमाण पत्र।
vi. राज्य सरकार द्वारा विहित शुल्क।

ख. बताया गया है कि 30.06.2013 की स्थिति के अनुसार 60 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को पंजीकृत किया गया है। यह भी बताया गया है कि इस अवधि के दौरान मान्यता हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है या लंबित नहीं है।

10.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सहायता–अनुदान

क. प्राथमिक तथा माध्यमिक भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को सहायता अनुदान संस्वीकृत करने के नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों तथा इस प्रयोजनार्थ पदनामित प्राधिकारी के संबंध में कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई है। बताया गया है कि सहायता–अनुदान राज्य सरकार के निर्णयानुसार संस्वीकृत किए जाते हैं।

ख. भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2012–13 में सहायता–अनुदान दिए जाने का विवरण निम्नवत है :

अल्पसंख्यक भाषा	विद्यालयों की संख्या			
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक
उर्दू	05	–	–	03
पंजाबी	02	01	–	01

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

10.8 प्राथमिक स्तर (1 से 5)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधा का विवरण निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू	03	150	16

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के विषय के रूप में अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधा का विवरण निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू	02	150	10
तेलुगु	02	180	11

10.9 उच्च प्राथमिक स्तर (6 से 8)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषाओं के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर एक विषय रूप में अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधा का विवरण निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू	01	135	04

10.10 माध्यमिक स्तर (9 से 10)

शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम या विषय के रूप में अल्पसंख्यक भाषाओं के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

10.11 उच्चतर माध्यमिक स्तर (11 से 12)

क. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषाओं के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधा का विवरण निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू	02	175	07
पंजाबी	01	80	03

10.12 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएँ निम्नवत् हैंः

प्रथम भाषा : विशेष हिंदी/विशेष अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू
द्वितीय भाषा : सामान्य अंग्रेजी/सामान्य हिंदी/ संस्कृत/उर्दू
तृतीय भाषा : उर्दू/सामान्य हिन्दी/संस्कृत/अंग्रेजी

ख. कक्षा 8, 10 एवं 12 में त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शामिल छात्रों के ब्यौरे के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी गई है।

10.13 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. उर्दू को एक विषय और शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के स्वीकृत/सृजित पदों का विवरण :

भाषा	माध्यम के रूप में		विषय के रूप में	
	स्वीकृत	भरे हुए	स्वीकृत	भरे हुए
उर्दू	340	340	–	–

ख. अल्पसंख्यक भाषा को एक माध्यम तथा विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का ब्यौरा निम्नवत् हैः

प्रशिक्षण संस्थान	माध्यम के रूप में	विषय के रूप में
एस०सी०ई०आर०टी०, डी०आई०टी०ई०, बी०आर०सी०जी०	हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू	गणित/पर्यावरण विज्ञान/समाज विज्ञान

ग. अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के आदान–प्रदान के लिए तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र खोलने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग/व्यवस्था के संबंध में बताया गया है कि शिक्षकों को उर्दू भाषा का प्रशिक्षण जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, दिल्ली तथा यू०पी०एस०सी०ई०आर०टी० से प्रदान किया जाता है।

10.14 अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य–पुस्तकें

भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री, मुफ्त में समय से उपलब्ध बताई गई है। अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य–पुस्तकों को तैयार एवं प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी अभिकरण छत्तीसगढ़ स्टेट टेक्स्ट बुक कारपोरेशन है।

10.15 स्कूलो में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

स्कूलों में भाषाई वरीयता के रखरखाव के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई हैं। बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग आंकड़े तैयार करता है।

10.16 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन तथा विकास

क. ऐसा बताया गया है कि उर्दू भाषा के सवंर्धन के लिए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अकादमी गठित की गई है।

ख. अल्पसंख्यक भाषा के संवर्धन और विकास हेतु स्थापित संस्था का विवरण निम्नवत् है:

भाषा	संस्था का नाम	कब स्थापित हुआ	वर्ष 2012–13 हेतु बजट (लाख में)
उर्दू	छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी	01 अक्टूबर 2003	करीब 45.00 लाख सरकार द्वारा बजट दिया जाता है।

10.17 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

क. सूचित किया गया है कि राज्य के प्रत्येक जिले में जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला अल्पसंख्यक कल्याण समिति गठित की गई है। इसके अलावा, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति विद्यमान है।

ख. सूचना दी गई है कि राष्ट्रीय सहमतिजन्य तथा संवैधानिक रक्षोपायों को कार्यान्वित करने के लिए जुलाई, 2013 में छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए बैठक आयोजित की गई।

ग. बताया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर अल्पसंख्यक आयोग भाषाई अल्पसंख्यकों के मामलों को भी देखता है।

घ. सूचना दी गई है कि राज्य के सभी जिलों के जिलाधीशों को राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक संबंधी कार्य सौपें गए हैं।

10.18 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

क. संवैधानिक अधिकारों तथा रक्षोपायों के प्रचार–प्रसार के संबंध में जिला कलेक्टर कार्यालय तथा शिक्षा अधिकारी जिला तथा ब्लॉक स्तरों पर सूचना उपलब्ध करते है।

ख. सूचना दी गई है कि रक्षोपायों के प्रचार–प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग द्वारा पोस्टर, इश्तहार इत्यादि प्रकाशित किए गए।

10.19 निष्कर्ष / संस्तुतियां

क. राज्य सरकार की शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति, और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ख. राज्य सरकार द्वारा अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है जैसा कि उर्दू के लिए किया जाता है।

ग. राज्य सरकार द्वारा राज्य में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

घ. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में मातृभाषा / अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण सुगम हो सके।

ड़. राज्य सरकार को राज्य स्तरीय समिति में अधिमानतः भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के स्थानीय सांसद को शामिल करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति में भी अधिमानतः भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के स्थानीय विधायक को शामिल किया जा सकता है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

च. छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट समय पर तैयार तथा प्रस्तुत की जा सके।

10.20 छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से तथा कुशलतापूर्वक किया जा सके।

झारखण्ड 11

भाषाई रूपरेखा

11.1 जनगणना–2001 के अनुसार झारखण्ड की जनसंख्या 2,69,45,829 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
हिन्दी	1,55,10,587	57.56
संथाली	28,79,576	10.69
बंगाली	26,07,601	9.68
उर्दू	23,24,411	8.63
कुरूख/ओरांव	8,61,843	3.20
मुंडारी	8,60,275	3.19
हो	7,82,078	2.90
उड़िया	4,67,874	1.74

11.2 क. **राज्य की राजभाषा** : राज्य की राजभाषा हिंदी है।

ख. **अतिरिक्त राजभाषा** : उर्दू को अतिरिक्त राजभाषा घोषित किया गया है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

11.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार ने आयुक्त द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350बी (2) में शामिल संवैधानिक अधिदेश के अनुसरण में प्रेषित पत्रों का उत्तर नहीं दिया है।

11.4 भारत के महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष इस रिपोर्ट की प्रस्तुति करने के लिए इसे अंतिम रूप देने तक राज्य सरकार से कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

11.5 संस्तुतियां

क. राज्य सरकार से प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की तथ्यपरक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है।

ख. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं की स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं से सम्बन्धित समुचित नीति बनाने की आवश्यकता है।

ग. जिन जिला/तहसील/तालुका/नगर–पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

घ. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ड़. राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

च. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत सूचना प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।

छ. राज्य में, अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास हेतु प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य में, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की अकादमियों की स्थापना की जानी चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।

ज. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई प्राथमिकता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षण देने हेतु अन्तर–विद्यालयीन समायोजन को सुगम बनाया जा सके।

झ. उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार को व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू किया जाना चाहिए।

ञ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

ट. राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावली के व्यापक एवं समेकित उत्तर प्रस्तुत किए जाएं ताकि संवैधानिक प्राधिकारी समय पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकें।

11.6 राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी रूप से तथा कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा सके।

मध्य प्रदेश 12

भाषाई रूपरेखा

12.1 जनगणना–2001 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या 6,03,48,023 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
हिन्दी	5,26,58,687	87.26
भीली/भिलोड़ी	29,73,201	4.93
मराठी	12,66,038	2.10
उर्दू	11,86,364	1.97
गोण्डी	9,25,417	1.53

12.2 सूचित किया गया है कि राज्य में ऐसे कोई जिले नहीं हैं जहां भाषाई अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 60 प्रतिशत है।

12.3 निम्नांकित अल्पसंख्यक भाषाएं जिले/तहसील/तालुक/नगरपालिका की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं:

जिला	तहसील/तालुका/नगर पालिका	भाषा	प्रतिशतता
भोपाल	हुजुर	उर्दू	20
विदिशा	कुरवाई	उर्दू	20
बुरहानपुर	बुरहानपुर	उर्दू	20

12.4 **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा हिन्दी है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत है :

12.5 राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

क. सूचित किया गया है कि महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों, सूचनाओं आदि के अल्पसंख्यक भाषाओं में प्रकाशन की कोई व्यवस्था नहीं है।

ख. सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा में प्राप्त अभ्यावेदन/आवेदन के उत्तर उसी भाषा में देने के लिए यथासंभव प्रयास किए जाते हैं।

12.6 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. सूचित किया गया है कि राज्य सेवाओं की भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषा/राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित नहीं है और राज्य सेवाओं में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं।

ख. यह भी बताया गया है कि राज्य सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में देने की अनुमति है।

12.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

क. सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने के लिए अलग से प्राधिकृत अधिकारी नहीं हैं। तथापि, मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग द्वारा कुछ संस्थाओं को मान्यता दी गई है जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

समुदाय	प्रमाण–पत्र
मुस्लिम समुदाय	72
सिक्ख समुदाय	15
ईसाई समुदाय	45
जैन समुदाय	103

12.8 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सहायता–अनुदान

क. सूचित किया गया है कि नई संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाता है। पूर्व में स्वीकृत अनुदान के लिए स्थानीय निकायों को प्राधिकृत किया गया है।

ख. जिन स्कूलों को सहायता–अनुदान संस्वीकृत किए गए हैं, उनका ब्यौरा निम्नवत् हैः

समुदाय	प्रमाण–पत्र
इसाई	102
मुस्लिम	90
सिक्ख	22
जैन	57

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों क लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

12.9 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5)

शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम तथा विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

12.10 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8)

शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम तथा विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

12.11 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10)

क. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ाए जाने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है :

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू	11	1,575	46

ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने की सुविधा का विवरण निम्नवत है :

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू	68	6,242	98
मराठी	24	4,423	22
सिंधी	6	73	6

12.12 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12)

क. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ाए जाने की सुविधा का विवरण निम्नवत् है :

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू	7	386	15

ख. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने की सुविधा का विवरण निम्नवत् है :

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू	29	1,873	32
मराठी	13	1,327	11
सिंधी	3	46	6

12.13 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित भाषाएँ पढ़ाई जाती हैं :

प्रथम भाषा	:	हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, उड़िया, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कन्नड़
द्वितीय भाषा	:	हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी
तृतीय भाषा	:	हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, तमिल, अरबी, मलयालम, फारसी, फ्रेंच, रूसी, उड़िया, कन्नड़

ख. त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत शामिल कक्षा 8वीं, 10वीं तथा 12वीं के छात्रों का विवरण निम्नवत् हैः

भाषा	कक्षा 8	कक्षा 10	कक्षा 12
उर्दू	शून्य	2,105	1,905
मराठी	शून्य	2,542	2,134

12.14 अल्पसंख्यक भाषाओं हेतु शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषा को एक विषय या शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाने वाले शिक्षकों के पदों का विवरण निम्नवत् हैः

भाषा	माध्यम के रूप में		विषय के रूप में	
	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	स्वीकृत पद	भरे हुए पद
–	–	–	1,927	1,660

ख. अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ाने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है जिसका विवरण निम्नवत् हैः

प्रशिक्षण संस्थाएं	अल्पसंख्यक भाषा	
	पढ़ाई का माध्यम	विषय के रूप में
जिला प्रशिक्षण संस्थान समस्त म०प्र०–डी०एड० पाठ्यक्रम	निरंक	निरंक किन्तु मांग के अनुसार किन्तु उर्दू/संस्कृत भाषा वैकल्पिक विषय के रूप में उपलब्ध
प्रगामी अध्ययन शिक्षा संस्थान भोपाल–बी०एड० पाठ्यक्रम	निरंक	वैकल्पिक विषय के रूप में उर्दू भाषा
शिक्षक शिक्षण संस्थान बी०एड० पाठ्यक्रम	निरंक	देवास, जबलपुर में संस्कृत भाषा वैकल्पिक भाषा के रूप में

12.15 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

क. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा के विद्यार्थियों को सरकारी संस्थाओं में पाठ्य–पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।

ख. सूचना दी गई है कि अल्पसंख्यक भाषा के विद्यार्थियों को अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य–पुस्तकें तथा शिक्षण सामग्री निम्नलिखित एंजेसियों से उपलब्ध कराई जाती हैंः

1. राज्य शिक्षा केन्द्र
2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
3. मध्य प्रदेश पुस्तक निगम

12.16 स्कूलों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रखरखाव

सूचना दी गई है कि भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की भाषाई वरीयता दर्ज करने के लिए स्कूलों में भाषाई वरीयता पंजियों का रखरखाव नहीं किया जाता है।

12.17 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन और विकास हेतु संस्थाओं का विवरण निम्नवत् हैः

भाषा	अकादमी का नाम	स्थापित करने की तिथि	2011–12 हेतु बजट (लाख में)
	म०प्र० उर्दू अकादमी	1976	55.00
	म०प्र० साहित्य अकादमी	2002	
	क. इकबाल साहित्य प्रभाग	1984	10.50
	ख. हिन्दी प्रभाग		42.15
	ग. मराठी प्रभाग		11.59

12.18 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

क. राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन और अनुवीक्षण हेतु राज्य/जिला स्तर पर कोई भी तंत्र स्थापित नहीं है।

ख. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के मामले को राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा देखा जाता है।

12.19 संवैधानिक अधिकारों और रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अलग से सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं।

12.20 निष्कर्ष/संस्तुतियां

क. जिन जिला/तहसील/तालुका/नगर–पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15% या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, नियमों, विनियमों, सूचनाओं आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

ख. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ग. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे की राज्य में मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण प्रदान करने के लिए अन्तर विद्यालय समायोजनों को सुगम बनाया जा सके।

घ. शिक्षकों के संस्वीकृत और भरे हुए पदों के संबंध में सूचना अपूर्ण है। हालांकि शिक्षकों की कतिपय संख्या बताई गई है, परन्तु प्रासंगिक भाषाओं के संबंध में सूचना नहीं दी गई है।

ङ. उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

च. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने हेतु राज्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, "एक जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसख्यकों के रक्षोपायों का प्रभावकारी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

छ. मध्य प्रदेश राज्य सरकार के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट समय पर तैयार तथा प्रस्तुत कर सकें।

12.21 मध्य प्रदेश राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जा सके।

उत्तराखण्ड 13

भाषाई रूपरेखा

13.1 जनगणना–2001 के अनुसार उत्तराखण्ड की जनसंख्या 84,89,349 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् हैः

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
हिन्दी	74,66,413	87.95
उर्दू	4,97,081	5.86
पंजाबी	2,47,084	2.91
बंगाली	1,23,190	1.45
नेपाली	91,047	1.07

13.2 **राज्य की राजभाषाः** राज्य की राजभाषा हिंदी है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

13.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार ने आयुक्त द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350बी (2) में शामिल संवैधानिक अधिदेश के अनुसरण में प्रेषित पत्रों का उत्तर नहीं दिया है।

13.4 भारत के महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष इस रिपोर्ट की प्रस्तुति करने के लिए इसे अंतिम रूप देने तक राज्य सरकार से कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

13.5 संस्तुतियां

क. राज्य सरकार से प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की तथ्यपरक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है।

ख. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं की स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं से सम्बन्धित समुचित नीति बनाने की आवश्यकता है।

ग. जिन जिला/तहसील/तालुका/नगर–पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15% या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

घ. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ड़. राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

च. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत सूचना प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।

छ. राज्य में, अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास हेतु प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य में, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की अकादमियों की स्थापना की जानी चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।

ज. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई प्राथमिकता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षण देने हेतु अन्तर–विद्यालयीन समायोजन को सुगम बनाया जा सके।

झ. उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार को व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू किया जाना चाहिए।

ञ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

ट. राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावली के व्यापक एवं समेकित उत्तर प्रस्तुत किए जाएं ताकि संवैधानिक प्राधिकारी समय पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकें।

13.6 राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी रूप से तथा कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा सके।

उत्तर प्रदेश 14

भाषाई विवरण

14.1 जनगणना 2001 के अनुसार, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16,61,97,921 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् है :

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
हिन्दी	15,17,70,131	91.32
उर्दू	1,32,72,080	7.99
पंजाबी	5,23,094	0.31
नेपाली	2,63,982	0.16
बंगाली	1,81,634	0.11

14.2 राज्य की 60 प्रतिशत या उससे अधिक बोली जाने वाली भाषा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

जिला	भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
सम्भल	उर्दू	–	80

14.3 जिला/तहसील/तालुक/नगरपालिका की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं का ब्यौरा निम्नवत् हैः

जिला	तहसील/तालुका/नग रपालिका	भाषा	प्रतिशतता
सम्भल	चंदौसी	उर्दू	50
	सदर	उर्दू	63.07
	शाहबाद	उर्दू	40.30
	स्वर	उर्दू	55.74
	दंता	उर्दू	53.19
	बिलासपुर	पंजाबी	47.19
	मिलक	उर्दू	38.74
सीतापुर	लहरपुर	उर्दू	20
	महमूदाबाद	उर्दू	15
	खैराबाद	उर्दू	20
पीलीभीत	पुरनपुर	उर्दू	14.8
हमीरपुर	मौदा	उर्दू	15
उन्नाव	नगर पालिका	उर्दू	15
फिरोजाबाद	नगर पालिका	उर्दू	15

14.4 क. **राज्य की राजभाषा** : राज्य की राजभाषा हिन्दी है।

ख. **राज्य की अतिरिक्त राजभाषा** : उर्दू को राज्य की अतिरिक्त राजभाषा घोषित किया गया है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् है:

14.5 राज्य में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग

क. सूचित किया गया है कि उर्दू भाषा में अर्जियां/आवेदन की प्राप्ति के निर्देश भाषा विभाग द्वारा जारी किए गए हैं।

ख. यह भी सूचित किया गया है कि उर्दू भाषा में प्राप्त अभ्यावेदनों का उसी भाषा में उत्तर दिये जाने के आदेश भाषा विभाग द्वारा जारी किए गए हैं।

14.6 राज्य सेवाओं में भर्ती

क. बताया गया है कि क्षेत्रीय/राजभाषा का ज्ञान राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए पूर्वापेक्षित नहीं है।

ख. राज्य सरकार ने इस आशय की सूचना नहीं प्रदान की है कि राज्य सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न–पत्रों का उत्तर देने में अल्पसंख्यक भाषाओं के प्रयोग की अनुमति है या नहीं तथा राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए अधिवासीय प्रतिबंध लगाए जाते हैं या नहीं।

14.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता

राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी गई है। तथापि, बताया गया है कि संस्थाओं (माध्यमिक स्कूल) को धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा दिया गया है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली है।

14.8 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सहायता–अनुदान

सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक संस्थानों को सहायता–अनुदान देने के लिए सक्षम प्राधिकारी सचिव (माध्यमिक शिक्षा) उत्तर प्रदेश, लखनऊ हैं।

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

14.9 प्राथमिक स्तर (1 से 5)

शिक्षा के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तरों पर अल्पसंख्यक भाषा के छात्रों को दी जाने वाली शैक्षणिक सुविधा का राज्य सरकार द्वारा कोई विवरण नहीं दिया गया है। तथापि, बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पर उर्दू को विषय के रूप में पढ़ाने के लिए उर्दू शिक्षकों की व्यवस्था उर्दू पढ़ने की इच्छा करने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर की जाती है। चूंकि छात्रों की संख्या बदलती रहती है, इसलिए इस संबंध में सूचना परिवर्तनीय है।

14.10 माध्यमिक स्तर (9 से 10)

क. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ाने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है :

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू	756	46,569	856
पंजाबी	08	340	05
सिंधी	02	93	02
बंगाली	01	05	02

14.11 उच्चतर माध्यमिक स्तर (11 से 12)

क. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षण के एक माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू	62	13,573	368
पालि	01	85	01

ख. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू	464	31,617	488
पंजाबी	06	201	03
सिंधी	02	93	02
पालि	01	85	01
बंगाली	01	05	02

14.12 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित भाषाएं पढ़ाई जाती हैंः

प्रथम भाषा – हिन्दी
द्वितीय भाषा – अंग्रेजी
तृतीय भाषा – उर्दू/संस्कृत

ख. तथापि त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत अल्पसंख्यक भाषा का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

14.13 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढाने के लिए शिक्षकों के संस्वीकृत एवं भरे हुए पदों का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	माध्यम के रूप में		विषय के रूप में	
	स्वीकृत	भरे हुए	स्वीकृत	भरे हुए
उर्दू	1,049	986	1,002	904
पंजाबी	01	01	07	04
सिंधी	02	02	—	—
पालि	—	—	01	01

ख. अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई हैं।

14.14 अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य–पुस्तकें

क. सूचना दी गई है कि अल्पसंख्यक भाषा के छात्रों को अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में ही उपलब्ध हो जाती हैं।

ख. पाठ्य–पुस्तकों को तैयार एवं प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी एंजेसी तथा पाठ्य–पुस्तकों के प्रापण के लिए अंतर–राज्य व्यवस्था के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी गई है।

ग. सूचना दी गई है कि भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री प्रतियोगी/रियायती दरों पर उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं।

14.15 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक संस्थाओं में विद्यार्थियों की भाषाई वरीयता में पंजीकरण हेतु भाषाई वरीयता पंजियों के रख–रखाव के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

14.16 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं तथा उनके साहित्य के संवर्धन, प्रचार–प्रसार एवं विकास के लिए उ०प्र० सिन्धी अकादमी, उ०प्र० पंजाबी अकादमी, उ०प्र० उर्दू अकादमी तथा फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी कार्यरत हैं जिनका विवरण निम्नवत् हैः

भाषा	अकादमी का नाम	कब स्थापित किया गया	वर्ष 2012–13 हेतु बजट (लाख में)
सिन्धी	उ०प्र० सिंधी अकादमी	7.2.1996	36.20
पंजाबी	उ०प्र० पंजाबी अकादमी	17.3.1998	21.40
उर्दू	उ०प्र० उर्दू अकादमी लखनऊ	1972	418.00
उर्दू	फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लखनऊ	1976	44.83

14.17 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

सूचना दी गई है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के अनुवीक्षण एवं समीक्षा हेतु राज्य या जिला स्तर पर कोई समिति अथवा तंत्र गठित नहीं है।

14.18 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

क. सूचित किया गया है कि सूचना विभाग विगत 67 वर्षों से ''नया दौर'' नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन करता आ रहा है जिसमें भाषाई अल्पसंख्यकों के विकास एवं रक्षोपायों से संबंधित लेख अक्सर ही प्रकाशित किए जाते हैं।

ख. बताया गया है कि ''कामयाबी के कदम'' तामीर और तरक्की का एक साल, तथा एजेन्डा ऑफ द प्रोगेस ऑफ द स्टेट नामक प्रचार–प्रसार संबंधी पुस्तिकाएं उर्दू भाषा में प्रकाशित की गई हैं तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण एवं विकास के लिए राज्य के सभी जिलों में वितरित की गई हैं।

ग. भाषाई अल्पसंख्यकों के विकास तथा उनके रक्षोपायों के लिए राज्य/जिलों के दैनिक समाचार–पत्र, साप्ताहिक एवं मासिक समाचार–पत्रों/पत्रिकाओं में समय–समय पर विज्ञप्ति तथा विज्ञापन उर्दू भाषा में प्रकाशित किए गए हैं।

घ. भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों से संबंधित सूचना–पट्ट भी समय–समय पर लगाए जाते हैं तथा उर्दू समाचार पत्रों एजेन्सियों में तथा न्यूज चैनलों इत्यादि पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है।

14.19 निष्कर्ष/संस्तुतियां

क. उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से पूर्ण एवं स्पष्ट प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। तथापि, भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त को भाषाई अल्पसंख्यको की स्थिति की जानकारी 29 मार्च, 2014 को राज्य के शैक्षणिक प्राधिकारियों के साथ हुई चर्चाओं एवं प्राप्त अभ्यावेदनों और राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के साथ हुई बैठकों से हुई।

ख जिन जिला/तहसील/तालुक/नगर–पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

ग. शिकायतों के निवारण हेतु उर्दू के अलावा अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को प्राप्त करने और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

घ. राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता तथा ऐसे संस्थानों के सहायता–अनुदान से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार से राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता देने के लिए किसी प्राधिकारी को पदनामित करने तथा बंगाली भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं की लंबित मान्यता के संबंध में, ऐसी ही संस्थाओं के मामले में लिए गए निर्णयानुसार कार्रवाई करने का भी आग्रह किया जाता है।

ड़. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि अन्तर–विद्यालयीन समायोजन के फलस्वरूप इन विद्यालयों में मातृभाषा/ अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण सुगम हो सके।

च. सूचित किया गया है कि 464 स्कूल ऐसे हैं जहां उर्दू को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा उपलब्ध है तथा वहां 31617 छात्र हैं। तथापि, वहां केवल 488 शिक्षक हैं, प्रत्येक स्कूल के लिए प्रायः एक शिक्षक है। यह खेदजनक है कि उर्दू पढ़ाने के लिए अर्हताप्राप्त शिक्षक राज्य में उपलब्ध नहीं हैं। यह भी शोचनीय है कि उर्दू पढ़ाने के लिए उर्दू पाठ्यक्रम संबंधी सामग्री भी उपलब्ध नहीं है। अतः राज्य सरकार से आग्रह है कि वे राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के हितार्थ पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराएं।

छ. भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की जानकारी में आया है कि माध्यमिक तथा इंटरमीडिएट शिक्षा में उर्दू को एक विषय के रूप में लिया जा सकता है। तथापि, हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड ने इस तरह के पाठ्यक्रम तथा परीक्षा नियम बनाए हैं कि उर्दू भाषा–पत्र को महत्वपूर्ण विषयों जैसे कि विज्ञान, गणित, वाणिज्य, संस्कृत इत्यादि के साथ नहीं लिया जा सकता है। अतः राज्य को इस संबंध में उपयुक्त संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि उर्दू भाषाभाषी अपने उज्जवल भविष्य के लिए आधुनिक विज्ञान, गणित तथा वाणिज्य पढ़ने के अपने मौलिक अधिकारों से वंचित न हो जाएं।

ज. भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की जानकारी में यह भी आया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिसूचना 1952 (अब यह इंटरमीडिएट बोर्ड के रूप में ज्ञात है) में घोषणा की गई थी कि ''संस्थाओं को हिंदी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए ही मान्यता दी जाएगी''। इससे गैर– हिंदी माध्यम स्कूल मान्यता के अधिकार से पूर्णतः वंचित हो गए हैं तथा यह संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 में प्रदत्त रक्षोपयों के प्रतिकूल है। अतः राज्य से इस खंड की पुनर्जांच तथा इसमें उपयुक्त रूप से संशोधन करने का आग्रह है ताकि राज्य में रहने वाले भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की रक्षा हो सके।

झ. राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय रक्षोपाय कार्यान्वयन समिति का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जनपद स्तरीय समिति का भी गठन किया जा सकता है ताकि भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

ञ. उत्तर प्रदेश सरकार के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का निर्धारित समय–सीमा के भीतर, प्रेषण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी समय पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत कर सकें। इस संबंध में भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की राज्य के शैक्षणिक प्राधिकारियों के साथ दिनांक 29 मार्च, 2014 को हुई चर्चा की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो राज्य मे उर्दू भाषाभाषियों की अधिकतम संख्या को देखते हुए शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उर्दू पढ़ने की सुविधा में व्याप्त विषमता पर लक्षित थी। राज्य को भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों को स्कूलों में दाखिला देते समय उन्हें मातृभाषा पढ़ाने के संबंध में उनके माता–पिता की तरजीह का पता लगाने की आवश्यकता है।

14.20 उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से तथा कुशलतापूर्वक किया जा सके।

अरूणाचल प्रदेश 15

भाषाई रूपरेखा

15.1 जनगणना 2001 के अनुसार अरूणाचल प्रदेश की जनसंख्या 10,97,968 दर्ज की गई तथा राज्य की व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् हैः

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
निस्सी/डाफला	2,08,337	18.97
आदि	1,93,379	17.61
बंगाली	97,149	8.85
नेपाली	94,919	8.64
हिन्दी	81,186	7.39

15.2 **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

15.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार ने आयुक्त द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350बी (2) में शामिल संवैधानिक अधिदेश के अनुसरण में प्रेषित पत्रों का उत्तर नहीं दिया है।

15.4 भारत के महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष इस रिपोर्ट की प्रस्तुति करने के लिए इसे अंतिम रूप देने तक राज्य सरकार से कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

15.5 संस्तुतियां

क. राज्य सरकार से प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की तथ्यपरक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है।

ख. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं की स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं से सम्बन्धित समुचित नीति बनाने की आवश्यकता है।

ग. जिन जिला/तहसील/तालुका/नगर–पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

घ. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ड़. राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

च. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत सूचना प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।

छ. राज्य में, अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास हेतु प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य में, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की अकादमियों की स्थापना की जानी चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।

ज. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई प्राथमिकता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षण देने हेतु अन्तर–विद्यालयीन समायोजन को सुगम बनाया जा सके।

झ. उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार को व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू किया जाना चाहिए।

ञ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

ट. राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावली के व्यापक एवं समेकित उत्तर प्रस्तुत किए जाएं ताकि संवैधानिक प्राधिकारी समय पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकें।

15.6 राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी रूप से तथा कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा सके।

असम 16

भाषाई रूपरेखा

16.1 जनगणना 2001 के अनुसार असम की जनसंख्या 2,66,55,528 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
असमिया	1,30,10,478	48.81
बंगाली	73,43,338	27.55
हिन्दी	15,69,662	5.89
बोडो	12,96,162	4.86

16.2 **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा असमिया है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

16.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार ने आयुक्त द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350बी (2) में शामिल संवैधानिक अधिदेश के अनुसरण में प्रेषित पत्रों का उत्तर नहीं दिया है।

16.4 भारत के महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष इस रिपोर्ट की प्रस्तुति करने के लिए इसे अंतिम रूप देने तक राज्य सरकार से कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

16.5 संस्तुतियां

क. राज्य सरकार से प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की तथ्यपरक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है।

ख. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं की स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं से सम्बन्धित समुचित नीति बनाने की आवश्यकता है।

ग. जिन जिला/तहसील/तालुका/नगर–पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

घ. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ड़. राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

च. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत सूचना प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।

छ. राज्य में, अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास हेतु प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य में, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की अकादमियों की स्थापना की जानी चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।

ज. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई प्राथमिकता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षण देने हेतु अन्तर–विद्यालयीन समायोजन को सुगम बनाया जा सके।

झ. उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार को व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू किया जाना चाहिए।

ञ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

ट. राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावली के व्यापक एवं समेकित उत्तर प्रस्तुत किए जाएं ताकि संवैधानिक प्राधिकारी समय पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकें।

16.6 राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी रूप से तथा कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा सके।

मणिपुर 17

भाषाई रूपरेखा

17.1 जनगणना 2001 के अनुसार मणिपुर की जनसंख्या 21,66,788 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् है (इसमें सेनापति जिले के पाओमाता, माओ–मरम् और पुरूल अनुमण्डलों के आंकड़े शामिल नहीं हैं) :

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
मणिपुरी	12,66,098	58.43
थाडो	1,78,696	8.25
तांगखुल	1,39,979	6.46
काबुई	87,950	4.06
पइते	48,379	2.23
नेपाली	45,998	2.12
हमार	43,137	1.99
वाईफेई	37,553	1.73
लियांगमेई	32,787	1.51
बंगाली	27,100	1.25
हिन्दी	24,720	1.14
अनल	22,187	1.02
मारिंग	22,154	1.02

क. जिन जिलों में अल्पसंख्यक भाषाएं 60 प्रतिशत या उससे अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाती है उनका विवरण निम्नवत् हैः

भाषा	भाषा	प्रतिशतता
उखरूल	तांगखुल	–
तामेंगलांग	काबुई, कच्चा नागा	–
चूड़ाचांदपुर	थाडो, पइते, हमार, वाईफेई	–
चंडेल	अनल	–
सेनापति	–	–

ख. जिन जिलों में अल्पसंख्यक भाषाएं 15 प्रतिशत या उससे अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाती है उनका ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	भाषा	प्रतिशतता
सेनापति	माओ, पोमाई	–
चंडेल	मारिंग	–
चूड़ाचांदपुर	जोउ, लुसाई, सिमटी	–

17.2 क. **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा मणिपुरी है।

ख. **अतिरिक्त राजभाषा :** सूचित किया गया है कि अंग्रेजी को राज्य की अतिरिक्त राजभाषा घोषित किया गया है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत है :

17.3 राज्य में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग

क. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा में नियमों, विनियमों तथा सूचनाओं इत्यादि के अनुवाद एवं प्रकाशन की कोई व्यवस्था नहीं है।

ख. यह भी बताया गया है कि शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति एवं उत्तर देने के संबंध में आदेश मौजूद हैं।

17.4 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषा/राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित है। इसके अलावा सूचित किया गया है कि राज्य सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न–पत्रों का उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं/जनजातीय भाषाओं में देने की अनुमति नहीं है।

ख. यह भी सूचित किया गया है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबन्ध लागू होते हैं।

17.5 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने से संबंधित नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों तथा इस प्रयोजनार्थ पदनामित सक्षम प्राधिकारी के संबंध में बताया गया है कि मणिपुर में भाषाई अल्पसंख्यकों का कोई शिक्षण संस्थान नहीं है। तथापि, बताया गया है कि मणिपुर में 36 अनुसूचित जनजातियाँ हैं। उनमें से अधिकांश राज्य के 5 पर्वतीय जिलों में रहती हैं तथा उनके बच्चे, निम्नलिखित विवरण के अनुसार उनके लिए स्थापित विद्यालयों में पढ़ते हैं :

जिलों के नाम	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय		उच्च विद्यालय		जूनियर हाई स्कूल		प्राथमिक विद्यालय	
	सरकारी	सहायता प्राप्त	सरकारी	सहायता प्राप्त	सरकारी	सहायता प्राप्त	सरकारी	सहायता प्राप्त
उखरूल	4	–	22	2	35	2	27	33
सेनापति	1	–	9	7	51	9	69	72
तामेंगलांग	3	–	9	1	30	–	46	27
चूड़ाचांदपुर	–	–	27	3	45	24	50	40
चंदेल	–	–	7	–	15	5	29	40

17.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं की शिक्षण संस्थाओं के लिए राज्य सरकार ने कोई विशिष्ट सहायता–अनुदान शुरू नहीं किया है।

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

17.7 प्राथमिक स्तर/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर

क. सूचित किया गया है कि जहां तक राज्य में शिक्षा (शिक्षण एवं परीक्षा) के माध्यम (शिक्षण एवं परीक्षा) का प्रश्न है, कक्षा 1 से 10 तक अंग्रेजी और मणिपुरी में शिक्षा दी जाती है; तथा कक्षा 10 के बाद अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में जारी रखा जाता है।

ख. यह भी सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित मान्यताप्राप्त जनजातीय भाषाएं स्कूल में एक विषय के रूप मे पढ़ाई जा रही हैं:

भाषा	कक्षा से	कक्षा तक
पौमाई	प्रथम	आठवीं
लियांगमेई	प्रथम	आठवीं
गंग्टे	प्रथम	आठवीं
माओ	प्रथम	दसवीं
रोंगमई	प्रथम	दसवीं
कोम	प्रथम	बारहवीं
वाईफेई	प्रथम	बारहवीं
मिजो	प्रथम	बारहवीं
जोउ	प्रथम	बारहवीं
तांगखुल	प्रथम	बारहवीं
हमार	प्रथम	बारहवीं
थाडोकुकी	प्रथम	बारहवीं
पइते	प्रथम	बारहवीं

17.8 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएं (कक्षा 3 से 10 तक):

प्रथम भाषा : मणिपुरी या प्रमुख भारतीय भाषाओं में से एक (बंगाली, नेपाली, पंजाबी आदि) या नौ मान्यताप्राप्त जनजातीय भाषाओं में एक भाषा

द्वितीय भाषा : अंग्रेजी

तृतीय भाषा : मणिपुरी उनके लिए जिन्होंने इसे प्रथम भाषा के रूप में नहीं चुना है अथवा हिन्दी उनके लिए जिन्होंने हिन्दी को प्रथम भाषा के रूप में नहीं चुना है या प्रारम्भिक हिन्दी व प्रारम्भिक मणिपुरी उनके लिए जिन्होंने प्रथम भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त जनजातीय भाषाओं में से एक भाषा को चुना है।

ख. तथापि, त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत अध्ययन करने वाले छात्रों के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

17.9 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. बताया गया है कि विद्यालयी शिक्षा विभाग में क्षेत्रीय/अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ाने के लिए शिक्षकों के स्वीकृत पद अब तक नहीं हैं। तथापि, विद्यालय के किसी भी ऐसे शिक्षक, जिसकी मातृभाषा, कोई मान्यताप्राप्त जनजातीय भाषा है, को यह भाषा पढ़ाने का कार्य सौंप दिया जाता है।

ख. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय अथवा शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नही है।

17.10 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

क. सूचना दी गई है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मणिपुर तथा संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं की साहित्यिक संस्थाएं मान्यताप्राप्त अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें तैयार करती हैं।

ख. सूचित किया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत, पाठ्य–पुस्तकें मुफ्त में वितरित की जाती हैं। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जनजातीय भाषाओं में लिखी पुस्तकों को खरीदने तथा भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों में मुफ्त बाँटने की योजना भी है।

17.11 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

बताया गया है कि राज्य में भाषाई वरीयता पंजियों का रख–रखाव अभी किया जाना है। तथापि, कहा गया है कि मणिपुर पर्वतीय जिलों के सभी प्राथमिक स्कूलों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' को खोलने हेतु आदेश जारी किए गए हैं।

17.12 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन और विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप किए जा रहे हैं:

क. विस्तृत व्याकरण तथा पठ्न–पाठ्न सामग्री की तैयारी एवं प्रकाशन।

ख. एकभाषी, द्विभाषी और बहुभाषी शब्दकोशों का संकलन।

17.13 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

क. बताया गया है कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने के लिए राज्य स्तर पर कोई तंत्र नहीं है।

ख. बताया गया है कि जिला स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों के मामलों की देखरेख का कार्य संबंधित जोनल शिक्षा अधिकारियों को सुपुर्द किया गया है।

17.14 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

सूचना दी गई है कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम अभी चलाए जाने हैं। यह भी सूचित किया गया है कि भाषा के आधार पर शिकायतों को अभी वर्गीकृत किया जाना है।

17.15 निष्कर्ष/संस्तुतियां

क. राज्य सरकार से आग्रह है कि जिन जिला/तहसील/तालुका/ नगरपालिका की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों द्वारा अल्पसंख्यक भाषाएं बोली जाती है, वहाँ नियमों, अधिनियमों एवं सूचनाओं आदि का अनुवाद और प्रकाशन संबंधित अल्पसंख्यक/जनजातीय भाषाओं में सुनिश्चित करें।

ख. राज्य सरकार को, राज्य सेवओं की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों का उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में लिखने की अनुमति देने पर विचार करना चाहिए।

ग. राज्य सरकार को भर्ती के समय क्षेत्रीय भाषा/राजभाषा के पूर्व ज्ञान पर जोर नहीं देना चाहिए और न तो अधिवासी प्रतिबन्ध लागू करना चाहिए ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों को राज्य में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सके। राज्य सरकार को अभ्यर्थियों को राजभाषा सीखने के लिए नियत परिवीक्षाधीन अवधि में पर्याप्त अवसर देना चाहिए।

घ. राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तरों पर उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दिए जाने की आवश्यकता है।

ङ. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम और एक विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के पदों व उन्हें प्रशिक्षित करने की व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी देने की आवश्यकता है।

च. राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को भाषाई वरीयता पंजियों का रख–रखाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि अन्तर–विद्यालयीय समायोजन के फलस्वरूप इन विद्यालयों में मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण सुगम हो सके।

छ. राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों तथा सुविधाओं का राज्य में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।

ज. राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने के लिए मुख्य सचिव/जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में क्रमशः राज्य/जिला स्तरीय समिति गठित किए जाने की आवश्यकता है।

17.16 मणिपुर सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लें तथा आवश्यक उपचारी कदम उठाएं, जिससे कि मणिपुर में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी ढंग से तथा सक्षमतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

मेघालय 18

भाषाई रूपरेखा

18.1. जनगणना–2001 के अनुसार मेघालय की जनसंख्या 23,18,822 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
खासी	10,91,087	47.05
गारो	7,28,424	31.41
बंगाली	1,85,692	8.01
नेपाली / गोरखाली	52,155	2.25
हिंदी	50,055	2.16
असमिया	36,576	1.58
राभा	22,395	0.97
कोच	20,834	0.90

18.2 **क. राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है।

ख. राज्य की अतिरिक्त राजभाषा : सूचना दी गई है कि मेघालय के खासी–जैन्तिया पहाड़ी जिलों में स्थित राज्य सरकार के जिला अनुमण्डल तथा ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों में खासी भाषा को सभी प्रयोजनों हेतु अतिरिक्त राजभाषा घोषित किया गया है।

यह भी सूचित किया गया है कि मेघालय के गारों पहाड़ी जिलों में स्थित राज्य सरकार के जिला अनुमण्डल तथा ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों में गारो भाषा को सभी प्रयोजनों हेतु अतिरिक्त राजभाषा घोषित किया गया है।

18.3 जिलों में वहाँ की जनसंख्या के 60 प्रतिशत या इससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली अल्पसंख्यक भाषाओं का विवरण निम्नलिखित हैं :

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
पश्चिमी गारो हिल्स	गारो	64
पूर्वी गारो हिल्स	गारो	93
दक्षिणी गारो हिल्स	गारो	95
पश्चिमी खासी हिल्स	खासी	68
पूर्वी खासी हिल्स	खासी	73
जैंतिया हिल्स	खासी / प्नार	90
रिभोई जिला	खासी	52

18.4. निम्नलिखित क्षेत्रों (जिला/तहसील/तालुक/नगरपालिका) की जनसंख्या के 15 प्रतिशत अथवा इससे अधिक लोगों द्वारा अल्पसंख्यक भाषाएँ बोली जाती हैं :

जिला	भाषा भाषी
पश्चिमी गारो हिल्स	बंगाली/गारो
पूर्वी गारो हिल्स	गारो
दक्षिणी गारो हिल्स	गारो
पश्चिमी खासी हिल्स	खासी/गारो
पूर्वी खासी हिल्स	खासी
जैंतिया हिल्स	खासी
रिभोई जिला	खासी

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत है :

18.5 राज्य में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग

क. राज्य सरकार ने सूचित किया है कि स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाता है। यह भी सूचना दी गई है कि आधारभूत स्तरीय कामगारों को स्थानीय भाषा अर्थात् गारो तथा खासी में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

ख. शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदनों की प्राप्ति एवं उत्तर हेतु आदेशों की विद्यमानता के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी गई है। तथापि, यह भी बताया गया है कि प्रत्येक जिले में शिकायत निवारण की व्यवस्था है जहां शिकायत बॉक्स लगे होते हैं।

ग. यह भी बताया गया है कि शिकायतों के निवारण के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं में मौखिक–अनुवाद उपलब्ध है।

18.6 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. बताया गया है कि भर्ती परीक्षा राज्य की राजभाषा अर्थात् अंग्रेजी में आयोजित की जाती है। हालांकि खासी तथा गारो अतिरिक्त राजभाषाएं हैं, तथापि सरकारी पदों पर भर्ती के लिए इन भाषाओं के पूर्वज्ञान की पूर्वापेक्षा का कोई दृष्टान्त नहीं है।

ख. राज्य सेवाओं में भर्ती के समय कोई अधिवासीय प्रतिबंध नही लगाए जाते हैं।

18.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता

क. बताया गया है कि मेघालय भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की मान्यता के संबंध में अभी अधिसूचना जारी की जानी है।

ख. सूचना दी गई है कि राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता दिए जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन/शिकायतें/याचिकाएं प्राप्त नहीं हुई हैं।

18.8 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सहायता–अनुदान

क. बताया गया है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक शैक्षणिक संस्थाओं को मेघालय विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1981 के अनुसार सहायता–अनुदान मंजूर किए जाते हैं।

ख. यह भी बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को अभी अधिसूचित किया जाना है।

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

18.9 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)

शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को माध्यम/विषय दोनों के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
असमिया	03	209	10
नेपाली	02	222	10
बंगाली	03	472	18

18.10 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाई जा रही अल्पसंख्यक भाषाओं के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है। तथापि, शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
नेपाली	02	212	09
बंगाली	03	179	13

18.11 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)

शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाई जा रही अल्पसंख्यक भाषाओं के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है। तथापि, शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
असमिया	01	22	02
नेपाली	01	48	01
बंगाली	03	380	03

18.12 उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाई जा रही अल्पसंख्यक भाषाओं के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है। तथापि, शिक्षा के उच्च माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
असमिया	01	22	02
नेपाली	01	48	01
बंगाली	03	380	03

18.13 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत निम्नलिखित भाषाएँ पढ़ाई जाती हैं :

प्रथम भाषाः अंग्रेजी
द्वितीय भाषाः खासी/गारो
तृतीय भाषा : (i) हिंदी उन सभी छात्रों के लिए जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है।
(ii) खासी या गारो या असमिया या बंगाली उन सभी छात्रों के लिए जिनकी मातृभाषा हिंदी है।

ख. तथापि, त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत अल्पसंख्यक भाषा का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

18.14 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषाओं को माध्यम तथा एक विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के संस्वीकृत/भरे हुए पदों के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं दी गई है। तथापि, सूचना दी गई है कि तदर्थ पदों पर 176 हिंदी शिक्षक हैं।

ख. यह भी जानकारी दी गई है कि हिंदी शिक्षकों को केन्द्रीय हिंदी संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, शिलांग में प्रशिक्षित किया जाता है।

ग. अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के आदान–प्रदान तथा उनके प्रशिक्षण के लिए पड़ोसी राज्यों से कोई सहयोग नहीं लिया जाता है।

18.15 अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य–पुस्तकें

क. सूचना दी गई है कि अल्पसंख्यक भाषाई पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण–सामग्री भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को शैक्षणिक सत्र की शुरूआत में उपलब्ध हो जाती है।

ख. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री की व्यवस्था खुले बाजार से की जाती है।

18.16 विद्यालयों में भाषाई वरीयता पंजियों का रख–रखाव

बताया गया है कि पंजियां विद्यालय स्तर पर रखी जाती हैं।

18.17 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवधन और विकास

क. राज्य में अल्पसंख्यक भाषा का संवर्धन करने की योजनाओं के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख. अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन एवं विकास अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए स्थापित की गई अकादमियों के जरिए किया जाता है। सूचित किया गया है कि पालि भाषा के संवर्धन के लिए संस्कृत पालि टॉल स्थापित किया गया है। अकादमी का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	अकादमी का नाम	कब स्थापित की गई	वर्ष 2011–12 के लिए बजट
पालि	संस्कृत पालि टॉल	राज्य के गठन के समय	रू०2,44,896/–

18.18 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

क. भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदत्त रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण एवं समीक्षा के लिए राज्य स्तर पर कोई समिति स्थापित नहीं की गई है। तथापि, बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 22 जनवरी, 2013 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। यह भी बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं हित की देखभाल समाल कल्याण विभाग, मेघालय सरकार द्वारा की जा रही है।

ख. बताया गया है कि जिला स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर एक समिति विद्यमान है।

18.19 संवैधानिक अधिकार एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

क. सूचित किया गया है कि राजभाषा तथा अल्पसंख्यक भाषाओं में मौखिक अनुवाद के जरिए भाषाई अल्पसंख्यकों को उन्हें उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के बारे में अवगत कराया जाता है।

ख. सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों के बारे में राज्य में जागरूकता फैलाने के लिए मेघालय एकीकृत सूचना प्रौधोगिकी (एम०आई०आई०टी०) के जरिए कार्रवाई की जा रही है।

18.20 निष्कर्ष/संस्तुतियां

क. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों की उपस्थिति को समझने तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ नियमों विनियमों तथा नोटिस इत्यादि का उन

जिलों/तहसीलों/तालुकों/नगरपालिकाओं में प्रासंगिक अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जहां इन अल्पसंख्यक भाषाओं को बोलने वालों की संख्या 15 प्रतिशत या अधिक है।

ख. ऐसा प्रतीत होता है कि हालांकि गारो तथा खासी अतिरिक्त राजभाषाएं घोषित की गई है, तथापि, उनकी अपनी लिपि नहीं है। अतः राज्य सरकार को इन दो भाषाओं को भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ संवर्धित एवं विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

ग. राज्य सरकार को नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों की समीक्षा करनी चाहिए तथा भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सहायता–अनुदान की संस्वीकृति एवं मान्यता प्रदान करने हेतु प्राधिकारी नामित करना चाहिए।

घ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शिक्षा के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता, अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षकों के स्वीकृत और भरे गए पदों तथा अल्पसंख्यक भाषा को विषय तथा शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में पूर्ण एवं विस्तृत जानकारी उपलब्ध करनी चाहिए।

ड. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षकों के सृजित/स्वीकृत पदों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने तथा उनके लिए प्रशिक्षण सुविधा की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

च. राज्य सरकार द्वारा राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

छ. राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, एक जनपद स्तरीय समिति का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसख्यकों के रक्षोपायों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

ज. मेघालय सरकार के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर, का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है ताकि संवैधानिक प्राधिकारी नियत समय में अपनी रिपोर्ट तैयार कर भारत के महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।

18.21 मेघालय सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर ध्यान दें और आवश्यक उपचारी उपाय करें जिससे भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का राज्य में प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

मिजोरम 19

भाषाई रूपरेखा

19.1 जनगणना 2001 के अनुसार मिजोरम की जनसंख्या 8,88,573 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है :

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
लुशाई/मिजो	6,50,605	73.21
बंगाली	80,389	9.05
लाखेर	34,731	3.91
पावी	24,900	2.80
त्रिपुरी	17,580	1.98
पाइते	14,367	1.62
हमार	14,240	1.60
हिन्दी	10,530	1.19
नेपाली	8,948	1.0

19.2 **राज्य की राजभाषा :** मिजो, अंग्रेजी तथा हिंदी राज्य की राजभाषाएं हैं।

19.3 जिले की 60% या उससे अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली अल्पसंख्यक भाषाओं के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

19.4 जिले की 15% या उससे अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली अल्पसंख्यक भाषाओं के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षापायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत है :

19.5 राज्य में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग

क. महत्वपूर्ण नियमों, आदेशों तथा अधिसूचना के अनुवाद एवं प्रचार–प्रसार की व्यवस्था के संबंध में मिजोरम सरकार ने कोई सूचना नहीं दी है।

ख. शिकायतों के निवारण के लिए अल्पसंख्यक भाषा में अभ्यावेदन की प्राप्ति तथा उसी भाषा में उत्तर देने के लिए कोई आदेश नहीं जारी किया गया है।

19.6 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. बताया गया है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए क्षेत्रीय/राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित है।

ख. यह भी बताया गया है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए प्रश्न–पत्रों के उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में देने की अनुमति नहीं दी गई है।

ग. बताया गया है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए अधिवासीय प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं।

19.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

क. भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को मान्यता प्रदान करने के नियमों एवं विनियमों/दिशानिर्देशों तथा इस प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख. सूचित किया गया है कि 30 जून, 2013 तक 63 बंगाली तथा 15 नेपाली शैक्षणिक संस्थाओं को भाषावार मान्यता दी गई है।

ग. बताया गया है कि 30 जून, 2013 तक भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में मान्यता देने हेतु कोई आवेदन लंबित नहीं है।

19.8 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

क. प्राथमिक तथा माध्यमिक भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को सहायता–अनुदान की संस्वीकृति के लिए नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों तथा इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के संबंध में कोई सूचना नहीं प्रदान की गई है।

ख. बताया गया है कि भाषाई अल्पंसख्यक संस्थाओं को वर्ष 2012–13 के लिए भाषावार सहायता–अनुदान जारी किया गया है जिसका ब्यौरा निम्नवत् हैः

स्तर	अल्पसंख्यक भाषा	स्कूलों की संख्या
प्राथमिक	बंगाली, नेपाली	50
उच्च प्राथमिक/मिडिल	बंगाली	10
	नेपाली	13
माध्यमिक	बंगाली	02
उच्च माध्यमिक	नेपाली	02

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

19.9 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत हैः

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
बंगाली	63	2,023	197
नेपाली	12	196	51

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत है :

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
नेपाली	2	–	–

19.10 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत है :

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
बंगाली	63	–	–
नेपाली	13	–	–

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ाये जाने के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

19.11 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10)

क. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत है :

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
बंगाली	63	–	–
नेपाली	13	–	–

ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत है :

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
बंगाली	–	–	–
नेपाली	2	–	–

19.12 उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12)

शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम और विषय के रूप में पढ़ाए जाने से संबंधित सूचना नहीं दी गई है।

19.13 त्रिभाषा सूत्र

त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएँ निम्नवत हैं:

प्रथम भाषा : मिजो
द्वितीय भाषा : अंग्रेजी
तृतीय भाषा : हिंदी

त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत विभिन्न भाषाएँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्नवत है :

भाषा	कक्षा 8	कक्षा 10	कक्षा 12
मिजो	2,243	19,435	10,736
अंग्रेजी	2,243	19,435	10,736
हिन्दी	2,243	19,435	10,736

19.14 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षण के विषय तथा माध्यम के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षको के संस्वीकृत/भरे गए पदों का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	माध्यम के रूप में		विषय के रूप में	
	स्वीकृत	भरे हुए	स्वीकृत	भरे हुए
नेपाली	50	50	नेपाली	नेपाली
बंगाली	10	10	बंगाली	बंगाली

ख. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षण के माध्यम तथा विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कोई व्यवस्था नहीं है।

19.15 अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य–पुस्तकें

क. सूचना दी गई है कि अल्पसंख्यक भाषा में पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में उपलब्ध करा दी जाती है।

ख. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक के लिए पाठ्य–पुस्तकें अर्थात बंगाली माध्यम की पाठ्य–पुस्तकों का प्रापण असम स्टेट टेक्स्ट–बुक्स प्रोडक्शन एंड पब्लिकेशन को–ऑपरेशन से किया जाता है। नेपाली माध्यम की पुस्तकें मेघालय तथा सिक्किम शिक्षा बोर्ड से प्राप्त की जाती हैं।

यह भी बताया गया है कि पाठ्य–पुस्तकों के अलावा, भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है किन्तु इन सभी बच्चों को मानदण्डों तथा बच्चे की पात्रता के अनुसार एस०एस०ए० स्कीम के तहत शामिल किया जा रहा है।

19.16 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

बताया गया है कि भाषाई वरीयता पंजियों का स्कूलों में रख–रखाव नहीं किया जाता है।

19.17 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

19.18 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

राज्य/जिला स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण एवं समीक्षा करने के लिए गठित तंत्र/समिति के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

19.19 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों के प्रचार–प्रसार के संबंध में कोई सूचना नही दी गई है।

19.20 निष्कर्ष / संस्तुतियां

क. राज्य सरकार को महत्वपूर्ण नियमों, विनियमों, सूचनाओं आदि का उन जिलों / तहसीलों में अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद व प्रकाशन सुनिश्चित करना चाहिए जहाँ इनके बोलने वाले इन जिलों / तहसीलों की जनसंख्या के 15 प्रतिशत अथवा इससे अधिक हों।

ख. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं के बारे में विस्तृत ब्यौरा प्रदान करने की आवश्यकता है।

ग. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि अन्तर–विद्यालयीन समायोजन के फलस्वरूप इन विद्यालयों में मातृभाषा / अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण सुगम हो सके।

घ. राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं का राज्य सरकार द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

ड़. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, एक जनपद स्तरीय समिति का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसख्यकों के रक्षोपायों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

च. मिजोरम राज्य सरकार के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि संवैधानिक प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट समय पर तैयार कर प्रस्तुत कर सके।

19.21 मिजोरम राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से तथा कुशलतापूर्वक किया जा सके।

नागालैण्ड 20

भाषाई विवरण

20.1 जनगणना 2001 के अनुसार नागालैण्ड की जनसंख्या 19,90,036 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
आओ	2,57,500	12.94
कोन्याक	2,48,002	12.46
लोथा	1,68,356	8.46
अंगामी	1,31,737	6.62
फोम	1,22,454	6.15
सेमा	92,884	4.67
यिम चुंगरू	92,092	4.63
संगतम्	84,150	4.23
चोकरी	83,506	4.20
चंग	62,347	3.13
जेलियांग	61,492	3.09
बंगाली	58,890	2.96
रेंगमां	58,590	2.94
हिंदी	56,981	2.86
खुझा (खेज़ा)	40,362	2.02
खेईमुंगन	37,752	1.90
नेपाली	34,222	1.72
कुकी	16,846	0.85
असमिया	16,813	0.84
पाचुरी	16,681	0.84
जेमी	10,462	0.53
गारो	1,838	0.09
लियांगमई	1,295	0.07

20.2 जिन जिलों में अल्पसंख्यक भाषाएं 60 प्रतिशत या अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाती हैं, उनका ब्यौरा निम्नवत् है:

जिला	भाषा	प्रतिशतता
मोन	कोन्यक	97.00
लोंगलेंग	फोम	90.00
जुन्हेबोटो	सूमी	89.77
मोवोकचुंग	आओ	86.98

वोखा	लोथा	85.20
पेरेने	जेमे	80.00
कोहिमा	अंगमी	78.00
किफिर	संगमत	70.00

20.3 जिन जिलों में अल्पसंख्यक भाषाएं 15 प्रतिशत या अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाती हैं, उनका ब्यौरा निम्नवत् हैः

जिला	**भाषा**	**प्रतिशतता**
दिमापुर	सूमी	40.00
दिमापुर	आओ	18.00
दिमापुर	अंगमी	15.00
कोहिमा	अंगमी	50.00
कोहिमा	रेंगमा	25.00
किफिर	यिमचूगरू	30.00
किफिर	सूमी	29.00
किफिर	संग्तम	38.00
फेक	चोकरी	50.00
फेक	पोचुरी	30.00
फेक	खेझा	35.00
पेरेन	लियांगमेई	15.00
पेरेन	कूकी	15.00
त्यूनसांग	संग्तम	15.00
त्यूनसांग	चांग	28.00
त्यूनसांग	इक्चुंगरू	16.00
त्यूनसांग	खियाम्नुइनगन	15.00

20.4 **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् हैः

20.5 राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

क. बताया गया है कि महत्वपूर्ण नियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं आदि के अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एंव प्रचार–प्रसार की कोई विशेष व्यवस्था अबतक नहीं है। तथापिं, संबंधित साहित्यिक संस्थाएं/भाषा अधिकारी अपनी–अपनी भाषाओं में महत्वूपर्ण सामग्री का प्रकाशन, अनुवाद करते हैं।

ख. ग्रामीण विद्युत प्रबंधन बोर्ड के लिए (i) आदर्श नियमावली (ii) स्थानीय (अल्पसंख्यक) बोलियों में आर०टी०ई० अधिनियम का भाषावार अनुवाद/ प्रचार–प्रसार किया जाता है।

ग. राज्य सरकार ने सूचना दी है कि अल्पसंख्यक भाषाओं में शिकायतों के निवारण हेतु अभ्यावेदनों को अल्पसंख्यक भाषाओं में प्राप्त करने के लिए मौजूदा कोई आदेश नहीं है।

20.6 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. बताया गया है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए राजभाषा अर्थात अंग्रेजी का ज्ञान पूर्वापेक्षित है।

ख. राज्य सेवाओं के लिए प्रश्नपत्रों के उत्तर देने के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं के प्रयोग की अनुमति नहीं दी गई है।

ग. राज्य सरकार ने सूचना दी है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के समय कोई अधिवासीय प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं।

20.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

क. सूचना दी गई है कि राज्य में कोई विशिष्ट भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था नहीं है।

ख. राज्य सरकार ने सूचित किया गया है कि 30 जून, 2013 तक कोई मान्यताप्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था नहीं है।

ग. बताया गया है कि 30 जून, 2013 तक भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में मान्यता देने हेतु कोई आवेदन लंबित नहीं है।

20.8 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

क. बताया गया है कि सहायता–अनुदान साहित्य समिति को, न कि भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को जारी किए जाते हैं।

ख. राज्य सरकार ने सूचना दी है कि वर्ष 2012–13 के दौरान किसी भी भाषाई अल्पसंख्यक संस्था को भाषावार सहायता–अनुदान नहीं दिया गया है।

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

20.9 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पंसख्यक भाषाएं शिक्षण के माध्यम हैं जिसका ब्यौरा निम्नवत् हैं:

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
आओ	192	12,316	1,754
अंगमी	104	5,900	872
चोकरी	106	9,247	452
चांग	65	5,274	987
कोन्यक	162	25,271	868

खियाम्नुइनगन	51	5,758	261
कूकी	19	1,869	78
खेजा	22	2,157	154
लोथा	149	9,028	934
लियांगमेई	14	235	68
फोम	68	8,216	485
पोचुरी	35	2,163	186
रेंगमा	51	2,891	257
सेमा	362	15,185	2,530
संग्तम	68	5,727	257
इमचुंगरू कुझा	68	5,751	235
जेमी	116	5,434	426

ख. बताया गया है कि उपर्युक्त अल्पसंख्यक भाषाएं एक विषय के रूप में भी पढ़ाई जाती हैं।

20.10 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

क. सूचित किया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा अनिवार्यतः शिक्षण का माध्यम नहीं है। राजभाषा अर्थात अंग्रेजी का सामान्य तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।

ख. राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अल्पसंख्यक भाषाएं विषय के रूप में पढ़ाई जाती हैं, शिक्षण के माध्यम के रूप में नहीं। हालांकि, इनके आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

20.11 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)

क. सूचित किया गया है कि शिक्षण के माध्यम के रूप में किसी भी अल्पसंख्यक भाषा का अनिवार्यतः इस्तेमाल नहीं किया जाता है। माध्यमिक स्तर पर मुख्यतः राजभाषा अर्थात अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है।

ख. बताया गया है कि आओ, लोथा, सूमी, तेनाइदी तथा हिंदी को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तथापि, उसने संबंधित आंकड़े नहीं दिए गए हैं। यह भी बताया गया है कि उपर्युक्त अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए उनकी अलग से कोई शैक्षणिक संस्था नहीं है। ऐसे प्रत्येक स्कूल जहां भाषाई अल्पसंख्यक छात्र पढ़ना चाहते हैं, में यह सुविधा दी जाती है तथा ऐसे स्थानीय शिक्षकों के जरिए उनके लिए भाषाई शिक्षकों की व्यवस्था की जाती है जो इस क्षेत्र में अधिक प्रवीण होते है।

20.12 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

क. सूचना दी गई कि अलग से ऐसी कोई शैक्षणिक संस्था नहीं है जहां अल्पसंख्यक भाषा शिक्षण का माध्यम है।

ख. सूचित किया गया है कि आओ, लोथा, सूमी, तेनाइदी तथा हिंदी को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तथापि, उनसे संबंधित आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

20.13 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएं निम्नवत् हैं:

प्रथम भाषा	:	मातृभाषा
द्वितीय भाषा	:	अंग्रेजी
तृतीय भाषा	:	हिन्दी

ख. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शामिल कक्षा 8, 10 और 12 के छात्रों का विवरण निम्नवत है:

भाषा	कक्षा 8	कक्षा 10	कक्षा 12
आओ	1,311	641	68
लोथा	1,562	762	102
सूमी	1,213	548	58
तेनाइदी	2,412	1,613	635
हिंदी	7,767	1,079	401

कक्षा 8 (आठवीं) तक हिंदी अनिवार्य कर दी गई है।

20.14 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षकों के संबंध में बताया गया है कि निधि संबंधी सीमाबद्धता के कारण अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षकों के कुछ ही स्वीकृत पद हैं। यह भी बताया गया है कि आन्तरिक व्यवस्था के जरिए हिंदी पढ़ाई जाती है।

ख. अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था के संबंध में सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था संबंधित भाषा साहित्य बोर्ड द्वारा की जाती है।

ग. राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के आदान–प्रदान/राज्य में शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

20.15 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

क. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में उपलब्ध कराई जाती हैं।

ख. अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य–पुस्तकों को तैयार तथा प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी एंजेसी के संबंध में सूचित किया गया है कि स्थानीय मुद्रणालय द्वारा इसकी आन्तरिक रूप से व्यवस्था की जाती है।

20.16 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

20.17 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

क. राज्य सरकार ने बताया है कि 5(पांच) भाषाई अल्पसंख्यकों अर्थात आओ, लोथा, सूमी, तेनाइदी तथा हिंदी, जिन्हें विश्वविद्यालय स्तर तक शैक्षणिक सुविधाएं प्राप्त

है, के अलावा शेष 13(तेरह) भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को कक्षा 8 (आठ) तक सुविधाएं प्राप्त हैं तथा उन्हें उच्चतर कक्षाओं के लिए पाठ्य–पुस्तक तैयार करने का अनुदेश दिया जाता है। उन्हें अपनी भाषा के शब्दकोश तैयार करने/संकलित करने के लिए अनुस्मरण कराया जाता है।

ख. अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए सरकार द्वारा स्थापित अकादमियों का विवरण निम्नवत् है :

भाषा	अकादमी का नाम	स्थापना तिथि	2011–12 के लिए बजट
आओ	आओ साहित्य बोर्ड	1946	50,000/-
तेनाइदी अंगामी	तेनाइदी अंगामी साहित्य बोर्ड	1939	50,000/-
चोकरी	चोकरी साहित्य बोर्ड	1970	50,000/-
चांग	चांग साहित्य बोर्ड	1962	50,000/-
खेजा	खेजा साहित्य बोर्ड	1963	50,000/-
कोन्यक	कोन्यक साहित्य बोर्ड	1968	50,000/-
खियाम्नुइनगन	खियाम्नुइनगन साहित्य बोर्ड	1973	50,000/-
कूकी	कूकी साहित्य बोर्ड	1968	50,000/-
लोथा	लोथा साहित्य बोर्ड	1937	50,000/-
लियांगमेई	लियांगमेई साहित्य बोर्ड	1979	50,000/-
फोम	फोम साहित्य बोर्ड	1962	50,000/-
पोचुरी	पोचुरी साहित्य बोर्ड	1989	50,000/-
रेंगमा	रेंगमा साहित्य बोर्ड	1950	50,000/-
सेमा	सेमा साहित्य बोर्ड	1947	50,000/-
संगतम	संगतम साहित्य बोर्ड	1956	50,000/-
यिमचूगरू	यिमचूगरू साहित्य बोर्ड	1951	50,000/-
जेमी	जेमी साहित्य बोर्ड	1966	50,000/-

20.18 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायो के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण एवं समीक्षा करने हेतु राज्य स्तर पर कोई तंत्र/समिति नहीं है।

20.19 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

क. राज्य सरकार ने सूचना दी है कि रक्षोपायों के बारे में भाषाई अल्पसंख्यकों को सूचित करने के लिए डी०आई०पी०आर० है। तथापि, सर्वोत्तम जानकारी संबंधित भाषा अधिकारियों (एल०ओ०) के जरिए प्रदान की जाती है।

ख. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों के बारे में सहित्य समिति, स्थानीय समाचार–पत्र, आकाशवाणी, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, संबंधित अल्पसंख्यकों के भाषा अधिकारियों द्वारा जागरूकता पैदा की जाती है।

ग. सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए पर्चियों अधिकाशतः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, आपदा प्रबंधन, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय द्वारा प्रकाशित की जाती हैं।

20.20 निष्कर्ष / संस्तुतियां

क. जिन जिला / तहसील / तालुका / नगर–पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, नियमों, विनियमों, सूचनाओं आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

ख. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ग. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने और ऐसे संस्थाओं को अनुदान प्रदान करने के संबंध में संवैधानिक प्रावधान को लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

घ. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों का रख–रखाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में शिक्षा के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा / अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण प्रदान करने के लिए अन्तर– विद्यालय समायोजनों को सुगम बनाया जा सके।

ड़. राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

च. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

छ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, "एक जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जाना चाहिए जिससे कि भाषाई अल्पसख्यंकों के रक्षोपायों का प्रभावकारी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

ज. नागालैण्ड राज्य सरकार द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति पर संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा संविधान के अनुच्छेद 350 बी (2) में यथा अधिदेशित रिपोर्ट समय पर तैयार तथा प्रस्तुत की जा सके।

12.6 नागालैण्ड राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से किया जा सके।

ओडिशा 21

भाषाई रूपरेखा

21.1 जनगणना–2001, के अनुसार ओडिशा की जनसंख्या 3,68,04,660 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् हैः

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
उड़िया	3,05,63,507	83.04
हिन्दी	10,43,243	2.83
कुई	9,14,953	2.49
तेलुगु	7,12,614	1.94
संथाली	6,99,270	1.90
उर्दू	6,11,509	1.66
बंगाली	4,90,857	1.33

21.2 राज्य सरकार द्वारा उन जिलों के संबंध में कोई सूचना नहीं प्रदान की गई है जहाँ 60 प्रतिशत या उससे अधिक अल्पसंख्यक भाषा–भाषी हो।

21.3 निम्नलिखित अल्पसंख्यक भाषाएँ जिले की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं

जिला	तहसील/तालुक/नगरपालिका	भाषा	प्रतिशतता
कंधमाल	–	कुई	–
मयूरभंज	–	संथाली	–
सुंदरगढ़	–	हिंदी	–

21.4 **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा ओड़िया है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् हैः

21.5 राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

क. राज्य सरकार ने राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में नियमों, विनियमों और सूचनाओं आदि के अनुवाद और प्रकाशन की व्यवस्था की कोई सूचना नहीं प्रदान की है।

ख. भाषाई अल्पसंख्यकों के शिकायतों के निवारणार्थ अल्पसंख्यक भाषाओं में लिखे अभ्यावेदन स्वीकार करने और उनके उत्तर देने के बारे में जानकारी नहीं दी गई है।

21.6 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. राज्य की सेवाओं में भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषा के ज्ञान की पूर्वापेक्षा होने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख. राज्य सरकार ने राज्य सेवा की परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों के उत्तर लिखने हेतु अल्पसंख्यक भाषा के प्रयोग संबंधी कोई सूचना नहीं दी है।

ग. राज्य सेवाओं में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबंध लागू होने के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

21.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

क. सूचना दी गई है कि ओडिशा शिक्षा अधिनियम, 1969 के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी, प्राथमिक विद्यालयों के लिए, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक विद्यालयों के लिए, माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं।

ख. सूचित किया गया है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्राथमिक स्तर पर 78 सहायता–प्राप्त मदरसे, 124 ब्लाक सहायता–प्राप्त मदरसे, 22 अपग्रेडेड मदरसे एवं 31 मान्यता–प्राप्त गैर–सहायता प्राप्त मदरसे, माध्यमिक स्तर पर 4 सहायता–प्राप्त मदरसे, 1 सरकारी मदरसा और 3 उर्दू माध्यम के हाई स्कूलों को भाषाई अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

ग. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता हेतु 45 आवेदनों की जा रही है।

21.8 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

क. भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान देने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

21.9 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5)

राज्य सरकार ने शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा के विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने के बारे मे कोई सूचना नहीं दी है।

21.10 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

क. उच्च प्राथमिक (मिडिल) स्तर पर, जहां अल्पसंख्यक भाषाएं शिक्षण का माध्यम हैं, उनका विवरण निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू (मदरसा)	13	1,040	26

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर एक विषय के रूप में पढ़ाई जाने वाली अल्पसंख्यक भाषा का विवरण निम्नवत् हैः–

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू (मदरसा)	53	1,073	53

21.11 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)

क. माध्यमिक शिक्षा स्तर पर उर्दू भाषा शिक्षण का माध्यम है जिसका विवरण निम्नवत है:

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू मदरसा	8	1,932	63

ख. निम्नलिखित अल्पसंख्यक भाषाएं शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती हैं:

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू	150	4,515	150

21.12 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

शिक्षण के माध्यम एवं विषय के रूप में अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ाए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं प्रदान की गई है।

21.13 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएं निम्नवत् हैं:

प्रथम भाषा	:	उड़िया/उर्दू/तेलुगु/बंगाली
द्वितीय भाषा	:	अंग्रेजी सभी के लिए अनिवार्य भाषा
तृतीय भाषा	:	हिन्दी/संस्कृत/फारसी

ख. त्रिभाषा सूत्र के तहत कक्षा 8, 10 तथा 12 में विभिन्न भाषाएं पढ़ने वाले विद्यार्थियों का विवरण नहीं दिया गया है।

21.14 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षकों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

21.15 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

क. उर्दू में पाठ्य–पुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करने और प्रकाशित करने के लिए अभिकरण कादरी कुतुबखाना, राउरकेला है। तेलुगु और बंगाली के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य–पुस्तकों की आपूर्ति क्रमशः आन्ध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से परस्पर आदान–प्रदान के आधार पर की जाती है। कक्षा 1 और 2 के लिए संथाली भाषा की पाठ्य–पुस्तकें लक्ष्मी प्रेस, कटक में तैयार एवं मुद्रित की जाती हैं।

ख. सूचित किया गया है कि कक्षा 8 तक अल्पसंख्यक भाषाई छात्रों की पाठ्य–पुस्तकों को आपूर्ति निःशुल्क की जाती है।

21.16 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

सूचित किया गया है कि विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव किया जाता है।

21.17 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

ऐसा बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन और विकास के लिए निजी सहायता–प्राप्त/गैर–सहायता–प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास, तथा मदरसों में उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना लागू है। राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन हेतु अकादमियों की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित सूचना दी है :

भाषा	अकादमी का नाम	स्थापना तिथि	2011–12 के लिए बजट
उर्दू	ओडिशा स्टेट बोर्ड आफ मदरसा एजूकेशन (एस.एण्ड एम.ई. विभाग के अधीन)	31.08.1971	8000/– (एस०एंड एम०ई० विभाग के अधीन

21.18 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

21.19 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

राज्य सरकार ने संवैधानिक उपचारों तथा रक्षोपायों के प्रचार–प्रसार के बारे में कोई सूचना नहीं दी है।

21.20 निष्कर्ष / संस्तुतियां

क. उन जिलों / तहसील / तालुका / नगर पालिका जहां की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले हो वहां राज्य सरकार द्वारा नियमों, विनियमों, सूचनाओं आदि का अनुवाद एवं प्रकाशन भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

ख. शिकायतों के निवारण के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं में लिखे अभ्यावेदन प्राप्त करने और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में उनके उत्तर देना सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।

ग. राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दिए जाने की आवश्यकता है।

घ. उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रचार–प्रसार हेतु राज्य सरकार द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

ङ राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण एवं समीक्षा करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। वरीयता के आधार पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के, स्थानीय सांसद को सहयोजित किया जा सकता है ताकि उक्त राज्य–स्तरीय समिति समावेशी व संतुलित बनी रहे। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसख्यकों के रक्षोपायों का प्रभावकारी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। वरीयता के आधार पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के स्थानीय विधायक को सहयोजित किया जा सकता है।

च. ओडिशा राज्य सरकार के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है ताकि यह संवैधानिक संस्था समय पर रिपोर्ट तैयार तथा प्रस्तुत कर सके।

21.21 ओडिशा राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाए जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से तथा कुशलतापूर्वक किया जा सके।

सिक्किम 22

भाषाई रूपरेखा

22.1 जनगणना–2001 के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 5,40,851 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् हैः

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
नेपाली	3,38,606	62.61
भोटिया	41,825	7.73
हिन्दी	36,072	6.67
लेपचा	35,728	6.61
लिम्बू	34,292	6.34
शेरपा	13,922	2.57
तमंग	10,089	1.87
राई	8,856	1.64

22.2 क. **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है।

ख. **अतिरिक्त राजभाषा** : बताया गया है कि राज्य की परंपरा एवं संस्कृति के संरक्षण की दृष्टि से भोटिया, गुरूंग, लेप्चा, लिम्बू, मंगेर, मुखिया, नेवारी, राई, शेरपा, तथा तमंग की पहचान राज्य की अतिरिक्त राजभाषाओं के रूप में की गई है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् है :

22.3 राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

क. बताया गया है कि कोई भी भाषा राज्य के अल्पसंख्यक भाषा के रूप में चिन्हित नहीं है।

ख. यह भी बताया गया है कि जिन क्षेत्रों/जिलों/तहसीलों/तालुकों/नगर–पालिकाओं में अल्पसंख्यक भाषा–भाषी वहां की आबादी के 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहाँ नियमों, विनियमों, सूचनाओं आदि का अनुवाद एवं प्रकाशन अल्पसंख्यक भाषा में करने की व्यवस्था नहीं हैं।

ग. बताया गया है कि शिकायतों के निवारणार्थ अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को प्राप्त करने तथा उनका उसी भाषा में उत्तर देने हेतु कोई आदेश नहीं जारी किया गया है।

22.4 राज्य सेवाओं में भर्ती

क बताया गया है कि राज्य की सेवाओं में भर्ती के लिए क्षेत्रीय/राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित है।

ख. यह भी बताया गया है कि राज्य की सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को भाषा विषयों के प्रश्न–पत्रों के उत्तर उनकी अपनी भाषाओ में देने की अनुमति दी गई है।

ग. सूचना दी गई है कि राज्य की सेवाओं में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबंध लागू होते हैं।

22.5 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

क. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए कोई नियम/विनियम/दिशा–निर्देश नहीं बनाए गए हैं।

ख. सूचित किया गया है कि किसी भी भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को मान्यता नहीं दी गई है तथा 30 जून, 2012 तक भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में मान्यता देने हेतु कोई भी आवेदन लंबित नहीं है।

22.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान मंजूर करने के संबंध में कोई नियम/विनियम/दिशानिर्देश नहीं बनाए गए हैं। यह भी बताया गया है कि संदर्भाधीन अवधि के दौरान किसी भी संस्था को भाषाई अल्पसंख्यक दर्जे के आधार पर सहायता–अनुदान नहीं दिए गए हैं।

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

22.7 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा/मातृभाषा को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाने की सुविधा के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
भोटिया	184	संख्या नहीं दी गई है	328
लेप्चा	184		262
लिम्बू	175		200
नेवारी	08		08
गुरूंग	10		10
मंगेर	06		06
मुखिया	04		04
राई	14		14
शेरपा	10		10
तमंग	08		08

22.8 उच्च प्राथमिक स्तर (6 से 8 तक)

सूचना दी गई है कि शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषाएं शिक्षण के माध्यम के रूप नहीं पढ़ाई जा रही हैं। तथापि, बताया गया है कि प्राथमिक स्तर के भाषाई शिक्षक इन भाषाओं को उच्च प्राथमिक स्तर अर्थात कक्षा 8 तक पढ़ाते हैं।

22.9 माध्यमिक स्तर (9 से 10 तक)

क. बताया गया है कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर किसी भी अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षण के माध्यम के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

ख. निम्नलिखित अल्पसंख्यक भाषाएं एक विषय के रूप मे पढ़ाई जाती हैं:–

भाषा	विद्यालय	शिक्षक
भोटिया	76	69
लेपचा	62	53
लिम्बू	53	48

22.10 उच्चतर माध्यमिक स्तर (11 से 12)

क. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर किसी अल्पसंख्यक भाषा/मातृभाषा को शिक्षण के माध्यम के रूप में नही पढ़ाया जा रहा है।

ख. निम्नलिखित अल्पसंख्यक भाषाओं को उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है:

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
भोटिया	24	संख्या नहीं दी गई है	24
लेप्चा	13		13
लिम्बू	10		10

22.11 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएँ हैं:

प्रथम भाषा : अंग्रेजी
द्वितीय भाषा : क्षेत्रीय भाषाएं
तृतीय भाषा : हिंदी

ख. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शामिल कक्षा 8, 10 और 12 के छात्रों की संख्या निम्नवत् है:

भाषा	कक्षा 8	कक्षा 10	कक्षा 12
भोटिया	295	341	218
लेप्चा	484	515	301
लिम्बू	302	443	302

22.12 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा को एक विषय या शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाए जाने के लिए वर्ष 2011–12 में शिक्षकों के 153 पद संस्वीकृत किए गए हैं।

ख अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

22.13 अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य–पुस्तकें

क. बताया गया है कि पाठ्य–पुस्तकें एवं अन्य शिक्षण सामग्री शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में ही सभी भाषाओं में उपलब्ध करा दी जाती हैं। पाठ्य–पुस्तकें प्रतिस्पर्धात्मक/रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

ख. बताया गया है कि मानव संसाधन विकास विभाग (एच०आर०डी०डी०) का पाठ्य–पुस्तक एकक भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य–पुस्तकों तथा अन्य शिक्षण सामग्री का प्रापण करने वाला अभिकरण है।

22.14 स्कूलों में 'भाषागत वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

विद्याालयों में भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की 'भाषागत वरीयता' दर्ज करने हेतु 'भाषागत वरीयता पंजियों' का रख–रखाव नहीं किया जा रहा है।

22.15 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा के संवर्धन की कोई योजना नहीं है। तथापि, सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए गठित भाषाई अकादियों का ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

भाषा	अकादमी का नाम	कब स्थापित हुई	वर्ष 2012–13 का बजट (लाख में)
नेपाली, भूटिया, लेप्चा, लिम्बू, गुंरग, मंगेर, मुखिया, नेवार, राई, शेरपा, तंमग	सिक्किम अकादमी	2002	15

22.16 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की निगरानी तथा समीक्षा करने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

22.17 संवैधानिक अधिकार एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

रक्षोपायों के प्रचार–प्रसार की सुविधा के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

22.18 निष्कर्ष / संस्तुतियां

क. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकें की मौजूदगी को समझने की आवश्यकता है। राज्य सरकार को अल्पसंख्यक / जनजाति भाषाओं को संसाधन के रूप में मानना चाहिए और इसलिए इन भाषाओं को विलुप्त होने से बचाने के लिए शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा (मातृभाषाओं) में शिक्षा प्रदान करने की सुविधाओं की व्यवस्था करके इन भाषाओं का संर्वधन तथा संरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य सरकार को सी.आई.आई.एल. के सहयोग से लिपिविहीन भाषाओं के लिए उपयुक्त लिपि तैयार करने / अपनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि उन्हें संरक्षित किया जा सके।

ख. जिन जिला / तहसील / तालुका / नगर–पालिका में भाषाई अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 15% या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

ग. राज्य सरकार को राज्य सेवा में भर्ती के समय राज्य की क्षेत्रीय भाषा और राजभाषा के पूर्वज्ञान पर जोर नहीं देना चाहिए, न ही राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए अधिवासीय प्रतिबंध लगाने चाहिए ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों को राज्य में रोजगार के मामलों में समान अवसर प्राप्त हो सके। राज्य सरकार को अभ्यर्थियों को राजभाषा सीखने के लिए नियत परिवीक्षाधीन अवधि में पर्याप्त समय प्रदान करना चाहिए।

घ. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण हेतु पर्याप्त सुविधाएं देने के लिए संवैधानिक रक्षोपायों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

ड. राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या सहित भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

च राज्य सरकार से अनुरोध है कि अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में विस्तृत सूचना प्रदान करें।

छ. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि अन्तर–विद्यालयीन समायोजन के फलस्वरूप इन विद्यालयों में मातृभाषा / अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण सुगम हो सके।

ज. राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं का राज्य में व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

झ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसख्यकों के रक्षोपायों का प्रभावकारी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

ञ. सिक्किम राज्य सरकार के नोडल अधिकारी से अनुरोध है कि वे आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर, का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित करें ताकि संवैधानिक प्राधिकारी नियत समय पर अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।

22.19 सिक्किम राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से तथा कुशलतापूर्वक सुनिश्चित किया जा सके।

त्रिपुरा 23

भाषाई रूपरेखा

23.1 जनगणना–2001 के अनुसार त्रिपुरा की जनसंख्या 31,99,203 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् हैः

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
बंगाली	21,47,994	67.14
त्रिपुरी / कोकबोरोक	8,14,375	25.46
हिंदी	53,691	1.68
मोघ	28,850	0.90
उड़िया	23,899	0.75
विष्णुप्रिया मणिपुरी	21,716	0.68
मणिपुरी	20,716	0.65
हलाम	17,990	0,56
गारो	11,312	0.35

23.2 **राज्य की राजभाषाएँ :** राज्य की राजभाषाएं बंगाली, कोकबोरोक और अंग्रेजी हैं।

23.3 राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ऐसा कोई जिला नही है जहां की जनसंख्या के 60 प्रतिशत या इससे अधिक लोगों द्वारा अल्पसंख्यक भाषाएं बोली जाती हैं। तथापि, कोकबरोक भाषा जिले की जनंसख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक द्वारा निम्नवत् बोली जाती हैः

जिला	भाषा भाषी	प्रतिशतता
ढोलाई	कोकबोरोक	54.00
दक्षिण त्रिपुरा	कोकबोरोक	37.72
उत्तर त्रिपुरा	कोकबोरोक	25.46
पश्चिम त्रिपुरा	कोकबोरोक	25.00

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नलिखित है :

23.4 राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

क. सूचना दी गई है कि महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, आदेशों एवं अधिसूचनाओं इत्यादि के कोकबोरोक भाषा में अनुवाद एवं प्रचार–प्रसार की व्यवस्था की गई है।

ख. सूचित किया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान, राज्य मिशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, द्वारा कोकबोरोक में जागरूकता संबंधी पर्ची प्रकाशित की गई तथा आई०सी०ए० विभाग कोकबोरोक भाषा में विज्ञापन, जागरूकता संबंधी पर्चियां प्रकाशित करता है।

ग. ऐसा सूचित किया गया है कि शिकायतों के निवारण हेतु अभ्यावेदन प्रायः अल्पसंख्यक भाषा में प्राप्त किए जाते हैं तथा उनपर कार्रवाई की जाती है। तथापि उनके उत्तर उसी अल्पसंख्यक भाषा में देने के लिए प्रयास किए जाने की सूचना भी दी गई है।

23.5 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. बताया गया है कि राज्य की सेवाओं में भर्ती के लिए क्षेत्रीय/राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित है।

ख. सूचित किया गया है कि राज्य की सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाओं के प्रश्नों का उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में देने की अनुमति नहीं है।

ग. राज्य की सेवाओं में भर्ती के लिए अधिवासीय प्रतिबंध अंशतः लागू होते हैं।

23.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

राज्य सरकार ने भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता दिए जाने के लिए नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों तथा नाम–निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के बारे में कोई सूचना नहीं दी है।

23.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सहायता–अनुदान

स्कूल शिक्षा विभाग प्राथमिक तथा माध्यमिक भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकरण है। तथापि, इस संबंध में कोई आंकड़े नहीं प्रस्तुत किए गए है।

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

23.8 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ाए जाने की सुविधाओं के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई हैं।

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
विष्णुप्रिया मणिपुरी	36	4,451	72
चकमा	58	5,472	29
हलम	90	850	45
मणिपुरी	22	1,626	22
कुकी–मिजो	17	250	17
योग	37	445	37

23.9 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ाये जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
कोकबोरोक	46	7,650	80

23.10 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10)

क. शिक्षा के उच्च माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ाये जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षा के विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
कोकबोरोक	46	7,650	80

23.11 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12)

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षा के माध्यम तथा विषय के रूप में पढ़ाये जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

23.12 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत निम्नलिखित भाषाएं पढ़ाई जाती हैं:

प्रथम भाषा : बंगाली/कोकबोरोक/विष्णुप्रिया मणिपुरी/चकमा
द्वितीय भाषा : अंग्रेजी
तृतीय भाषा : अरबी/हिन्दी/संस्कृत

ख. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत कक्षा 8, 10 तथा 12 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्नवत् है :

भाषा	कक्षा 8	कक्षा 10	कक्षा 12
कोकबोरोक	2,530	शून्य	शून्य

23.13 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. कोकबोरोक भाषा को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों का विवरण निम्नवत है :

भाषा	माध्यम के रूप में	
	स्वीकृत पद	भरे हुए पद
कोकबोरोक	2,517	2,517

ख. कोकबोरोक भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ाने हेतु, अध्यापकों के प्रशिक्षण का विवरण निम्नवत है :

प्रशिक्षण संस्थान	अल्पसंख्यक भाषा	
	माध्यम के रूप में	विषय के रूप मं
जिला शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान (डायट) अगरतला, कमालपुर, काकराबन, कैलाशहर	—	कोक–बोरोक

23.14 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

ऐसा सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें और अन्य शैक्षणिक सामग्री तैयार कराने और प्रकाशित कराने हेतु एस०सी०ई०आर० टी०, त्रिपुरा प्रमुख अभिकरण है। कक्षा 8 तक सभी विद्यार्थियों को पाठ्य–पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। यह भी सूचित किया गया है कि पाठ्य–पुस्तकें शैक्षणिक सत्र की शुरूआत में ही उपलब्ध करा दी जाती हैं।

23.15 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की भाषाई वरीयता दर्ज करने के लिए 'भाषाई वरीयता पंजियों' के रख–रखाव के विषय में सूचना दी गई है कि छात्र सामान्यतः अपनी पंसद के अनुसार भाषा का चयन करते हैं।

23.16 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

क. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं को संबंधित सलाहकार समिति के निर्णयानुसार बढ़ावा दिया जा रहा है।

ख. अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित अकादमियों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

23.17 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

क. ऐसा बताया गया है कि संबंधित भाषाओं की सलाहकार समितियां स्थापित की गई हैं।

ख. यह भी बताया गया है कि संबंधित समिति (समितियों) की अध्यक्षता में प्रायः बैठकें आयोजित की जाती हैं।

23.18 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

सूचना दी गई है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को, उन्हें उपलब्ध सुविधाओं और रक्षोपायों के बारे में जानकारी देने के लिए संबद्ध भाषा सलाहकारी समिति तंत्र है। आई०सी०ए० विभाग पर्चियों, विज्ञापनों आदि को प्रकाशित करता है जबकि दूसरे विभाग भी भाषाई अल्पसंख्यक के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के विस्तृत विवरण वाली पर्चियां, विज्ञापन इत्यादि प्रकाशित करते हैं।

23.19 निष्कर्ष / संस्तुतियां

क. राज्य सरकार को उन क्षेत्रों / जिला / तहसील / तालुका / नगर–पालिका, जहां की कुल जनसंख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक लोग अल्पसंख्यक भाषा–भाषी हैं, वहां भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

ख. राज्य सरकार को राज्य की सेवाओं में भर्ती के समय राज्य की क्षेत्रीय / राजभाषा के पूर्व ज्ञान पर, जोर नहीं देना चाहिए ताकि राज्य में रोजगार के मामले में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकार को, अभ्यर्थियों को निर्धारित परिवीक्षा अवधि के भीतर राजभाषा सीखने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना चाहिए।

ग. राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना से यह स्पष्ट नहीं है कि शिक्षा के प्राथमिक / उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा है या नहीं।

घ. अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम एवं विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए जैसा कि कोकबोरोक की मामले में किया जाता है।

ड. राज्य सरकार को राज्य की सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों का उत्तर अल्पसंख्यक भाषा में देने के लिए अनुमति प्रदान करने पर विचार करना चाहिए।

च. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में शिक्षा के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा / अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण प्रदान करने हेतु अन्तर–विद्यालयीन समायोजन को सुगम बनाया जा सके।

छ. राज्य सरकार को राज्य में सभी अल्पसंख्यक भाषाओं / जनजातीय भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है।

ज. त्रिपुरा सरकार के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है ताकि संवैधानिक प्राधिकारी भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को नियम समय पर अपनी रिपोर्ट पेश कर सकें।

23.20 त्रिपुरा सरकार से अनुरोध है कि ऊपर दिए गए बिन्दुओं को ध्यान में रखे और राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी एवं सक्षमतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपचारी उपाय करे।

पश्चिम बंगाल 24

भाषाई रूपरेखा

24.1 जनगणना–2001, के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 8,01,76,197 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् हैः

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
बंगाली	6,83,69,255	85.27
हिंदी	57,47,099	7.17
संथाली	22,47,113	2.80
उर्दू	16,53,739	2.06
नेपाली	10,22,725	1.28
उड़िया	1,86,391	0.23

24.2 **राज्य की राजभाषा** : राज्य की राजभाषा बंगाली है। यह भी सूचित किया गया है कि दार्जिलिंग जिले के दार्जिलिंग तथा कुर्सियांग अनुमण्डलों में बंगाली और नेपाली को राजभाषाएं घोषित किया गया है।

अतिरिक्त राजभाषा : बताया गया है कि हिंदी, उर्दू, संथाली, उड़िया तथा पंजाबी को राज्य में अतिरिक्त राजभाषाओं के रूप में घोषित किया गया है।

24.3 बताया गया है कि दार्जिलिंग जिले के 60% या उससे अधिक जनसंख्या द्वारा नेपाली भाषा बोली जाती है।

24.4 जनपद/तहसील/तालुका/नगरपालिका की जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) के 15 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली अल्पसंख्यक भाषाओं का विवरण निम्नवत् हैः

जिला	तहसील/तालुका/नगरपालिका	भाषा	प्रतिशतता
दार्जिलिंग	माटीगारा	हिंदी	20.60
	नकस्लबाड़ी		29.84
	खड़ीबाड़ी		16.34
जलपाईगुड़ी	माल	हिंदी	32.16
	मटियाल		43.55
	नागराकाटा		50.25
	मदारीहाट		38.49
	कल्चिनी		44.22
	कुमाग्राम		17.87
	घूपगुरी		24.44

उत्तर दिनाजपुर	चोपड़ा	हिंदी	33.87
	इस्लामपुर		43.58
	गोलपोखर–I		26.97
	गोलपोखर–II		20.84
मालध	हरिशचन्द्र–II	हिंदी	16.02
	रउता–I		16.54
	मनिक्चक		20.82
बर्धमान	सालनपुर	हिंदी	22.84
	जमुरिया		19.11
	रानीगंज		33.88
	ओन्डाल		34.11
	पांण्डाबेश्वर		41.14
हूगली	चिन्सौर–मागरा	हिंदी	20.14
पुरूलिया	जयपुर	हिंदी	40.33
	जालदा–I		58.88
	जालदा–II		25.28
दाक्सिन	बंसीहारी	संथाली	15.73
मालध	गजोल	संथाली	17.36
	बामंगगोला		16.61
	हबीबपुर		27.92
बरभुम	मोहम्मद बाजार	संथाली	17.23
	बेलपुर श्रींकीटन		16.53
बर्धमान	मेमारी–II	संथाली	15.98
बनकुरा	सलटोरा	संथाली	16.89
	छातना		19.81
	हरिबंध		18.17
	संरेगा		18.32
	रानीबंध		33.09
	रायपुर		23.19
पुरूलिया	नेतउरा	संथाली	21.47
	संतूरी		30.41
	काशीपुर		20.46
	हुरा		16.72
	बलरामपुर		19.62
	मानबाजार–II		35.80
	बंधवान		29.88
मेदनीपुर	बिनपुर–II	संथाली	27.48
	बिनपुर–I		24.00
	गरबेता–II		19.52
	जंमबोनी		23.38
	गोपीबल्लभपुर–I		22.29
	नयाग्राम		29.83
	केशरी		17.26

जलपाईगुड़ी	नागराकाटा	संथाली	16.57
	मदिरिहट		25.45
	कल्चीनि		27.11
दार्जिलिंग	कलिम्पोंग (एम)	संथाली	16.57
	सिलीगुड़ी (एम० कार्प०) (पार्ट)		34.34
जलपाईगुड़ी	माल (एम)	संथाली	27.10
	सिलीगुड़ी (एम० कार्प०) (पार्ट)		15.06
कोक बेहार	कोक बिहार (एम)	संथाली	15.50
उत्तर दिनाजपुर	इस्लामपुर (एम)	संथाली	19.70
	कालियागंज (एम)		17.16
बर्धमान	जमुरिया (एम)	संथाली	29.96
	कुल्ती (एम)		36.08
	रानीगंज (एम)		40.25
	आसनसोल (एम० कार्प०)		30.33
	दुर्गापुर (एम० कार्प०)		19.66
उत्तरी 24 परगना	कांचरापारा (एम)	संथाली	31.89
	हालिसार (एम)		28.03
	नईहाती (एम)		25.25
	भाटापारा (एम)		44.07
	गुरूलिया (एम)		36.57
	उत्तरी बारकपुर (एम)		15.37
	टीटागढ़ (एम)		52.40
	दम दम (एम)		16.53
मेदनीपुर	खड़गपुर (एम)	संथाली	20.53
हावड़ा	बाली (एम)	संथाली	39.12
	हौरा (एम० कार्प०)		27.70
हुगली	तरकेश्वर (एम)	संथाली	16.66
	बंसबेरिया (एम)		22.44
	बंद्रेश्वर (एम)		29.40
	चम्पदानी (एम)		46.48
	सेराम्पोर (एम)		24.79
	रिशरा (एम)		46.58
	कोनागार (एम)		15.92
	उतरपारा कोटरूंग (एम)		24.27
	चंदनागर (एम० कार्प०)		15.45
कोलकता	कोलकता (एम० कार्प०)	संथाली	20.86
दक्षिणी 24 परगना	बुदगे बुदगे (एम)	संथाली	19.70

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् है :

24.5 राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

क. सूचना दी गई है कि बंगाल सरकार ने प्रशासनिक प्रयोजनार्थ उर्दू सहित बंगाल की अल्पसंख्यक भाषाओं को उन क्षेत्रों में द्वितीय भाषा का दर्जा दिया है जहां ये भाषाएं 10 प्रतिशत या अधिक स्थानीय जनसंख्या द्वारा बोली जाती हैं। यह भी सूचित किया जाता है कि इस संबंध में पश्चिम बंगाल विधान सभा में एक विधेयक हाल ही में पारित किया गया है।

ख. ऐसा बताया गया है कि दार्जिलिंग के तीन पर्वतीय अनुमण्डलों में महत्वपूर्ण शासकीय नियमों, आदेशों तथा अधिसूचनाओं, इत्यादि के नेपाली भाषा में अनुवाद और प्रचार–प्रसार की व्यवस्था है।

ग. सूचना दी गई है कि शिकायतों के निवारण के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को स्वीकार करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। यह भी सूचना दी गई है कि जहां तक व्यवहार्य होता है, शिकायतों के निवारण के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं के अभ्यावेदनों के उत्तर उन्हीं भाषाओं में दिए जाते हैं।

24.6 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. सूचित किया गया है कि राज्य की सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अल्पसंख्यक भाषाओं में प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति नहीं दी गई है।

ख. सूचना दी गई है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषा/राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित है।

ग. बताया गया है कि राज्य की सेवाओं में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबंध लगाए जाते हैं और आवेदक भारतीय नागरिक होने चाहिए।

24.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

क. ऐसा बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की मान्यता के लिए नियम एवं विनियम/दिशा निर्देश बहुसंख्यक भाषा वाले विद्यालयों के नियमों एवं विनियमों/दिशा निर्देशों से भिन्न नही हैं। प्राथमिक स्कूलों को विद्यालयी शिक्षा विभाग की संस्तुतियों पर 'पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड' के मार्ग–दर्शन में 'जिला प्राथमिक स्कूल परिषद' द्वारा मान्यता दी जाती है/स्थापित किया जाता है। उसी प्रकार विद्यालयी शिक्षा विभाग की संस्तुतियों पर 'पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड', उच्च प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है। मदरसों को सरकार के अल्पसंख्यक कार्य एवं मदरसा शिक्षा विभाग की संस्तुति पर पश्चिम बंगााल मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। ऐसे विद्यालयों में शिक्षण के माध्यम का निर्णय स्थानीय स्तर के प्राधिकारियों द्वारा संबद्ध स्थान की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। यह भी बताया गया है कि राज्य के किसी बोर्ड या परिषद से संबद्ध भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाएं राज्य सरकार के अल्पसंख्यक एवं मदरसा शिक्षा विभाग से अल्पसंख्यक के दर्जे का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का पात्र है।

ख. राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 3193 भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को भाषावार मान्यता प्रदान की गई है। तथापि, भाषावार आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

ग. समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की मान्यता के लिए लंबित आवेदनों की संख्या के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

24.8 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

क. यह सूचित किया गया है कि पश्चिम बंगाल में स्कूलों/मदरसों की स्थापना सरकार द्वारा स्वयं ही अभिगम्यता के मुद्दे से निपटने के लिए ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता के आधार पर की जाती है। फिर भी, स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रस्ताव लाए जा सकते हैं और उनका मूल्यांकन राज्य द्वारा नियत पहुँच व पड़ोस संबंधी मानकों के अनुसार विभाग द्वारा किया जाता है। ऐसे सभी विद्यालयों को विभाग की संस्तुति पर राज्य सरकार से सहायता–अनुदान के साथ या इसके बगैर मान्यता दी जाती है। यह अल्पसंख्यक भाषा की संस्थाओं पर भी लागू होता है। निजी निकायों/व्यक्तियों के प्रस्तावों का मूल्यांकन अभिगम्यता, पड़ोस तथा ढांचागत सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है और जब किसी संस्था को सरकार द्वारा मान्यता प्रदान करने की संस्तुति की जाती है तो उसे बगैर किसी सहायता–अनुदान के मान्यता प्रदान की जाती है।

ख. यह भी बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम या विषय के रूप में पढ़ने की सुविधाओं से संबंधित निम्नलिखित पैराग्राफ में यथा उल्लिखित सभी सरकारी सहायता–प्राप्त स्कूलों को इस अवधि के दौरान सहायता–अनुदान दिए गए हैं।

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

24.9 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
हिन्दी	1,268	2,17,458	4,957
उर्दू	462	94,723	1,246
नेपाली	1,522	1,90,250	3,452
उड़िया	32	3,215	143
तेलुगु	21	1,854	116
संथाली	320	12,814	689

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
हिन्दी	1,458	2,84,147	5,174
उर्दू	476	98,547	1,263
नेपाली	2,241	4,81,815	2,426

उड़िया	32	2,418	119
तेलुगु	21	1,710	98
संथाली	4,437	5,50,188	2,732

24.10 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
हिन्दी	336	1,99,257	3,314
उर्दू	112	62,478	702
नेपाली	122	12,347	326
उड़िया	8	1,862	52
तेलुगु	7	1,624	82

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू	112	62,478	702
नेपाली	2,041	2,34,715	1,563
संथाली	2,433	2,53,032	1,012

24.11 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)

क. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
हिन्दी	241	89,476	1,234
उर्दू	82	23,342	72
नेपाली	86	4,558	216
उड़िया	4	514	28
तेलुगु	6	820	17

ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू	91	24,112	84
नेपाली	1,041	1,06,182	1,563

24.12 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

क. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
हिन्दी	136	49,832	486
उर्दू	131	51,247	482
नेपाली	6	2,114	32

ख. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू	142	54,252	498
नेपाली	24	1,257	53

24.13 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएं निम्नवत हैं :

प्रथम भाषा : बंगाली, अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, नेपाली, संथाली
द्वितीय भाषा : अंग्रेजी, बंगाली, हिन्दी
तृतीय भाषा : बंगाली, संस्कृत, हिन्दी

ख. बताया गया है कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत केवल कक्षा 8 तक 14, 89, 520 छात्रों को शामिल किया गया है।

24.14 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षकों का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	माध्यम		विषय	
	स्वीकृत	भरे हुए	स्वीकृत	भरे हुए
उर्दू	3,362	2,430	3,745	2,563
नेपाली	4,126	3,512	4,214	3,745
संथाली	814	712	814	712

ख. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाएं शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है जिसका विवरण निम्नवत् हैः

प्रशिक्षण संस्थान	अल्पसंख्यक भाषा	
	माध्यम के रूप में	विषय के रूप में
पी०टी०टी०आई०/डायट (प्राथमिक स्तर)	01	0
बी०एड०/समकक्ष कालेज	—	01

24.15 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

क. सूचना दी गई है कि अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री अल्पसंख्यक भाषा के छात्रों को शैक्षणिक सत्र की शुरूआत में उपलब्ध कराई जाती हैं।

ख. पाठ्य–पुस्तकें तथा शिक्षण सामग्री अल्पसंख्यक भाषाओं के छात्रों को न लाभ न हानि आधार पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

ग. बताया गया है कि सभी पुस्तकों का मुद्रण पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा पश्चिम बंगाल टेक्स्ट बुक निगम द्वारा किया जाता है।

24.16 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

सूचित किया गया है कि विद्यालयों में कोई विशेष पंजिका नहीं रखी जाती है क्योंकि अधिकांश मामलों में अल्पसंख्यक भाषाओं के स्कूल पूर्णतया अल्पसंख्यक भाषा विशेष के लिए ही हैं। तथापि, कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहां प्रमुख राजभाषाओं (उदाहरणार्थ उर्दू/हिन्दी/बंगाली) सहित एक से अधिक भाषाएं या दोनों अल्पसंख्यक भाषाएं (हिन्दी एवं नेपाली) शिक्षण के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती हैं। ऐसे द्विभाषी या बहुभाषी स्कूलों में छात्र अपनी पसंद की भाषा में दाखिले की इच्छा करते हैं।

24.17 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

क. ऐसा बताया गया है कि गैर–उर्दू भाषी लोगों के लिए उर्दू भाषा की कक्षाएं पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी द्वारा अल्पसंख्यक कार्य तथा मदरसा शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आयोजित की जाती हैं।

ख. राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए निम्नलिखित अकादमियां स्थापित की हैं:

भाषा	अकादमी का नाम	कब स्थापित हुई	2012–13 के लिए बजट (करोड़ में)	2013–14 के लिए बजट (करोड़ में)
उर्दू	उर्दू अकादमी	1978	4.0	8.0
हिन्दी	पश्चिमबंगा हिन्दी अकादमी	2011	0.0145	0.0157
संथाली	पश्चिमबंगा संथाली अकादमी	2005	–	–

24.18 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

क. बताया गया है कि अल्पसंख्यकों से संबंधित मद्दों, प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम तथा बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का अनुवीक्षण करने के लिए मुख्य सचिव की नेतृत्ववाली एक राज्य–स्तरीय समिति है जिसमें मुख्य सचिव अध्यक्ष के रूप में तथा अन्य विभागों के प्रधान सचिव/सचिव सदस्य के रूप में हैं। समिति की पिछली बैठकें दिनांक 25.04.2013 तथा 24.12.2013 को आयोजित की गई।

ख. यह भी बताया गया कि राज्य में राज्य अल्पसंख्यक आयोग गठित है और यह भाषाई अल्पसंख्यक संबंधी मामलों की देख–रेख करता है।

ग. सूचित किया गया है कि जिला तंत्र को विकसित करने तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध रक्षोपायों की योजना के कार्यान्वयन के लिए मूलभूत ढांचों सहित जिलावार अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिलावार गठित किया गया है। वर्तमान में जिलाधिकारी तथा अपर जिलाधिकारी (अल्पसंख्यक मामले) भाषाई अल्पसंख्ययकों के मामलों की देखरेख कर रहें हैं।

24.19 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

क. ऐसा सूचित किया गया है कि सूचना तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए भाषाई अल्पसंख्यक संबंधी रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार करने की पहल कर रहा है।

ख. यह भी सूचना दी गई है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध सुविधाओं को होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से प्रदर्शित करने हेतु जिला तथा तहसील के कार्यालयों को निर्देश देते हुए आदेश जारी करने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

24.20 निष्कर्ष / संस्तुतियां

क. यह सराहनीय है कि राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक भाषाओं में महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, आदेशों इत्यादि के प्रकाशन के प्रयोजनार्थ एक विधान के माध्यम से भाषाई अल्पसंख्यक की जनसंख्या की प्रतिशतता को स्थानीय स्तर पर 15 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत कर दिया है।

ख. राज्य सरकार को सलाह दी जाती है कि वह भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को माध्यमिक शिक्षा स्तर पर अपनी भाषा को एक विषय के रूप में सीखने में समर्थ बनाने के लिए तथा बहुभाषावाद तथा राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन करे।

ग. राज्य सरकार को राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए पूर्वापेक्षा के रूप में क्षेत्रीय भाषा / राजभाषा के ज्ञान पर जोर नहीं देना चाहिए।

घ. राज्य सरकार द्वारा राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार किए जाने की आवश्यकता है।

ङ. राज्य सरकार ने राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की है। राज्य स्तरीय समिति में अधिमानतः भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के स्थानीय सांसद को सहयोजित किया जा सकता है।

च. पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है ताकि इस संवैधानिक संस्था द्वारा इसकी रिपोर्ट समय पर तैयार तथा प्रस्तुत की जा सके।

24.21 पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी तथा कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

दादरा और नगर हवेली 25

भाषाई रूपरेखा

25.1 जनगणना–2001 के अनुसार दादरा और नगर हवेली की जनसंख्या 2,20,490 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् हैः

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
भीली/भिलोडी	89,132	40.42
गुजराती	52,074	23.62
हिन्दी	33,237	15.07
कोंकणी	22,795	10.34

25.2 सूचना दी गई है कि जनगणना 2001 के अनुसार अल्पसंख्यक भाषाएं जिला/तहसील/तालुक/नगरपालिका की जनसंख्या के 15 प्रतिशत अथवा उससे अधिक लोगों द्वारा निम्नवत् बोली जाती हैंः–

जिला	तहसील/तालुक/नगरपालिका	भाषा भाषी	प्रतिशतता
सिलवासा	खानवेल, मंडोनी,	गुजराती	21.91
दादरा एवं नगर हवेली	सिलवासा, पाटेलाड	भीली/भिलोडी	55.03

25.3 **संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा** : सूचना दी गई है कि हिंदी एवं गुजराती इस संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषाएं हैं। यह भी जानकारी दी गई है कि मराठी इस संघ राज्य क्षेत्र की एक अतिरिक्त राजभाषा है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की स्थिति निम्नवत् हैः

25.4 संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग

क. बताया गया है कि सभी महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, आदेशों, तथा अधिसूचनाओं आदि को गुजराती और हिंदी में अनूदित एवं प्रकाशित किया जा रहा है।

ख. सूचित किया गया है कि शिकायतों के निवारण हेतु अभ्यावेदन अल्पसंख्यक भाषा में स्वीकार किए जाने हेतु आदेश जारी किए गए हैं।

25.5 संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती

क. ऐसा बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र ने क्षेत्रीय भाषा/राजभाषा का पूर्वज्ञान होने के संबंध में कोई शर्त या प्रतिबंध निर्धारित नहीं किया है।

ख. सूचना दी गई है कि संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रश्नपत्रों के उत्तर हिंदी में लिखे जाने की अनुमति दी गई है।

ग. यह भी बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं अर्थात समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबंध लागू होते हैं।

25.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

क. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने के संबंध में कोई नियम/विनियम/दिशा–निर्देश नही बनाए गए हैं तथा इस प्रयोजनार्थ किसी भी सक्षम प्राधिकारी को नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

ख. यह भी सूचित किया गया है कि इस संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान को भाषाई आधार पर मान्यता नहीं दी गई है।

ग. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों से उनकी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए कोई अभ्यावेदन/शिकायत/ याचिका प्राप्त नहीं हुई है।

25.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

सूचना दी गई है कि संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यक संस्था के लिए कोई विशेष नियम/दिशा निर्देश नहीं बनाए गए हैं। यह भी सूचित किया गया है कि सहायता–अनुदान योजना प्राइवेट मान्यताप्राप्त स्कूलों के लिए बनाई गई है। तथापि, इस संबंध में स्कूलों के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

25.8 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
हिंदी	1	1,250	17
मराठी	69	5,195	125

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
हिंदी	269	12,489	538

25.9 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
हिंदी	1	751	17
मराठी	23	3,731	65

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
हिंदी	97	16,870	108

25.10 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 स 10 तक)

क. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
हिंदी	1	777	10
मराठी	6	1,505	49

ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
हिंदी	1	550	10
मराठी	2	633	08

25.11 उच्चतर प्राथमिक स्तर (कक्षा11 से 12 तक)

शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम अथवा एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

25.12 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएँ निम्नवत् हैंः

प्रथम भाषा	:	गुजराती, हिंदी, मराठी
द्वितीय भाषा	:	मराठी, गुजराती
तृतीय भाषा	:	अंग्रेजी

ख. त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत कक्षा 8, 10 एवं 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का विवरण निम्नवत् हैः

भाषा	कक्षा 8	कक्षा 10	कक्षा 12
गुजराती	3,714	2,661	2,326
मराठी	1,162	522	504
अंग्रेजी	678	992	606
हिंदी	251	550	268

25.13 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम एवं विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के पदों का विवरण निम्नवत् हैः

भाषा	माध्यम		विषय	
	स्वीकृत	भरे हुए	स्वीकृत	भरे हुए
हिंदी	34	34	646	646
मराठी	190	190	190	190

ख. सूचना दी गई है कि अल्पसंख्यक भाषा पढ़ाने के लिए शिक्षकों को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। यह भी सूचित किया गया है कि शिक्षा विभाग ने पठन सामग्री प्रदान करने की पर्याप्त व्यवस्था की है।

25.14 अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें

क. सूचना दी गई है कि अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को शैक्षणिक सत्र की शुरूआत में उपलब्ध करा दी जाती है।

ख. बताया गया है कि पाठ्य–पुस्तकों की आपूर्ति गुजरात राज्य से की जाती है तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य शिक्षण सामग्री क्रय की जाती है।

ग. सूचित किया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक अल्पसंख्यक भाषाओं के छात्रों सहित सभी छात्रों को टी०एल०एम० समेत पाठ्य–पुस्तकें मुफ्त प्रदान की जाती हैं।

25.15 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की भाषाई वरीयता दर्ज करने हेतु 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में किया जाता है।

25.16 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन तथा विकास

बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषा के संवर्धन और विकास की कोई योजना नहीं है। यह भी बताया गया है कि अत्यंत छोटा क्षेत्र होने के नाते भाषाई अकादमी की स्थापना करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

25.17 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

क. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने के लिए प्रशासक की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एकीकरण समिति स्थापित की गई है।

ख. यह भी बताया गया है कि समाज कल्याण विभाग संघ राज्य क्षेत्र के भाषाई अल्पसंख्यकों सहित अल्पसंख्यकों से संबंधित कार्यों की देख–रेख करता है।

25.18 **संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार**

सूचना दी गई है कि शिक्षा विभाग भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों सहित सभी छात्रों के लिए उपलब्ध सुविधाओं जैसे कि छात्रवृत्ति, पुस्तकों की मुफ्त आपूर्ति, पोशाक इत्यादि का व्यापक प्रचार–प्रसार करता है।

25.19 निष्कर्ष / संस्तुतियां

क. संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को संघ राज्य क्षेत्र में भीली / भिलोडी, कोंकणी भाषाएं बोलने वालों लोगों की उपस्थिति को समझने तथा इन अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ने की सुविधाओं के बारे में विस्तृत ब्यौरा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

ख. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा शिक्षा के स्तरों पर विद्यालयो में भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

ग. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को इस संघ राज्य क्षेत्र में बोली जाने वाली जनजातीय / अल्पसंख्यक भाषाओं को बढ़ावा / संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। संघ राज्य क्षेत्र में, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विकास के लिए भाषाई अकादमियों की स्थापना की जानी चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।

घ. जिन स्कूलों को सहायता–अनुदान दिए गए हैं, उनका संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विस्तृत ब्यौरा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

ड़. दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि, संवैधानिक प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट तैयार कर भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को नियत समय में प्रस्तुत कर सकें।

25.20 दादरा और नगर हवेली के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि, संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी तथा कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

दमन और दीव 26

भाषाई रूपरेखा

26.1 जनगणना–2001 के अनुसार दमन और दीव की जनसंख्या 1,58,204 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् हैः

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
गुजराती	1,07,090	67.69
हिन्दी	30,754	19.44
मराठी	6,763	4.27

26.2 **संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा :** सूचित किया गया है कि गोवा, दमन व दीव राजभाषा अधिनियम 1987 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषाएं कोंकणी तथा गुजराती है। यह भी सूचित किया गया है कि राज्यों/केन्द्र के साथ पत्राचार हिंदी/अंग्रेजी में किया जाता है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् है :

26.3 संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग

क. सूचना दी गई है कि संध राज्य क्षेत्र में कोई भाषाई अल्पसंख्यक नहीं है तथा 15 प्रतिशत या उससे अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली कोई अल्पसंख्यक भाषा नहीं है। यह भी बताया गया है कि सभी नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि को हिन्दी में भी प्रकाशित किया जाता है।

ख. बताया गया है कि शिकायतों के निवारणार्थ अभ्यावेदन गुजराती, हिन्दी या अंग्रेजी में स्वीकार किए जाते हैं। तथापि, यह नहीं बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा के अभ्यावेदनों के उत्तर उसी अल्पसंख्यक भाषा में दिए जाते हैं।

26.4 संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती

क. बताया गया है कि क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती के लिए भर्ती नियमों के अनुसार क्षेत्रीय/राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित है।

ख. सूचित किया गया है कि सेवा हेतु भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्रों के उत्तर देने के लिए सामान्यतः हिन्दी और अंग्रेजी भाषाएं ही मान्य हैं। विभाग द्वारा किसी अल्पसंख्यक भाषा में प्रश्नों के उत्तर देने हेतु कोई निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

ग. यह भी सूचना दी गई है कि समूह 'ग' तथा 'घ' पदों के लिए अधिवासीय प्रतिबंध लगाए जाते हैं ताकि सभी वर्गों के स्थानीय लोगों को समायोजित किया जा सके।

26.5 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

सूचित किया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र 'दमन एवं दीव' में अल्पसंख्यक भाषाई शैक्षणिक संस्था को मान्यता देने के लिए कोई अधिनियम एवं नियम नहीं है।

26.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

सूचित किया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, सहायता–अनुदान स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी हैं।

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

26.7 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर

शिक्षा के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर, भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं के बारे में संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने कोई जानकारी नहीं उपलब्ध कराई है।

26.8 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएं हैं :

प्रथम भाषा	:	गुजराती
द्वितीय भाषा	:	हिन्दी
तृतीय भाषा	:	अंग्रेजी

ख. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत विभिन्न भाषाओं के लिए कक्षा 8, 10 तथा 12 के छात्रों का विवरण निम्नवत है :

भाषा	कक्षा 8	कक्षा 10	कक्षा 12
गुजराती	2,298	2,061	1,151
हिंदी	2,298	2,061	1,151
अंग्रेजी	2,298	2,061	1,151

ग. गुजराती, हिन्दी तथा अंग्रेजी में, कक्षा 8, 10 तथा 12 में, विद्यार्थियों की संख्या समान है। जिन्हें स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।

26.9 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

अल्पसंख्यक भाषा को एक विषय तथा शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के स्वीकृत/भरे हुए पदों के बारे में तथा उनके प्रशिक्षण के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

26.10 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

सूचित किया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव में कोई अल्पसंख्यक भाषा नहीं है, अतएव अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकों की कोई आवश्यकता नहीं है।

26.11 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

बताया गया है कि विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव लागू नहीं है।

26.12 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

सूचना दी गई है कि संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव में कोई अल्पसंख्यक भाषा नहीं है।

26.13 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों हेतु कार्यान्वयन के अनुवीक्षण एवं समीक्षा के लिए संघ राज्य क्षेत्र और जनपद स्तर पर किसी भी तंत्र/समिति की स्थापना नहीं की गई है।

26.14 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

संघ राज्य क्षेत्र में, भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों तथा सुविधाओं के प्रचार–प्रसार हेतु कोई तंत्र नहीं है।

26.15 निष्कर्ष/संस्तुतियां

क. हांलाकि दिनांक 30.05.1987 को दमन और दीव पृथक संघ राज्य क्षेत्र बना तथापि दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के लिए राजभाषा की घोषणा हेतु कोई अधिसूचना नहीं जारी की गई है जिसे शीघ्र घोषित किए जाने की आवश्यकता है तथा यह भी स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है कि कोंकणी दमन और दीव की अभी भी राजभाषा है या नहीं।

ख. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को स्कूलों में स्थानीय स्तर पर मातृभाषा पढ़ने की सुविधाओ की पूर्ण एवं व्यापक सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

ग. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु संघशसित क्षेत्र प्रशासन को विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करना चाहिए जिससे कि विद्यालयों में मातृभाषा/ अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण सुगम हो सके।

घ. संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास हेतु प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की भाषाई अकादमियों की स्थापना की जानी चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।

ड़. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता हैं कि संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक तथा जनजातीय भाषा–भाषियों की सुरक्षा संवैधानिक रक्षोपायों को प्रकाशित करने तथा अकादमियों की स्थापना करके की जाए।

च. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन दमन और दीव के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर, का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि संवैधानिक प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट समय पर तैयार और प्रस्तुत कर सके।

26.16 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन दमन और दीव से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से तथा कुशलतापूर्वक किया जा सके।

गोवा 27

भाषाई रूपरेखा

27.1 जनगणना–2001 के अनुसार गोवा की जनसंख्या 13,47,668 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
कोंकणी	7,69,888	57.13
मराठी	3,04,208	22.57
हिंदी	76,775	5.70
कन्नड़	74,615	5.54
उर्दू	54,163	4.02

27.2 **राज्य की राजभाषा** : राज्य की राजभाषा देवनागरी लिपि में कोंकणी है।

राज्य की राजभाषा : सूचना दी गई है कि राजभाषा अधिनियम में प्रावधान है कि समस्त गोवा राज्य में सभी या किसी आधिकारिक प्रयोजन के लिए मराठी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा।

27.3 उन जनपदों/तहसीलों/नगरपालिकाओं के बारे में सूचना नहीं दी गई है जहां की जनसंख्या के 15% या उससे अधिक भाषाई अल्पसंख्यक हों।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत है :

27.4 राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

क. सूचित किया गया है कि आदेशों तथा अधिसूचनाओं आदि का जब कभी अपेक्षित हो, मराठी भाषा में अनुवाद किया जा रहा है।

ख. यह भी सूचना दी गई है कि अधिसूचना सं०1/1/87 ओ०एल० एवं पी०जी० दिनांक 15.12.1987 के अनुसार अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्रप्ति तथा उन्हीं भाषाओं में उनके उत्तर देने के लिए आदेश जारी किए गए हैं।

27.5 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. बताया गया है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए क्षेत्रीय/राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित है।

ख. यह भी बताया गया है कि राज्य सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न–पत्रों के उत्तर देने के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं के प्रयोग की अनुमति नहीं है।

ग. सूचित किया गया है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

27.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता

क. बताया गया है कि शिक्षा निदेशक भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी हैं।

ख. यह भी बताया गया है कि राज्य में 30.06.2013 तक 25 उर्दू, 16 कन्नड़, 4 हिंदी और 1 तेलुगु शिक्षण संस्थानों को भाषाई अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

27.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सहायता–अनुदान

बताया गया है कि इस संबंध में आवश्यक नियम तथा विनियम जारी किए गए हैं। यह भी बताया गया है कि शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी प्रतिवर्ष कुल मान्यताप्राप्त विद्यालयों का निर्धारण करेगा जिन्हें सहायता–अनुदान दिया जा सकता है। तथापि, उन भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है जिन्हें समीक्षाधीन अवधि के दौरान सहायता–अनुदान दिए गए हैं।

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

27.8 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक) तथा उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा से संबंधित प्रश्न के उत्तर में, केवल उर्दू भाषाई विद्यालयों का ब्यौरा दिया गया है जो निम्नवत है :

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
उर्दू	4	1,047	47

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ने का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
उर्दू	2	404	15

27.9 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)

राज्य सरकार ने शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के बारे में कोई सूचना नहीं दी है। सूचित किया गया है कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर उर्दू को एक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है, जिसका ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
उर्दू	04	404	15

27.10 उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

शिक्षा के उच्च माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय या माध्यम के रूप में पढ़ाने की सुविधाओं के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

27.11 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएं हैं :

प्रथम भाषा	:	शिक्षण का माध्यम
द्वितीय भाषा	:	हिन्दी,
तृतीय भाषा	:	कोंकणी / मराठी / फ्रेंच / संस्कृत / उर्दू

ख. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत कक्षा 8, 10 और 12 के छात्रों की संख्या निम्नवत् है :

भाषा	कक्षा 8	कक्षा 10	कक्षा 12
अंग्रेजी (एफ०एल०)	23,372	18,495	–
मराठी (एफ०एल०)	560	210	–
उर्दू (एफ०एल०)	112	63	–
हिन्दी (एस०एल०)	24,044	18,768	–
अंग्रेजी (टी०एल०)	3,600	1,662	–
कोंकणी (टी०एल०)	8,000	6,920	–
मराठी (टी०एल०)	11,200	9,050	–
कन्नड (टी०एल०)	700	679	–
संस्कृत (टी०एल०)	76	67	–
फ्रेंच (टी०एल०)	340	300	–
पुर्तगाली (टी०एल०)	120	90	–

27.12 अल्पसंख्यक भाषाओं हेतु शिक्षक

अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम और एक विषय के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के सृजित / निर्धारित पदों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है जबकि अल्पसंख्यक भाषाओं को माध्यम या विषय के रूप में पढ़ाने के लिए उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्नवत् हैः–

प्रशिक्षण संस्थान	अल्पसंख्यक भाषा
डायट	उर्दू, माध्यम के रूप में

27.13 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य–पुस्तकों की आपूर्ति मुख्यतया महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों से की जाती है। पाठ्य–पुस्तकों तथा अन्य शिक्षण सामग्री की आपूर्ति कक्षा 8 तक गोवा सर्वशिक्षा अभियान के तहत निःशुल्क की जाती है।

27.14 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता' पंजियों का रख–रखाव

शिक्षा के प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की भाषाई वरीयता दर्ज करने के लिए 'भाषाई वरीयता पंजियों' के रख–रखाव के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

27.15 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

सरकार ने अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है।

27.16 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

सूचना दी गई है कि गोवा राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक आयोग गठित नहीं है।

27.17 संवैधानिक अधिकार एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

सूचना दी गई है कि सचिव (शिक्षा) भाषाई अल्पसंख्यक के रक्षापायों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु नोडल अधिकारी है। तथापि, भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदत्त रियायत एवं सुविधाओं के बारे में उन्हें अवगत कराने के तंत्र के संबंध में विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

27.18 विश्लेषण/संस्तुति

क. राज्य को इस रिपोर्ट के लिए प्रश्नावली के प्रत्युत्तर में प्रदत्त आकड़ों के अनुसार अल्पसंख्यक भाषाओं की विद्यमानता का निर्धारण करना चाहिए। भाषाई अल्पसंख्यक संकेन्द्रित जिलों/तहसीलों/नगर–पालिका की राज्य द्वारा विवरण दिए जाने की आवश्यकता है।

ख. भर्ती के समय राज्य की क्षेत्रीय/राजभाषा के पूर्व ज्ञान पर राज्य सरकार को जोर नहीं देना चाहिए और राज्य में रोजगार के मामले में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु, राज्य सेवाओं में अधिवासीय प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। राज्य सरकार को उन अभ्यर्थियों को जिन्हें राज्य की राजभाषा का पूर्वज्ञान नहीं है, को प्रवीणता प्राप्त करने हेतु परवीक्षा अवधि के अन्तर्गत पर्याप्त समय प्रदान करना चाहिए।

ग. राज्य सरकार ने राज्य में अल्पसंख्यक भाषा के रूप में केवल उर्दू पढ़ने की सुविधा के संबंध में सूचना दी है। तथापि, मराठी, हिंदी तथा कन्नड़ पढ़ने की सुविधा के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है। अतः राज्य सरकार की भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को शिक्षा के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं, शिक्षकों के संस्वीकृत एवं भरे हुए पदों तथा शिक्षण के माध्यम एवं विषय के रूप में अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ाने हेतु उनके प्रशिक्षण के संबंध में पूर्ण एवं व्यापक सूचना प्रदान करने की आवश्यकता है।

घ. राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि अन्तर–विद्यालयीन समायोजन के फलस्वरूप इन विद्यालयों में मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण सुगम हो सके।

ड. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के व्यापक प्रचार–प्रसार करने की आवश्यकता है।

च. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसख्यंको के रक्षोपायों का राज्य में प्रभावकारी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

छ. भाषाई अल्पसंख्यकों के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि आयुक्त प्रतिवेदन को महामहिम राष्ट्रपति महोदय को समय पर प्रस्तुत कर सके।

27.19 गोवा राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि, राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से तथा कुशलतापूर्वक किया जा सके।

गुजरात 28

भाषाई रूपरेखा

28.1 जनगणना–2001 के अनुसार गुजरात की जनसंख्या 5,06,71,017 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् हैः

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
गुजराती	4,27,68,386	84.40
भिली/भिलोड़ी	24,05,663	4.75
हिंदी	23,88,814	4.71
सिंधी	9,58,787	1.89
मराठी	7,64,002	1.51
उर्दू	5,50,630	1.09

28.2 **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा गुजराती है।

28.3 राज्य सरकार से उन जनपद/तहसील/तालुक/नगरपालिका जहाँ की जनसंख्या के 60 प्रतिशत या उससे अधिक लोग या 15 प्रतिशत या उससे अधिक लोग अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले हों, के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायो के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत है :

28.4 राज्य में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग

क. बताया गया है कि महत्वपूर्ण नियमों, विनियमों तथा सूचनाओं आदि का प्रकाशन अल्पसंख्यक भाषाओं में नहीं किया जाता है।

ख. यह भी बताया गया है कि शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति एवं संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में उनके उत्तर देने के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

28.5 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. बताया गया है कि राज्य सेवाओं की भर्ती परीक्षाएं राज्य के प्रासंगिक नियमों के अनुसार संचालित की जाती हैं।

ख. राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए पूर्वापेक्षा के रूप में क्षेत्रीय/राजभाषा के ज्ञान के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी गई है।

ग. राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए अधिवासीय प्रतिबंध नहीं हैं।

28.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

क. सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त सक्षम प्राधिकारी हैं।

ख. यह भी सूचित किया गया है कि 30 जून 2013 तक कक्षा 11 से 12 तक 16 उर्दू, 12 मराठी, 13 सिंधी, 2 तमिल तथा 71 हिंदी भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान की गई है।

28.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

सूचित किया गया है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को संदर्भाधीन अवधि के दौरान सहायता–अनुदान स्वीकृत करने हेतु क्रमशः निदेशक, प्राथमिक शिक्षा विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त सक्षम प्राधिकारी हैं। तथापि भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सहायता–अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

28.8 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
उर्दू	138	44,050	1,111
मराठी	105	47,745	1,197
सिन्धी	04	407	27
हिंदी	424	1,56,980	4,051

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
हिन्दी	380	1,37,642	3,372

28.9 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
उर्दू	85	54,843	1205
मराठी	101	47,692	945
सिन्धी	2	5,188	230

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
हिंदी	27,830	31,95,792	38,853

28.10 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)

शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम या विषय के रूप में पढ़ाए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

28.11 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

क. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
उर्दू	16	6,132	202
मराठी	12	7,931	173
सिन्धी	13	2,509	81
तमिल	02	861	11
हिंदी	71	39,194	967

ख. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने संबंधी कोई सूचना नहीं दी गई है।

28.12 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के तहत पढ़ाई जाने वाली भाषाओं का विवरण इस प्रकार है :

प्रथम भाषा : गुजराती / हिन्दी / मराठी / अंग्रेजी / उर्दू
द्वितीय भाषा : गुजराती / अंग्रेजी
तृतीय भाषा : हिंदी

ख. त्रिभाषा सूत्र के तहत शामिल कक्षा 8, 10 और 12 के छात्रों का ब्यौरा निम्नवत् है :

भाषा	कक्षा 8	कक्षा 10	कक्षा 12
गुजराती	178	61,731	29,131
अंग्रेजी	79	718	643
हिंदी	61	6,93,795	239
उर्दू	59	171	29
सिंधी	—	05	05

28.13 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

अल्पसंख्यक भाषा पढ़ाने के लिए शिक्षकों तथा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में सूचना नहीं दी गई है।

28.14 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

सूचना दी गई है कि अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें एवं अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करने एवं उनके प्रकाशन करने वाली एजेंसी गुजरात राज्य पाठ्य–पुस्तक बोर्ड है। यह भी बताया गया है कि पाठ्य–पुस्तकें शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में उपलब्ध कराई जाती हैं।

28.15 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

सूचित किया गया है कि विद्यालयों में भाषाई वरीयता पंजियों का रख–रखाव नहीं किया जाता है।

28.16 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

क. राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन और विकास हेतु किसी योजना के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

ख. सिंधी और उर्दू भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए सिंधी अकादमी और उर्दू अकादमी का गठन निम्नवत किया गया है :

भाषा	अकादमी का नाम	कब स्थापित	बजट वर्ष 2012–13 (लाख में)
उर्दू	उर्दू अकादमी	1993	कोई सूचना नहीं दी गई है
सिंधी	सिंधी अकादमी	1993	

28.17 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण और समीक्षा हेतु राज्य/जिला स्तर पर कोई समिति/तंत्र गठित नहीं है।

28.18 संवैधानिक अधिकार एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के प्रचार–प्रसार के लिए कोई तंत्र नहीं है।

28.19 निष्कर्ष / संस्तुतियां

क. राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

ख. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब देना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए।

ग. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार को सभी विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में मातृभाषा / अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने हेतु अन्तर–विद्यालय समायोजनों को सुगम बनाया जा सके।

घ. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक संस्थानों को मान्यता देने तथा उन्हें सहायता–अनुदान स्वीकृत करने संबंधी सूचना प्रदान करने की आवश्यकता है।

ड़. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसख्यको के रक्षोपायों का प्रभावकारी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

च. राज्य सरकार को अकादमियों के लिए किए जाने वाले बजटीय आबंटन की सूचना तथा राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षापायों एवं सुविधाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करने की आवश्यकता है।

छ. गुजरात राज्य सरकार के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर, का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि यह संवैधानिक संस्था समय पर रिपोर्ट तैयार व प्रस्तुत कर सके।

28.20 गुजरात राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि, राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से तथा कुशलतापूर्वक किया जा सके।

कर्नाटक 29

भाषाई रूपरेखा

29.1 जनगणना–2001 के अनुसार कर्नाटक की जनसंख्या 5,28,50,562 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् हैः

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
कन्नड़	3,48,38,035	65.92
उर्दू	55,39,910	10.48
तेलुगु	36,98,657	7.00
मराठी	18,92,783	3.58
तमिल	18,74,959	3.55

29.2 **राज्य की राजभाषा** : राज्य की राजभाषा कन्नड़ है।

29.3 राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ की जनसंख्या के 60 प्रतिशत या उससे अधिक अल्पसंख्यक भाषा–भाषी हों। जिन जनपद/तहसील/तालुक/नगर–पालिका की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या इससे अधिक भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनका विवरण निम्नवत हैं :

जिला	तालुक का नाम	कुल जनसंख्या	मराठी बोलने वाली जनसंख्या	प्रतिशतता
बेलगांव	अथानी	4,61,862	74,645	16.16
	खानपुर	2,43,185	1,26,381	51.96
बीदर	बास्वकल्याण	2,99,910	71,220	23.74
	भालकी	2,57,042	87,167	33.91
	औराड	2,45,294	89,206	36.36
उत्तर कन्नड़	सूपा	48,914	21,562	44.08
	हलियाला	1,05,851	59,271	55.99
	येलापुरा	73,497	11,955	16.26
चिक्काबलापुर	चिक्काबलापुर	1,91,122	68,146	35.65

जिला	तालुका का नाम	कुल जनसंख्या	उर्दू बोलने वाली जनसंख्या	प्रतिशतता
बीजापुर	बीजापुर	5,69,348	1,16,379	20.44
	सिंदगी	3,26,655	51,771	15.85
गुलबर्गा	गुलबर्गा	6,75,679	1,81,662	26.89
	चितापरु	3,66,802	73,656	20.08
	जिवार्गी	2,35,254	35,462	15.07

बीदर	बास्वकल्याण	2,99,910	50,736	16.91
	बीदर	4,05,294	1,12,557	27.75
रायचुर	रायचुर	4,35,380	73,940	16.98
धारवाड़	हुबली–धारवाड़	7,86,195	1,93,590	24.62
	मुंदगोड	90,738	14,111	15.55
हवेरी	शिगांव	1,66,742	37,541	22.51
	सवानूर	1,43,885	36,348	25.26
	हंगल	2,30,750	48,009	20.81
बेल्लारी	होस्पेट	3,74,949	57,794	15.41
दावनगिरि	दावनगिरि	6,02,523	93,438	15.51
	हरिहर	2,45,654	39,736	16.18
शिमोगा	शिमोगा	4,45,192	75,842	17.04
कोलार	कोलार	2,42,593	62,296	18.18
	मुलबगल	2,31,302	35,148	15.20
रामनगर	रामनगर	2,38,347	39,198	16.45
मैसूर	मैसूर	10,38,490	1,56,740	15.09

जिला	तालुका का नाम	कुल जनसंख्या	तमिल बोलने वाली जनसंख्या	प्रतिशतता
कोलार	बंगारपेट	4,21,437	1,18,880	28.2
बंगलोर	बंगलोर	12,04,745	9,15,913	76.2
	बंगलोर दक्षिण	10,09,924	1,67,159	16.5

जिला	तालुका का नाम	कुल जनसंख्या	तेलुगु बोलने वाली जनसंख्या	प्रतिशतता
गुलबर्गा	सेदम	1,96,154	59,549	30.30
रायचुर	रायचुर	4,35,380	1,15,980	26.60
चित्रदुर्ग	मोलाकलमुरू	1,26,742	30,680	24.20
	होलालकेरे	1,97,766	9,290	46.90
तुमकुर	पवागडा	2,46,255	92,479	37.55
कोलार	कोलार	10,00,607	3,94,239	39.40
	श्रीनिवासपुर	1,84,721	1,14,459	61.90
	मलूर	2,07,009	63,072	30.40
	बंगारपेट	4,21,437	1,39,357	33.06
	मुलबंगल	2,31,302	91,416	39.50
	कोलार	3,42,593	53,214	15.50
चिक्काबलापुर	चिक्काबलापुर	1,91,122	68,146	35.65
	गौरीबिदनूर	2,71,119	81,711	30.13
	गुडीबंद	51,828	34,731	67.00
	शिडलगट्टा	1,93,965	71,613	36.90
	चिंतामणि	2,71,284	1,62,701	59.90

बंगलोर	बंगलोर	42,11,437	1,39,357	3.30
	बंगलोर दक्षिण	10,09,924	2,11,731	20.96
	अनेकल	2,99,428	81,641	27.26
बंगलोर ग्रामीण	डोडाबल्लापुर	2,68,332	42,730	15.92
	देवेनहाली	1,85,326	44,308	23.9
	होसकोटे	2,22,430	48,833	21.95

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् हैः–

29.4 राज्य में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग

क. बताया गया है कि सरकारी नियमों, आदेशों तथा अधिसूचनाओं, आदि के अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन की कोई व्यवस्था नहीं है।

ख. यह भी बताया गया है कि शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को स्वीकार करने और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में उनके उत्तर देने हेतु कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।

29.5 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. बताया गया है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के समय जिन्हें क्षेत्रीय/राजभाषाओं का ज्ञान न हो उन्हें भर्ती के उपरान्त, दो वर्ष के अन्दर, राजभाषा में प्रवीणता अर्जित करना आवश्यक है।

ख. यह भी बताया गया है कि भर्ती परीक्षाओं के लिए अल्पसंख्यक भाषा के छात्रों को केवल अल्पसंख्यक भाषा के प्रश्न पत्र का उत्तर अल्पसंख्यक भाषा में देने की अनुमति दी गई है। अन्य सभी सामान्य प्रश्न–पत्रों का उत्तर कन्नड़ या अंग्रेजी में दिया जाना अपेक्षित है।

ग. सूचना दी गई कि राज्य सेवाओं में भर्ती के समय कोई अधिवासीय प्रतिबन्ध लागू नहीं होते हैं।

29.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

क. सूचित किया जाता है कि आयुक्त, लोक शिक्षण, की अध्यक्षता में गठित 'अल्पसंख्यक घोषणा समिति' भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकरण है।

ख. बताया गया है कि 7 कोंकणी, 31 मराठी, 19 तमिल, 6 तेलुगु, 66 उर्दू, तथा 1 सिंधी संस्थान को भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के रूप में मान्यता प्रदान की गई है तथा 30.06.2012 तक मान्यता के लिए कोई आवेदन लंबित नहीं हैं।

29.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

क. सूचित किया गया है कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 के अनुसार सहायता–अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं तथा प्राथमिक शिक्षा के निदेशक और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के भाषाई अल्पसंख्यक विद्यालयों को सहायता–अनुदान स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी है।

ख. उन भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है जिन्हें समीक्षाधीन अवधि के दौरान सहायता–अनुदान स्वीकृत किए गए थे।

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

29.8 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नलिखित हैः

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
उर्दू	2,321	3,39,317	5,839
मराठी	347	78,947	1,040
तमिल	35	9,144	60
तेलुगु	33	4,656	72

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

29.9 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नलिखित हैः

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
उर्दू	2,425	1,45,474	15,151
मराठी	701	50,405	5,377
तमिल	109	4,969	456
तेलुगु	52	1,798	451

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ाए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

29.10 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)

क. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नलिखित है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
उर्दू	532	84,640	4,864
मराठी	283	48,390	2,617
तेलुगु	14	834	264
तमिल	08	903	42

ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को विषय के रूप में पढ़ाए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

29.11 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षण के माध्यम अथवा एक विषय के रूप में पढ़ाये जाने के संबंध में राज्य सरकार ने कोई सूचना नहीं दी है।

29.12 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएं हैं :

प्रथम भाषा : कन्नड़/मराठी/तमिल/तेलुगु/उर्दू
द्वितीय भाषा : कन्नड़/अंग्रेजी
तृतीय भाषा : अंग्रेजी/हिंदी

ख. त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत शामिल कक्षा 8, 10 एवं 12 के छात्रों का विवरण नहीं दिया गया है।

29.13 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. राज्य में, अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के सृजित/निर्धारित पदों का कोई विवरण नहीं दिया गया है।

ख. सूचना दी गई कि अल्पसंख्यक भाषाओं को माध्यम एवं एक विषय के रूप में पढ़ाये जाने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है जिसका विवरण निम्नवत है:

प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या	अल्पसंख्यक भाषा	
	माध्यम के रूप में	विषय के रूप में
38	उर्दू	उर्दू
61	मराठी	मराठी
01	तेलुगु	तेलुगु
17	तमिल	तमिल

ग. राज्य में अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कोई अन्तर्राज्यीय सहयोग/व्यवस्था नहीं है।

29.14 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

क. ऐसा सूचित किया गया है कि पाठ्य–पुस्तकें सरकारी/सहायता–प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को निःशुल्क तथा अन्य छात्रों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

ख. यह भी बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य–पुस्तकों एवं अन्य शिक्षण सामग्री का प्रापण करने के लिए कर्नाटक सरकार के लोक शिक्षण विभाग के अधीन कर्नाटक राज्य पाठ्य–पुस्तक सोसाइटी एक एजेंसी है।

29.15 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

बताया गया है कि राज्य के अधिकतर विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की भाषाई वरीयता दर्ज करने के लिए 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव किया जा रहा है।

29.16 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

सूचना दी गई है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए स्थापित अकादमियों के विभिन्न कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों के जरिए अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास का कार्य किया जाता है। अकादमियों का विवरण निम्नवत् हैः

भाषा	अकादमी का नाम	बजट वर्ष (लाख में)
उर्दू	उर्दू अकादमी	योजना रू०35.00 गैर योजना रू०5.50
तुलु	कर्नाटक तुलु साहित्य अकादमी	रू०40.00
कोंकणी	कर्नाटक साहित्य अकादमी	योजना रू०40.00 गैर योजना रू०5.00

29.17 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

राज्य के भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण एवं समीक्षा हेतु राज्य/जनपद स्तरीय तंत्र के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। हालांकि जिला स्तर पर डी०डी०पी०आई० (प्रशासन), डी०डी०पी०आई० (विकास) को शिक्षा विभाग के लिए ही नामनिर्दिष्ट किए जाने की सूचना दी गई है।

29.18 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों और सुविधाओं के विषय में इलेक्ट्रानिक मीडिया, पत्रों और बैठकों इत्यादि के द्वारा प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। यह भी बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के बारे में अवगत कराने हेतु जिला/तहसील कार्यालयों में इन्हे प्रदर्शित करने हेतु आदेश जारी किए गए हैं।

29.19 निष्कर्ष / संस्तुतियां

क. जिन जिला / तहसील / तालुका / नगर–पालिका की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक भाषाई अल्पसंख्यक हैं, वहां भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, राज्य सरकार द्वारा नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में राज्य सरकार से उन आवश्यक आदेशों को जारी करने का अनुरोध किया जाता है जिन्हें आदेश सं० डी०पी०ए०आर० 14 एल०एम०एल० 2003 (3) दिनांक 06.05. 2004 के तहत वापस ले लिया गया था।

ख. शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ग. राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।

घ. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के संस्वीकृत / भरे हुए पदों का ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहिए।

ङ. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार के सभी विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में मातृभाषा / अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने हेतु अन्तर–विद्यालय समायोजन सुगम हो सके।

च. राज्य सरकार को अल्पसंख्यकों के लिए उपबंधित संवैधानिक रक्षोपायों के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के मामले में समानता का सिद्धान्त सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

छ. भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु राज्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जाना चाहिए जिससे कि भाषाई अल्पसख्यको के रक्षोपायों का प्रभावकारी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

ज. नोडल अधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे दिनांक 06.04.2013 को सहायक आयुक्त, भाषाई अल्पसंख्यक (दक्षिणी एवं पश्चिमी अंचल) के साथ आयोजित बैठक के दौरान कर्नाटक–महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में रह रहे मराठा भाषा–भाषियों के लिए रक्षोपायों के संबंध में दिए गए आश्वासन को पूरा करें। नोडल अधिकारी से यह भी अपेक्षित है कि वे आयुक्त की प्रश्नावली के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित करें ताकि संवैधानिक प्राधिकारी भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को नियत समय के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश कर सकें।

29.20 कर्नाटक राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि, राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से तथा कुशलतापूर्वक किया जा सके।

महाराष्ट्र 30

भाषाई रूपरेखा

30.1 जनगणना–2001 के अनुसार महाराष्ट्र की जनसंख्या 9,68,78,627 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
मराठी	6,66,43,942	68.79
हिंदी	1,06,81,641	11.03
उर्दू	68,95,501	7.12
गुजराती	23,15,409	2.39

30.2 **राज्य की राजभाषा** : राज्य की राजभाषा मराठी है।

30.3 राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ऐसा कोई भी जिला नहीं हैं जहाँ की जनसंख्या के 60% या उससे अधिक लोग अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले हों। फिर भी, जिले की जनसंख्या के 15% या अधिक द्वारा बोली जाने वाली अल्पसंख्यक भाषाओं की तहसील/कस्बा–वार प्रतिशतता निम्नवत् है:–

भाषा	तहसीलों में अल्पसंख्यक भाषा को बोलने वालों की प्रतिशतता (संख्या)			
	15 से 30%	31 से 50%	51 से 80%	81 से 100%
भीली/भिलोडी	2	3	3	2
खानदेशी	4	9	2	–
कोंकणी	1	1	0	–
हिंदी	33	8	0	–
उर्दू	17	4	0	–
गोंडी	4	1	4	–
बंगाली	0	1	0	–
तेलुगु	4	0	0	–
सिंधी	0	1	0	–
कन्नड़	2	2	1	–
कोरकु	0	0	2	–

जनसंख्या के 15% या उससे अधिक द्वारा बोली जाने वाली अल्पसंख्यक भाषाओं की कस्बावार प्रतिशतता निम्नलिखित हैः

भाषा	कस्बा/नगरपालिका क्षेत्रों में अल्पसंख्यक भाषा को बोलने वालों की प्रतिशतता (संख्या)		
	15 से 30%	31 से 50%	51 से 80%
भीली/भिलोडी	2	3	3
खानदेशी	8	1	2
कोंकणी	3	0	0
हिंदी	90	14	6
उर्दू	81	29	5
गोंडी	4	1	4
बंगाली	0	0	0
तेलुगु	6	1	0
सिंधी	1	0	1
कन्नड़	3	2	0
कोरकु	1	0	0
गुजराती	7	2	0

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् हैः

30.4 राज्य मे अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

क. बताया गया है कि महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, आदेशों तथा अधिसूचनाओं आदि का अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन संबंधी कोई व्यवस्था नहीं है।

ख. यह भी बताया गया है कि शिकायतों के निवारण संबंधी अभ्यावेदन, अल्पसंख्यक भाषाओं में प्राप्त करने तथा उनका उसी भाषा में जवाब देने के लिए कोई आदेश नहीं है।

30.5 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. सूचित किया गया है कि राज्य सेवा में भर्ती के लिए क्षेत्रीय/राजभाषा की जानकारी की पूर्वापेक्षा हेतु कोई विशेष नियम नहीं है। तथापि, सेवा नियमावली के अनुसार राज्य सरकार में भर्ती के पश्चात दसवीं कक्षा में मराठा एवं हिन्दी भाषाओं में उत्तीर्ण न हुए कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा आयोजित मराठी एवं हिन्दी भाषाओं की निर्धारित परीक्षा में उत्तीर्ण होना होता है।

ख. यह भी सूचित किया गया है कि राज्य की सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों के उत्तर अल्पसंख्यक भाषा में देने की अनुमति नहीं हैं। यह भी बताया गया है कि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग अंग्रेजी एवं मराठी में परीक्षा का संचालन करता है।

ग. बताया गया है कि राज्य की सेवाओं में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबंध के लागू होने के संबंध में कोई विशेष आदेश नहीं है किंतु आरक्षित पदों के लिए अधिवासीय प्रमाण–पत्र अनिवार्य है।

30.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

क. सूचना दी गई है कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को महाराष्ट्र सरकार के दिनांक 4.7.2008 के संकल्प के अनुसार मान्यता दी जाती है तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्रालय, मुम्बई–400032 के संयुक्त सचिव, राज्य में भाषाई अल्पंसख्यक शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने के लिए सक्षम प्रधिकारी हैं।

ख. बताया गया है कि 30 जून 2012 तक राज्य में 2,137 संस्थाओं को धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं के रूप में मान्यता दी गई है।

ग. सूचित किया गया है कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक से उनकी संस्था को मान्यता देने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपर मुख्य सचिव के पास और दिनांक 27.05. 2013 के शासकीय संकल्प के अनुसार सक्षम प्राधिकारी तथा संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्रालय, मुम्बई–400032 के पास शिकायतें आई हैं। सरकारी संकल्प दिनांक 4.07.2008 तथा 27.05.2013 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई और संस्थाओं के अभिलेखों को सत्यापित करने के बाद संस्थाओं को यथोचित अवसर दिए गए।

घ. यह भी सूचित किया गया है कि 30 जून 2012 तक भाषाई तथा धार्मिक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की मान्यता हेतु 287 आवेदन लम्बित थे।

30.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

क. बताया गया है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान स्वीकृत करने के लिए कोई विशिष्ट नियम नहीं है।

ख. जिन भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को राज्य द्वारा सहायता–अनुदान संस्वीकृत किए गए है, उनका विवरण निम्नवत् हैः

भाषा	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर	माध्यमिक स्तर	उच्च माध्यमिक स्तर
अंग्रेजी	185	141	252	150
हिंदी	356	531	277	332
उर्दू	1,110	1,899	554	21
गुजराती	95	106	71	2
बंगाली	9	46	0	15
कन्नड़	134	150	36	6
सिंधी	4	10	5	0
तमिल	9	39	0	0
तेलुगु	11	60	8	0

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

30.8 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैं:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
बंगाली	9	4,608	19
गुजराती	103	26,082	494
हिंदी	426	3,13,320	2,172
कन्नड़	134	20,962	298
सिंधी	6	1,426	26
तमिल	9	5,353	28
तेलुगु	13	5,119	48
उर्दू	1,408	6,88,819	5,597

ख. शिक्षण के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

30.9 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैं:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
बंगाली	46	1,931	279
गुजराती	118	30,373	599
हिंदी	652	2,02,915	6,869
कन्नड़	151	12,778	938
सिंधी	11	2,618	68
तमिल	39	2,709	331
तेलुगु	60	2,526	268
उर्दू	2,125	3,58,903	17,019

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

30.10 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)

क. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैं:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
बंगाली	1	101	3
गुजराती	84	21,749	1,311
हिंदी	444	1,20,033	4,446

कन्नड़	47	6,048	258
सिंधी	7	1,753	45
तमिल	2	88	10
तेलुगु	12	1,264	46
उर्दू	833	1,78,840	6,407

ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

30.11 उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

क. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
बंगाली	2	278	13
गुजराती	22	18,919	812
हिंदी	171	48,192	4,145
कन्नड़	15	4,087	374
सिंधी	6	1,093	51
उर्दू	419	69,213	6,549

ख. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

30.12 त्रिभाषा सूत्र

त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएं निम्नवत् हैंः

प्रथम भाषा : मराठी, हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, गुजराती, तमिल, कन्नड, तेलुगु, सिंधी, बंगाली

द्वितीय भाषा : मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, सिंधी, बंगाली, संस्कृत, पाली, अरबी, जर्मन और फ्रेंच

तृतीय भाषा : मराठी, हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, गुजराती, पाली, कन्नड़, तमिल, तेलगु, सिंधी, बंगाली, संस्कृत, अरबी, जर्मन और फ्रेंच

राज्य सरकार ने त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शामिल कक्षा 8, 10 और 12 के छात्रों की संख्या के संबंध में सूचना नहीं दी है।

30.13 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षकों के स्वीकृत/भरे हुए पदों के संबंध में सूचना नहीं दी है।

ख. अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षकों की प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

30.14 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

क. सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकों को तैयार करने व प्रकाशित करने के लिए महाराष्ट्र ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च उत्तरदायी है।

ख. यह भी सूचित किया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अल्पसंख्यक भाषा में पुस्तकें, निःशुल्क दी जाती हैं। यह भी बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा में पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को शैक्षणिक सत्र की शुरूआत में उपलब्ध कराई जाती हैं।

30.15 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की भाषाई वरीयता दर्ज करने हेतु भाषाई वरीयता पंजियों' के रख–रखाव के बारे में कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है।

30.16 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन और विकास की कोई योजना नहीं है। तथापि राज्य में, अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित भाषा अकादमी संबंधी विवरण निम्नवत् है :

भाषा	अकादमी का नाम	स्थापित	वर्ष 2013–14 के लिए बजट (लाख में)
उर्दू	उर्दू साहित्य अकादमी	1975	20.00
हिंदी	महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी	1982	50.00
गुजराती	महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी	1996	35.00
सिंधी	सिंधी अकादमी	1983 किन्तु वर्तमान में कार्यात्मक नहीं	5.00

30.17 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

क. राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण एवं समीक्षा हेतु राज्य/जनपद स्तर पर, कोई तंत्र गठित नहीं है।

ख. बताया गया है कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग गठित है लेकिन यह भाषाई अल्पसंख्यकों के मामले नहीं देखता है।

30.18 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

क. भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के संबंध में प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता की सुविधाओं के बारे में राज्य सरकार द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है।

ख. समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षापायों के संबंध में प्राप्त/लंबित शिकायतों के बारे में राज्य सरकार ने कोई सूचना नहीं दी है।

30.19 निष्कर्ष/संस्तुतियां

क. जिन जिला/तहसील/तालुक/नगर–पालिका की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक भाषाई अल्पसंख्यक हैं, वहां भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, राज्य सरकार द्वारा नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का प्रासंगिक अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

ख. शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति तथा उनके जवाब उन्हीं भाषाओं में दिया जाना सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ग. राज्य सरकार ने सूचना दी है कि राज्य मे 2137 संस्थाओं को धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं के रूप में मान्यता दी गई है। भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं की संख्या को विशिष्ट रूप से स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।

घ. राज्य में जनजातीय भाषाओं सहित अल्पसंख्यक भाषा पढ़ने की सुविधाओं के संबंध में राज्य को पूर्ण एवं विस्तृत सूचना प्रदान करने की आवश्यकता है।

ङ. राज्य द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान अनेक भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को सहायता–अनुदान संस्वीकृत किए गए हैं। तथापि, राज्य में अल्पसंख्यक जनसंख्या के हितार्थ, सहायता–अनुदान की संस्वीकृति के लिए, विनियमों, नीतिगत दिशानिर्देशों का राज्य द्वारा विशिष्ट रूप से उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है।

च. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों की संस्वीकृत/भरी हुई संख्या एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत विवरण प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।

छ. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि अन्तर–विद्यालयीन समायोजन के फलस्वरूप शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण सुगम हो सके।

ज. चूंकि राज्य सरकार ने राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों की सर्वाधिक आबादी दर्ज की गई है, इसलिए उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

झ. राज्य सरकर ने बताया गया है कि सिंधी अकादमी की स्थापना 1983 में की गई थी किन्तु वर्तमान समय में यह कार्यात्मक नहीं है। यह भी बताया गया है कि वर्ष 2013–14 के दौरान इस भाषा के विकास के लिए 50,000/– रू० की राशि आंवटित की गई है। अतः राज्य सरकार द्वारा इस अकादमी को पुनर्जीवित तथा सिंधी भाषा के संवर्धन के लिए इसका कार्यकरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

ञ. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, एक जनपद स्तरीय समिति का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसख्यको के रक्षोपायों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

ट. महाराष्ट्र राज्य सरकार के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर, का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है ताकि यह संवैधानिक संस्था रिपोर्ट को समय पर तैयार और प्रस्तुत कर सके।

30.20 महाराष्ट्र राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर ध्यान दें तथा आवश्यक उपचारी कदम उठाएं ताकि इस राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजनाओं को प्रभावी ढ़ंग से तथा सक्षमतापूर्वक लागू किया जा सके।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 31

भाषाई रूपरेखा

31.1 जनगणना–2001 के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या 3,56,152 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् हैः

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
बंगाली	91,582	25.71
हिंदी	64,933	18.23
तमिल	62,961	17.68
तेलुगु	45,631	12.81
मलयालम	28,869	8.11
निकोबारी	28,651	8.05
कुरूख/ओरां	13,759	3.86
मुण्डा	4,582	1.29
खारिया	4,090	1.15

31.2 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि किसी भी जनपद की जनसंख्या के 60 प्रतिशत या इससे अधिक लोग अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले नहीं हैं। यह भी बताया गया है कि कोई भी जिला/क्षेत्र/तहसील/नगर–पालिका ऐसी नहीं है जहाँ कुल जनसंख्या का 15 प्रतिशत या उससे अधिक अल्पसंख्यक भाषा–भाषी निवास करते हैं।

सूचित किया गया है कि निकोबार में जनसंख्या के 8.05% लोग निकोबारी भाषा–भाषी हैं।

31.3 **संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा :** संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा हिन्दी एवं अंग्रेजी हैं।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि में संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथासूचित भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् हैः

31.4 संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

क. संघ राज्य क्षेत्र में, अल्पसंख्यक भाषाओं में नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि के अनुवाद एवं प्रकाशन के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख. शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को प्राप्त करने तथा उन्हीं भाषाओं में उत्तर देने की व्यवस्था के बारे में कोई भी सूचना नहीं दी गई है।

31.5 संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती

क. संघ राज्य क्षेत्र की सेवा में भर्ती के लिए क्षेत्रीय/राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित है अथवा नहीं, इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।

ख. संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती के लिए प्रश्न–पत्रों के उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में देने की अनुमति के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ग. बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती के समय कोई अधिवासीय प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं।

31.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने के लिए नियमों एवं विनियमों/दिशा–निर्देशों अथवा सक्षम प्राधिकारी के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई हैं।

31.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान देने संबंधी नियम, विनियम/दिशा–निर्देश तथा सक्षम प्राधिकारी के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई हैं।

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रां के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

31.8 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
बंगाली	111	5,286	383
तमिल	26	554	126
तेलुगु	15	729	78

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ाए जाने के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

31.9 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत है:

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
बंगाली	39	3,574	139
तमिल	14	624	66
तेलुगु	8	545	22

ख. तथापि अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने संबंधी कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है।

31.10 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)

क. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत हैः

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
बंगाली	25	2,978	102
तमिल	11	576	60
तेलुगु	6	459	28

ख. अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने की कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है।

31.11 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

क. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत हैः

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
बंगाली	13	1,943	62
तमिल	05	496	23
तेलुगु	02	426	09

ख. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने संबधी कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है।

31.12 त्रिभाषा सूत्र

क. सूचित किया जाता है कि त्रिभाषा सूत्र के तहत निम्नलिखित भाषाएं पढ़ाई जाती हैं:

प्रथम भाषा	:	मातृभाषा
द्वितीय भाषा	:	हिंदी/अंग्रेजी
तृतीय भाषा	:	संस्कृत/तमिल/तेलुगु/बंगाली

ख. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार त्रिभाषा सूत्र में शामिल कक्षा 8, 10 एवं 12 के छात्रों का ब्यौरा निम्नवत् है।

भाषा	कक्षा 8	कक्षा 10	कक्षा 12
त्रिभाषा सूत्रः अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, बंगाली और संस्कृत	6,761	6,787	5,161

31.13 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षकों की संस्वीकृत क्षमता के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है। बताया गया है कि इस अवधि के दौरान शिक्षकों का कोई भी पद माध्यम/भाषावार नहीं सृजित किया गया है किन्तु आवश्यकता के अनुसार आबंटन किया जाता है।

ख. संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों की प्रशिक्षण सुविधा से संबंधित व्यवस्था के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

31.14 अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य–पुस्तकें

बताया गया है कि किसी भी भाषा को अल्पसंख्यक भाषा नहीं घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतियोगी/रियायती दरों पर पाठ्य–पुस्तकों के प्रापण एवं आपूर्ति की व्यवस्था के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

31.15 स्कलों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की भाषाई–वरीयता दर्ज करने के लिए, भाषाई वरीयता पंजियों के रख–रखाव की कोई सूचना नहीं दी गई है।

31.16 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास हेतु किसी योजना के संबंध में कोई सूचना नहीं प्रस्तुत की गई है। यह भी बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए अकादमियों की स्थापना नहीं की गई है।

31.17 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

क. ऐसा सूचित किया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी भाषा को अल्पसंख्यक भाषा नहीं घोषित किया गया है। तथापि, भाषाई अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु योजनाओं को समाज कल्याण विभाग नोडल विभाग होने के नाते कार्यान्वित करता है।

ख. यह भी सूचित किया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत राज्य तथा जिला स्तरीय समितियां गठित की हैं।

ग. आगे यह भी सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के निर्देशानुसार संघ राज्य क्षेत्र ने अल्पसंख्यकों के मामलों की देख–रेख हेतु अल्पसंख्यकों के लिए एक सलाहकार समिति गठित की है।

31.18 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

ऐसा बताया गया है कि सरकारी योजनाओं को स्थानीय समाचार–पत्रों तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। योजनाओं तथा रक्षोपायों की पुस्तिकाएं जागरूकता सृजन कार्यक्रम के जरिए वितरित की जा रही हैं।

31.19 निष्कर्ष / संस्तुतियां

क. हांलाकि हिंदी तथा अंग्रेजी राजभाषाएं हैं फिर भी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को इस द्वीप समूह में बोली जाने वाली अल्पसंख्यक तथा जनजातीय भाषाओं के महत्व को समझने तथा इन भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आगे आने की जरूरत है।

ख. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में किसी भी भाषा को अल्पसंख्यक भाषा घोषित नहीं किया गया है। तथापि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा आम लोगों के हितार्थ, नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

ग. शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को प्राप्त करना और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब देना सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है।

घ. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने तथा उन संस्थाओं, जहां आवश्यक हो, को सहायता–अनुदान की स्वीकृति देने से संबंधित संवैधानिक रक्षोपायों को लागू करने के लिए उपाय शुरू करने की आवश्यकता है।

ड. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को शिक्षा के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर अल्पसंख्यक भाषाई छात्रों को संघ राज्य क्षेत्र में उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। यह भी स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है कि विद्यालयों का संचालन संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है या केन्द्रीय अथवा स्थानीय शासन निकायों द्वारा किया जाता है तथा किस तरह की शिक्षा प्रणाली अपनाई गई है।

च. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु सभी प्राथमिक विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि मातृभाषा में शिक्षा दी जा सके।

छ. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को संघ राज्य क्षेत्र में शिक्षकों की संस्वीकृत संख्या तथा उपलब्धता एवं उनकी प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

ज. संघ राज्य क्षेत्र को संघ राज्य क्षेत्र में, स्कूलों में पाठ्य–पुस्तकें तथा शिक्षण सामग्री के प्रापण एवं आपूर्ति के संबंध में विस्तृत सूचना प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, यह भी सूचित किए जाने की आवश्यकता है कि पाठ्य–पुस्तकें प्रतियोगी या रियायती दर पर उपलबध कराई जाती हैं या नहीं तथा यह भी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है शैक्षणिक–सत्र के आरम्भ में उपलब्ध कराई जाएं।

झ. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के नोडल अधिकारी द्वारा शैक्षणिक प्राधिकारियों के समन्वय से आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर, का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट तैयार कर पेश कर सकें।

ञ. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण एवं समीक्षा करने हेतु प्रशासक की अध्यक्षता में एक "संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों का स्थानीय स्तर पर प्रभावकारी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

31.20 अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से तथा कुशलतापूर्वक किया जा सके।

आन्ध्र प्रदेश 32

भाषाई विवरण

32.1 जनगणना 2001 के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश की जनसंख्या 7,62,10,007 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् हैः

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
तेलुगु	6,39,04,791	83.85
उर्दू	65,75,033	8.63
हिन्दी	24,64,194	3.23
तमिल	7,69,685	1.01

32.2 क. **राज्य की राजभाषा** : राज्य की राजभाषा तेलुगु है।

ख. **अतिरिक्त राजभाषा** : नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं इत्यादि के प्रकाशन तथा राज्य प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में शिक्षण प्रदान करने के लिए उर्दू अतिरिक्त राजभाषा घोषित की गई है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

32.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार ने आयुक्त द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350बी (2) में शामिल संवैधानिक अधिदेश के अनुसरण में प्रेषित पत्रों का उत्तर नहीं दिया है।

32.4 भारत के महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष इस रिपोर्ट की प्रस्तुति करने के लिए इसे अंतिम रूप देने तक राज्य सरकार से कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

32.5 संस्तुतियां

क. राज्य सरकार से प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की तथ्यपरक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है।

ख. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं की स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं से सम्बन्धित समुचित नीति बनाने की आवश्यकता है।

ग. जिन जिला/तहसील/तालुका/नगर–पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

घ. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ड़. राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

च. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत सूचना प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।

छ. राज्य में, अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास हेतु प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य में, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की अकादमियों की स्थापना की जानी चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।

ज. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई प्राथमिकता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षण देने हेतु अन्तर–विद्यालयीन समायोजन को सुगम बनाया जा सके।

झ. उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार को व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू किया जाना चाहिए।

ञ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

ट. राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावली के व्यापक एवं समेकित उत्तर प्रस्तुत किए जाएं ताकि संवैधानिक प्राधिकारी को समय पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकें।

32.6 राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी रूप से तथा कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा सके।

केरल 33

भाषाई रूपरेखा

33.1 जनगणना–2001 के अनुसार केरल की जनसंख्या 3,18,41,374 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
मलयालम	3,08,03,747	96.74
तमिल	5,96,971	1.87
कन्नड़	81,406	0.26
कोंकणी	61,376	0.19

33.2 **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा मलयालम है।

33.3 राज्य में ऐसा कोई जनपद नहीं है जहाँ अल्पसंख्यक भाषा–भाषी जनपद की जनसंख्या के 60% या उससे अधिक हों।

33.4 जिन जिले/तहसील/तालुक/नगरपालिका की जनसंख्या के 15% या उससे अधिक लोगों द्वारा अल्पसंख्यक भाषाएं बोली जाती हैं उनका विवरण निम्नवत है:

जिला	तहसील/तालुक/नगर–पालिका	भाषा	प्रतिशतता
कासरगोड	कासरगोड तालुक	तुलु	18.04
पालक्कड़	चित्तुर तालुक	तमिल	20.03
पालक्कड़	चित्तुर थातमंगलम नगरपालिका	तमिल	18.41
इदुक्की	–	तमिल	19.64
इदुक्की	देवीकुलम तालुक	तमिल	48.53
इदुक्की	पीरूमाडी तालुक	तमिल	36.55

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति इस प्रकार है :

33.5 राज्य में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग

क. ऐसा कहा गया है कि जिस जिले/तहसील/तालुका/नगरपालिका की जनसंख्या के 15% या अधिक लोग भाषाई अल्पसंख्यक हों वहां महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों और सूचनाओं आदि के अल्पसंख्यक भाषाओं में, अनुवाद एवं प्रकाशन की कोई व्यवस्था नहीं है।

ख. तथापि, बताया गया है कि राशन कार्ड, मतदाता सूची, विभिन्न आवेदन प्रपत्र, सूचनाएँ तथा नाम–पट्ट, आदि मलयालम के साथ–साथ अल्पसंख्यक भाषाओं में प्रकाशित/जारी किए/लिखे जाते हैं।

ग. सूचित किया गया है कि शिकायतों के निवारणार्थ अभ्यावेदन, अल्पसंख्यक भाषा में प्राप्त किए जाने तथा उत्तर देने हेतु, आदेश जारी किए गए हैं। सूचित किया गया है कि अनुरोध किए जाने पर ऐसे अभ्यावेदनों का उत्तर उन्हीं अल्पसंख्यक भाषाओं में दिया जाता है। सूचना दी गई है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं में चार अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

33.6 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. राज्य सरकार ने सूचना दी है कि जब तक कि क्षेत्रीय/राजभाषा की विशिष्ट जानकारी केरल राज्य सेवा में भर्ती के लिए पूर्वापेक्षित न हो, भाषाई अल्पसंख्यक व्यक्ति (तमिल तथा कन्नड़ भाषाभाषी) जो भर्ती परीक्षा में मलयालम से इतर भाषा का इस्तेमाल करते हैं, को भी राज्य सेवा में नियुक्त किया जाता है यदि वे नियुक्ति की तारीख से अधिकतम 10 वर्षों की अवधि के भीतर केरल लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित मलयालम भाषा परीक्षा में उत्तीर्ण होते हों, जैसा कि शासनादेश (एम०एस०)सं० 142/पी०डी० दिनांक 30.03.1966 में विहित किया गया है।

ख. यह बताया गया है कि यदि प्रश्न पत्र मलयालम में मुद्रित हो तथा मलयालम में उत्तर दिया जाना अपेक्षित हो तो अल्पसंख्यक भाषा के अभ्यर्थियों को उसी प्रश्न का तमिल/कन्नड़ पाठ उपलब्ध कराया जाएगा और वे ऐसे प्रश्नपत्रों का उत्तर तमिल/कन्नड़ में दे सकते हैं। यदि प्रश्न–पत्र मे मलयालम भाषा के ज्ञान की जांच से संबंधित प्रश्न हों तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उनके अधिमान भाषाओं (तमिल/कन्नड़) के ज्ञान की जांच से संबंधित उतने ही प्रश्न दिए जाएंगे।

ग. राज्य की सेवा में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में बताया गया है किः

(i) अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए या (ii) नेपाल का निवासी होना चाहिए या (iii) भूटान का नागरिक होना चाहिए या (iv) तिब्बती शरणार्थी होना चाहिए जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पूर्व आए हों या (v) भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा पूर्वी अफ्रीकी देशों–केन्या, यूगाण्डा, संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तंजानिका तथा जंजीबार) से प्रवास किया हो। यह भी बताया गया है कि उपर्युक्त (ii), (iii), (iv) एवं (v) में उल्लखित व्यक्ति भारत सरकार से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करेंगे। उन्हें परीक्षा तथा साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी तथा यदि उनकी किसी पद पर नियुक्ति की जाएगी तो उनकी नियुक्ति पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन अस्थायी होगी।

33.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता

क. सूचित किया गया है कि राज्य सरकार भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने हेतु सक्षम प्रधिकरण है।

ख. 30 जून 2013 तक पांच भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता दी गई है।

ग. सूचित किया गया है कि 30.06.2013 तक भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को मान्यता प्रदान करने हेतु कोई भी आवेदन लम्बित नहीं है।

33.8 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

क. बताया गया है कि राज्य सरकार भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकरण है।

ख. यह भी बताया गया है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान एक उच्च प्राथमिक स्कूल को सहायता प्रदान की गई है। तथापि, भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है।

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

33.9 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
तमिल	108	8,153	51
कन्नड़	91	10,020	–

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, अरबी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है, जिसका विवरण निम्नवत् हैंः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
अरबी	3,246	4,39,948	4,106

33.10 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
तमिल	34	7,945	39
कन्नड़	45	9,203	2

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अरबी, संस्कृत तथा उर्दू एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती हैं जिसका ब्यौरा निम्नवत है:

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
संस्कृत	1,824	1,62,041	2,173
अरबी	1,608	2,45,839	1,672
उर्दू	1,087	70,529	1,127

33.11 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)

क. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
तमिल	64	8,615	70
कन्नड़	49	10,273	89

ख. सूचित किया गया है कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अरबी, संस्कृत तथा उर्दू भाषाएं एक विषय के रूप में, पढ़ाई जाती हैं जिसका ब्यौरा निम्नवत् है:

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
संस्कृत	1,197	77,584	905
अरबी	1,168	2,36,755	1,397
उर्दू	455	38,315	377

33.12 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

क. बताया गया है कि उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में अंग्रेजी शिक्षण का माध्यम है। इसके अलावा, अभ्यर्थियों को मलयालम में तथा अल्पसंख्यक भाषाओं अर्थात् तमिल या कन्नड़ में परीक्षा देने का विकल्प प्राप्त है।

ख. यह भी बताया गया है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, निम्नलिखित अल्पसंख्यक भाषाएं, एक विषय के रूप में, पढ़ाई जाती हैं:

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
तमिल	23	1,956	23
कन्नड़	27	2,507	27

33.13 त्रिभाषा सूत्र

क. राज्य में त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएँ निम्नवत् हैं :

प्रथम भाषा	:	क्षेत्रीय भाषा (मलयालम)
द्वितीय भाषा	:	अंग्रेजी
तृतीय भाषा	:	हिंदी

ख. त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत शामिल कक्षा 8, 10 और 12 के छात्रों की संख्या निम्नवत् है :

33.14 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम और एक विषय के रूप, में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के पदों का विवरण निम्नवत् हैः

भाषा	माध्यम के रूप में		विषय के रूप में	
	स्वीकृत	भरे हुए	स्वीकृत	भरे हुए
तमिल	–	–	23	23 (23 में से 6 अतिथि शिक्षकगण)
कन्नड़	–	–	27	27

ख. राज्य में अल्पसंख्यक भाषा पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का विवरण निम्नवत हैः

प्रशिक्षण संस्थान	अल्पसंख्यक भाषा	
	माध्यम के रूप में	विषय के रूप में
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट)	तमिल	अरबी, उर्दू
	कन्नड़	कन्नड़, तमिल

ग. राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के आदान–प्रदान/शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए पड़ोसी राज्यों से सहयोग/समझौते के बारे में कोई सूचना नहीं दी है।

33.15 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

क. अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें और अन्य शैक्षणिक सामग्री तैयार करने एवं प्रकाशन का कार्य, एस०सी०ई०आर०टी० को सौंपा गया है।

ख. यह भी सूचित किया गया है कि विद्यार्थियों को अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकों की आपूर्ति शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में की जाती है।

33.16 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

स्कूलों में, भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की भाषागत वरीयता दर्ज करने के लिए 'भाषाई वरीयता पंजियों' के रख–रखाव के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

33.17 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन और विकास हेतु किसी गतिविधि के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तथापि, सूचना दी गई है कि अरबी तथा संस्कृत के संवर्धन एवं विकास के लिए एक अरबी विशेष अधिकारी तथा एक संस्कृत विशेष अधिकारी कार्यरत है।

33.18 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

क. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण और समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है। विधान सभा के सदस्य और प्रशासनिक विभागों के प्रमुख इसके सदस्य हैं। इस समिति की पिछली बैठक दिनांक 4.10.2012 को हुई थी।

ख. यह भी बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर एक समिति मौजूद है जिसमें सदस्यों के रूप में शिक्षा तथा कालेजिएट शिक्षा उप निदेशकों के साथ सासदों/विद्यालयों/जिला अध्यक्षों/स्थानीय क्षेत्र की अल्पसंख्यक भाषा के तीन प्रतिनिधियों को सहयोजित किया गया है।

33.19 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ राज्य सरकार ने वर्ष 2002 में एक पुस्तिका "सेफगार्ड्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनरोटिज इन केरल" प्रकाशित की है।

33.20 निष्कर्ष/संस्तुतियां

क. जिन जिला/तहसील/तालुक/नगर–पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15% या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

ख. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं की मान्यता तथा सहायता अनुदान देने के लिए पदनामित प्राधिकारियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

ग. अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षकों के पदों की संख्या का पूर्ण ब्यौरा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

घ. त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही अल्पसंख्यक भाषाओं की स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है। त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत हिन्दी का तृतीय भाषा के रूप में उल्लेख है, हालांकि हिन्दी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का विवरण नहीं दिया गया हैं। इसे स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।

ङ. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की भाषाई वरीयता दर्जा करने के लिए भाषाई वरीयता पंजियों का सभी स्कूलों में रखरखाव किया जाए ताकि राज्य में मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षण प्रदान किया जा सके।

च. राज्य में, अल्पसंख्यक भाषाओं की रक्षा एवं विकास हेतु प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। राज्य में, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विकास के लिए भाषाई अकादमियों की स्थापना की जानी चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।

छ. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू करना चाहिए। पम्पलेट जिन पर भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं का विवरण निहित हो, को वार्षिक आधार पर प्रकाशित किए जाने की आवश्यकता है।

ज. केरल राज्य सरकार के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर, का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट भारत के महामहिम राष्ट्रपति, जी को नियत समय के भीतर प्रस्तुत कर सकें।

33.21 केरल राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से तथा कुशलतापूर्वक किया जा सके।

लक्षद्वीप 34

भाषाई रूपरेखा

34.1 जनगणना–2001 के अनुसार, लक्षद्वीप की जनसंख्या 60,650 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है:

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
मलयालम	51,555	85
महल/अन्य भाषाएं	9,095	15

34.2 क. **संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा :** संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा अंग्रेजी है।

ख. **अतिरिक्त राजभाषा :** हिंदी अतिरिक्त राजभाषा है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

34.3 यह चिंता का विषय है कि संघ राज्य क्षेत्र ने आयुक्त द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350बी (2) में शामिल संवैधानिक अधिदेश के अनुसरण में प्रेषित पत्रों का उत्तर नहीं दिया है।

34.4 भारत के महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष इस रिपोर्ट की प्रस्तुति करने के लिए इसे अंतिम रूप देने तक संघ राज्य क्षेत्र से कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

34.5 संस्तुतियां

क. संघ राज्य क्षेत्र से प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की तथ्यपरक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है।

ख. संघ राज्य क्षेत्र द्वारा, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

ग. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

घ. संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

ड़. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विस्तृत सूचना प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।

च. संघ राज्य क्षेत्र में, अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास हेतु प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। संघ राज्य क्षेत्र में, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की अकादमियों की स्थापना की जानी चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।

छ. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई प्राथमिकता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि संघ राज्य क्षेत्र में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षण देने हेतु अन्तर–विद्यालयीन समायोजन को सुगम बनाया जा सके।

ज. संघ राज्य क्षेत्र के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावली के व्यापक एवं समेकित उत्तर प्रस्तुत किए जाएं ताकि संवैधानिक प्राधिकारी समय पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकें।

34.6 संघ राज्य क्षेत्र से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी रूप से तथा कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा सके।

पुदुच्चेरी 35

भाषाई रूपरेखा

35.1 जनगणना–2001 के अनुसार पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या 9,74,345 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् हैः

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
तमिल	8,61,502	88.42
तेलुगु	50,908	5.22
मलयालम	42,782	4.39

35.2 क. **संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा** :सूचित किया गया है कि पाण्डिचेरी राजभाषा अधिनियम 1965 के अनुसार इस संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा तमिल है तथा अंग्रेजी का इस्तेमाल सरकारी प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

ख. **अतिरिक्त राजभाषाएं** : मलयालम तथा तेलुगु को संघ राज्य क्षेत्र के क्रमशः माहे तथा यनम क्षेत्रों में राजभाषाओं के रूप में घोषित किया गया है।

35.3 सूचित किया गया है कि कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां जनसंख्या के 60 प्रतिशत या अधिक द्वारा अल्पसंख्यक भाषाएं बोली जाती हैं, न ही कोई जिला/तहसील/ नगर पालिका ऐसी है जहाँ की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक लोग अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले हों।

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् है :

35.4 संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

क. बताया गया है कि नियमों, विनियमों तथा सूचनाओं आदि का प्रकाशन अल्पसंख्यक भाषाओं में नहीं किया जाता है।

ख. शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदन प्राप्त करने तथा उनका प्रत्युत्तर उसी भाषा में देने की व्यवस्था नहीं है।

35.5 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती के लिए क्षेत्रीय/राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित है।

ख. यह भी बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं में प्रश्नपत्रों के उत्तर देने की अनुमति नहीं है।

ग. सूचित किया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबंध लागू होते हैं।

35.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

क. भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक–संस्थाओं को मान्यता देने से संबंधित नियमों तथा विनियमों/दिशा–निर्देशों के संबंध में सूचना नहीं दी गई है। तथापि, सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को सचिव (शिक्षा), पुदुच्चेरी सरकार मान्यता प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी हैं।

ख. सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने से संबंधित कोई भी अभ्यावेदन/आवेदन लम्बित नहीं है।

35.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

बताया गया है कि सहायता–अनुदान अनुभाग, स्कूल शिक्षा निदेशालय, पुदुच्चेरी शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकरण है। वर्ष 2012–13 के लिए सहायता–अनुदान संस्वीकृत, भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं की भाषावार संख्या के संबंध में बताया गया है कि पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र में कोई भी प्राइवेट संस्था भाषाई अल्पसंख्यक के अंतर्गत नहीं आती है। अतः सहायता–अनुदान की संस्वीकृति "शून्य" समझी जाती है।

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

35.8 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
फ्रेंच	4	117	15

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
हिन्दी	10	280	5
अरबी	10	73	2
संस्कृत	2	11	2

35.9 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
फ्रेंच	4	107	24

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
हिन्दी	12	2,255	12
अरबी	4	561	10
संस्कृत	1	18	2

35.10 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)

क. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
फ्रेंच	4	48	24

ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
हिन्दी	13	2,629	12
अरबी	5	439	7
संस्कृत	1	3	2

35.11 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	छात्र	शिक्षक
हिन्दी	6	479	12
फ्रेंच	12	420	8
अरबी	4	224	1

35.12 त्रिभाषा सूत्र

क. संघ राज्य क्षेत्र के पुदुच्चेरी, तथा कराईकल क्षेत्र में द्विभाषा सूत्र का अनुसरण किया जा रहा है। तथापि, संघ राज्य क्षेत्र के यनम तथा माहे क्षेत्रों में त्रिभाषा सूत्र लागू है जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है :

पुदुच्चेरी क्षेत्र

प्रथम भाषा	:	तमिल कक्षा 1 से 12 तक हिंदी / फ्रेंच / संस्कृत केवल कक्षा 11 से 12 में (कुछ विद्यालयों में कक्षा 6 से लागू)
द्वितीय भाषा	:	अंग्रेजी कक्षा 1 से 12 तक
तृतीय भाषा	:	पुदुच्चेरी क्षेत्र में कोई तृतीय भाषा नहीं है।

कराईकल क्षेत्र

प्रथम भाषा	:	तमिल कक्षा 1 से 12 तक हिंदी / फ्रेंच / संस्कृत, केवल कक्षा 11 से 12 में (कुछ विद्यालयों में कक्षा 6 से लागू)
द्वितीय भाषा	:	अंग्रेजी कक्षा 1 से 12 तक
तृतीय भाषा	:	कराईकल क्षेत्र में कोई तृतीय भाषा नहीं है।

माहे क्षेत्र

प्रथम भाषा	:	मलयालम कक्षा 1 से 12 तक हिंदी /अरबी, केवल कक्षा 1 एवं 12 में (कुछ विद्यालयों में कक्षा 6 से लागू)
द्वितीय भाषा	:	अंग्रेजी कक्षा 1 से 12 तक
तृतीय भाषा	:	हिंदी

यनम क्षेत्र

प्रथम भाषा	:	तेलुगु कक्षा 1 से 12 तक हिंदी / संस्कृत केवल कक्षा 6 से 12 में (कुछ विद्यालयों में कक्षा 6 से लागू)
द्वितीय भाषा	:	अंग्रेजी कक्षा 1 से 12 तक
तृतीय भाषा	:	हिंदी

ख. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शामिल कक्षा 8, 10 और 12 में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का विवरण निम्नवत है:

माहे क्षेत्र

भाषा	कक्षा 8	कक्षा 10	कक्षा 12
हिंदी	538	687	172
अरबी	204	183	40

यनम क्षेत्र

भाषा	कक्षा 8	कक्षा 10	कक्षा 12
हिंदी	606	521	शून्य

35.13 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षकों के सृजित/निर्धारित पदों का विवरण निम्नवत है :

भाषा	माध्यम के रूप में		विषय के रूप में	
	स्वीकृत पद	भरे हुए	स्वीकृत पद	भरे हुए
फ्रेंच	68	39	10	8
संस्कृत	सूचना प्राप्त नहीं है।		3	2
हिन्दी			65	29
अरबी			23	13

ख. सूचित किया गया है कि माहे क्षेत्र में डायट, टिलीचरी, कोझिकोडू और कन्नूर विश्वविद्यालय (केरल) से विशेषज्ञों को अल्पसंख्यक भाषाओं जैसे कि अरबी, हिंदी, फ्रेंच तथा संस्कृत में सेवारत शिक्षकों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करने हेतु आमंत्रित किया जाता है।

ग. उसी प्रकार यनम क्षेत्र में, डायट बोमावरम् तथा कालेज ऑफ एडूकेशन राजामुंदरी (आंध्र प्रदेश) के विशेषज्ञ व्यक्तियों को अल्पसंख्यक भाषाओं जैसे कि हिंदी, आदि में पुनःश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करने हेतु आमंत्रित किया जाता है।

35.14 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

क. सूचित किया गया है कि पाठ्य–पुस्तकों एवं अन्य शिक्षण–सामग्री को तैयार करने एवं उनके प्रकाशन का कार्य पड़ोसी राज्यों के शिक्षा बोर्ड को सौंपा गया है जिसका विवरण निम्नवत है :

1. केरल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, तिरूवनंतपुरम
2. एस०सी०ई०आर०टी०, तिरूवनंतपुरम, केरल
3. आंध्र प्रदेश बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, हैदराबाद
4. बोर्ड आफ इण्टरमीडिएट एजूकेशन, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
5. हिन्दी प्रचार सभा, नई दिल्ली एवं चेन्नई

ख. प्रशिक्षण के दौरान अल्पसंख्यक भाषा संबंधी कार्यप्रणाली तथा इसकी विशिष्ट अंतर्वस्तु की चर्चा हेतु अध्ययन सामग्री आदि का प्रयोग किया जाता है।

ग. अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य–पुस्तकें प्राप्त करने हेतु सामान्यतया नजदीकी जिलों जैसे कि पुदुच्चेरी क्षेत्र के लिए कुडालोर, विल्लुपुरम तथा माहे क्षेत्र के लिए यनम और तिलेचेरी के मुख्य शिक्षा अधिकारी से सलाह ली जाती है।

घ. चूंकि ये पुस्तकें सरकार की पाठ्य–पुस्तक समितियों द्वारा मुद्रित और प्रकाशित की जाती हैं, अतः इनकी आपूर्ति तुलनीय दरों पर विद्यार्थियों को की जा सकती है।

35.15 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

विद्यालयों में भाषाई वरीयता पंजियों के रख–रखाव के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

35.16 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

संध राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन और विकास के लिए कोई योजना अथवा अकादिमयों की स्थापना नहीं की गई है।

35.17 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण और समीक्षा के लिए संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर कोई समिति गठित नही की गई है। तथापि यह कहा गया है कि निदेशक, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक मामलों के लिए संघ राज्य क्षेत्रों के चार क्षेत्रों अर्थात पुदुच्चेरी, कराईकल, माहे और यनम के नोडल अधिकारी हैं। साथ ही, ऐसा बताया गया है कि पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र में धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है।

35.18 संवैधानिक अधिकारों और रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों और सुविधाओं के प्रचार–प्रसार हेतु संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा कोई तंत्र स्थापित नहीं है।

35.19 निष्कर्ष / संस्तुतियां

क. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली अल्पसंख्यक भाषाओं पर समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है।

ख. संघ राज्य क्षेत्र सेवाओं में भर्ती के समय संघ राज्य क्षेत्र की क्षेत्रीय / राजभाषा के पूर्व ज्ञान पर प्रशासन को जोर नहीं देना चाहिए और प्रदेश क्षेत्र में रोजगार के मामले में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु, संघ राज्य क्षेत्र सेवाओं में भर्ती के लिए अधिवासीय प्रतिबंध नही लगाया जाना चाहिए। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु परिवीक्षा अवधि के दौरान संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा सीखने के लिए सहमतिजन्य रक्षोपायों के अनुसार अनुबद्ध समय निर्धारित करना चाहिए।

ग. शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

घ. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने तथा जहां कहीं आवश्यक हो, इन्हें सहायता–अनुदान स्वीकृत करने से संबंधित संवैधानिक रक्षोपायों को लागू करने के लिए उपाए शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

ड. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को माहे तथा यनम क्षेत्रों सहित संघ राज्य क्षेत्र में मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषा को स्कूलों में पढ़ने के लिए उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में पूर्ण एवं व्यापक सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

च. संध शासित क्षेत्र प्रशासन को संघ राज्य क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि भाषाई अल्पसंख्यक छात्र स्कूलों में अपनी मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषा का अध्ययन करने में समर्थ हो सकें।

छ. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की भाषाई वरीयता दर्ज करने के लिए 'भाषाई वरीयता पंजियां' प्रदेश के सभी स्कूलों में अनुरक्षित की जाएं ताकि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण सुगम हो सके।

ज. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को प्रदेश में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण एवं समीक्षा करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक संध राज्य क्षेत्र स्तरीय समिति को गठित करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति भी गठित की जा सकती है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

झ. संधशासित प्रदेश प्रशासन की भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू करना चाहिए ताकि प्रदेश में भाषाई अल्पसंख्यकों में जागरूकता का प्रसार हो सके।

ञ. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर, का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट भारत के महामहिम राष्ट्रपति, भारत सरकार को नियत समय में प्रस्तुत कर सकें।

35.20 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, पुदुच्चेरी से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि प्रदेश में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से तथा कुशलतापूर्वक किया जा सके।

तमिलनाडु 36

भाषाई रूपरेखा

36.1 जनगणना–2001 के अनुसार तमिलनाडु की जनसंख्या 6,24,05,679 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् हैः

भाषा	भाषा भाषी	प्रतिशतता
तमिल	5,57,98,916	89.41
तेलुगु	35,27,594	5.65
कन्नड़	10,45,238	1.67
उर्दू	9,42,299	1.51
मलयालम	5,57,705	0.89

36.2 क. **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा तमिल है।

ख. **अतिरिक्त राजभाषा** : सूचना दी गई है कि अंग्रेजी को संप्रेषण के प्रयोजन हेतु अतिरिक्त राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है।

36.3 क. सूचना दी गई है कि ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ भाषाई अल्पसंख्यकों की संख्या जिले की जनसंख्या के 60 प्रतिशत या इससे अधिक हो।

ख. यह भी जानकारी दी गई है कि निम्नलिखित अल्पसंख्यक भाषाएं जिले/तालुक/तहसील/नगरपालिका की आबादी (जनगणना 2011 के अनुसार) के 15% या इससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं:

जिला	तहसील/तालुक/नगरपालिका	भाषा	प्रतिशतता
तिरूवल्लुर	तिरूत्तानी	तेलुगु	27.11
तिरूवल्लुर	तिरूवल्लुर	तेलुगु	16.21
वेल्लौर	वनियामबोडी	उर्दू	19.31
कन्याकुमारी	1. कलकुलम 2. कुजहिरतुरल	मलयालम	30 20
विरूदनगर	राजापल्लयम	तेलुगु	21.07
मुदुरई	कोडाईकैनाल	तेलुगु	17.36
डिंडीगुल	पलानी	तेलुगु	16.46
मदुरई	पेरियाकुलम	तेलुगु	20.19
नीलगिरि	मिटटूपल्लयम	कन्नड़	53.77
धर्मपुरी	होसुर	तेलुगु	29.07
सालेम	सालेम	तेलुगु	19.55
कोयम्बटूर	कोयम्बटूर	तेलुगु	22.82
इरोड	गोबीचेट्टीपलयम	तेलुगु	16.14

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत हैः

36.4 राज्य में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग

क. सूचना दी गई है कि कन्याकुमारी जिले में, पदनामपुरम, किल्लुयुर एवं विलवानकोड निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची मलयालम भाषा में भी प्रकाशित की जा रही है।

ख बताया गया है कि शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदन स्वीकार करने के लिए आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन के उत्तर में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी गई है।

36.5 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. सूचित किया गया है कि राज्य की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों के उत्तर सिर्फ तमिल और अंग्रेजी में देने की अनुमति है।

ख. राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए क्षेत्रीय/राजभाषा का ज्ञान राज्य सेवा के अधीन निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिए ही पूर्वापेक्षित हैः

1. जिला शिक्षा अधिकारी
2. सहायक लोक अभियोजक ग्रेड–II
3. कृषि अधिकारी (एक्सटेंशन)

बताया गया है कि तमिल से इतर मातृभाषा वाले अभ्यर्थियों को द्वितीय श्रेणी भाषा की परीक्षा तमिलनाडु राज्य तथा अधीनस्थ सेवा नियमावली के नियम 12क (ख) के अनुसार 2 वर्ष की अवधि के भीतर उत्तीर्ण करनी होगी, ऐसा न करने पर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

ग. बताया गया है कि तमिलनाडु से इतर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को 'अन्य' अर्थात 'सामान्य' श्रेणी का अभ्यर्थी माना जाता है।

घ. इस संबंध में कि राज्य सेवाओं की भर्ती परीक्षा के लिए प्रश्नपत्रों का उत्तर देने में अल्पसंख्यक भाषाएं प्रयुक्त किए जाने की अनुमति है या नहीं, बताया गया है कि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रश्न–पत्र सामान्यतः अंग्रेजी तथा तमिल में तैयार किए जाते हैं। कतिपय पदों जैसे कि सहायक चिकित्सा अधिकारी, (सिद्ध और यूनानी) के लिए प्रश्न पत्र क्रमशः तमिल/उर्दू में तैयार किए जाते हैं क्योकि ये विषय इन्ही भाषाओं में पढ़ाए जाते हैं। तमिलनाडु लोक सेवा आयोग द्वारा अनुपालित परीक्षा स्कीम के अनुसार, सभी तकनीकी पदों के लिए प्रश्न पत्रों में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं।

ङ. राज्य सेवाओं में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबंध लागू होने के संबंध में बताया गया है कि तमिलनाडु राज्य तथा अधीनस्थ सेवा नियमावली का पैरा 12 लागू होता है जिसका विवरण निम्नवत् हैः

राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को अवश्य हीः

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए।
(ख) नेपाल का निवासी होना चाहिए अथवा
(ग) भूटान का निवासी होना चाहिए अथवा
(घ) तिब्बती शरणार्थी होना चाहिए जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आए थे।

अथवा

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी देशों– केन्या, यूगाण्डा, तंजानिया, संयुक्त गणराज्य (पूर्ववर्ती तंजानिका तथा जंजीबार) जाम्बिया मालावी, जायरे तथा इथियोपिया से प्रवास किया हो।

बशर्ते कि श्रेणी (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से संबंधित अभ्यर्थी वैसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र दिया गया हो।

वैसे अभ्यर्थी जिनके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, को तमिलनाडु लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा अथवा साक्षात्कार में शामिल किया जा सकता है तथा उन्हें अस्थाई रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा उन्हें आवश्यक प्रमाणन्पत्र दिया गया हो।

अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों (तमिलनाडु के अभ्यर्थियों को छोड़कर) को सभी भर्तियों के लिए अन्य अर्थात सामान्य श्रेणी के रूप में माना जाएगा।

36.6 भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता

क. बताया गया है कि तमिलनाडु द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल (विनियमन) अधिनियम 1973, नियमावली 1974 तथा तमिलनाडु अल्पसंख्यक विद्यालय (मान्यता एवं अनुदानों की अदायगी) नियमावली 1977 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता प्रदान की जाती है। तमिलनाडु राज्य सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, अपने–अपने क्षेत्रों मे भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकरण हैं।

ख. सूचित किया जाता है कि भाषाई अलपसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रासंगिक सरकारी आदेश हैं– जी०ओ० (एम०एस०) सं० 270, उच्चतर शिक्षा (जे1) विभाग दिनांक 17.06.1988, जी०ओ० (एम०एस०) सं० 48, उच्चतर शिक्षा (ई1) विभाग दिनांक 12.03.2007, जी०ओ० (एम०एस०) सं० 386, उच्चतर शिक्षा (जे1) विभाग दिनांक 11.12.2006, तथा सरकार ने पैरा 8(1) से जी०ओ० (एम०एस०) सं० 270, उच्चतर शिक्षा (जे1) विभाग दिनांक 1706.1998, जी०ओ० (एम०एस०) सं० 375, स्कूल शिक्षा विभाग (जे1) विभाग दिनांक 12.10.1998 तथा जी०ओ० (एम०एस०) सं० 214, स्कूल शिक्षा विभाग (जे1) विभाग दिनांक 03.12. 2008 के (VII) तक भाषाई अल्पसंख्यक संस्था को मान्यता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए हैंः

i) शैक्षणिक संस्थाओं का उद्देश्य संबधित अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संवर्धन करना होना चाहिए तथा इसे संबंधित अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के लिए उपयोगी होना चाहिए।

ii) अल्पसंख्यकों द्वारा ऐसी ही शैक्षणिक संस्था स्थापित की जानी चाहिए तथा इन्हें उस अल्पसंख्यक वर्ग के संदस्यों द्वारा ही निरन्तर रूप से प्रशासित किया जाना चाहिए।

iii) ऐसी शैक्षणिक संस्था जिन्हें किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा मूलतः स्थापित नहीं किया गया था, बाद में किसी भी परिस्थिति मे ऐसा दर्जा या विशिष्टता नहीं प्राप्त कर सकते।

iv) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के सभी ट्रस्टी या शासी निकाय के सदस्य संबंधित अल्पसंख्यक वर्ग से ही होंगे।

v) किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित तथा प्रशासित स्वपोषक शैक्षणिक संस्थाएँ जो शिक्षा के व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित कर रहीं हों, होने की स्थिति में, वे संस्वीकृत क्षमता के 50 प्रतिशत से अनधिक अल्पसंख्यक छात्रों को ही दाखिला देंगे। यदि कोई रिक्ति हो जो भरी न गई हो तो उस रिक्ति के 50 प्रतिशत को मेरिट के आधार पर ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई सामान्य सूची से भरा जाएगा।

vi) यह तय करने के लिए कि प्रार्थी धर्म या भाषाई आधार पर अल्पसंख्ख्यक है या नहीं, तमिलनाडु राज्य में उस अल्पसंख्यक वर्ग की पूरी जनसंख्या न कि किसी क्षेत्र विशेष जहां शैक्षणिक संस्था स्थापित है, में उस अल्पसंख्यक वर्ग की जनसंख्या को ध्यान में रखा जाएगा।

vii) जहां तक तमिलनाडु राज्य का संबंध है, तमिल से इतर मातृभाषा वाले व्यक्ति को उस राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक माना जाएगा तथा धार्मिक अल्पसंख्यक के संबंध में, हिन्दु धर्म से इतर धर्म वाले व्यक्ति को उस राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यक माना जाएगा।

ग. सूचना दी गई है कि 30 जून 2013 तक राज्य में निम्नलिखित भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान की गई है:

भाषा	प्राथमिक तथा मिडिल स्कूल	छात्र	शिक्षक
उर्दू	251	26,450	975
तेलुगु	738	37,402	1,807
मलयालम	21	1,015	46
कन्नड़	68	3,002	145
हिन्दी	5	429	10
गुजराती	1	4	1

भाषा	उच्च विद्यालय	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
तेलुगु	11	13
उर्दू	–	8
हिन्दी	–	7
मलयालम	6	16
गुजराती	–	3
कन्नड	9	8
सौराष्ट्र	2	4
अरबी	–	1

भाषा	उच्चतर शिक्षा (कला एवं विज्ञान)
तेलुगु	5
सौराष्ट्र	1
राजस्थानी एवं गुजराती	1

भाषा	उच्चतर शिक्षा (इंजीनियरिंग)
तेलुगु	42
कन्नड	1
हिन्दी	1
मलयालम	2
सौराष्ट्र	2

घ. 30 जून, 2013 तक भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में मान्यता हेतु लंबित आवेदनों की स्थिति निम्नवत् हैः

प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल–शून्य

उच्चतर शिक्षा

कालेज	–	मलयालम	–	3
तकनीकी शिक्षा	–	तेलुगु	–	8

36.7 भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को सहायता–अनुदान

क. सूचित किया गया है कि तमिलनाडु द्वारा मान्यताप्राप्त प्राइवेट स्कूल निजी विद्यालय विनियमन अधिनियम, 1974 की धारा 14क के अनुसार 01.06.1991 के बाद किसी शैक्षणिक संस्था को कोई सहायता नहीं दी गई है।

ख. राज्य में वर्ष 2012–13 के लिए भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को स्वीकृत सहायता–अनुदान का विवरण निम्नलिखित हैः

स्तर	स्कूलों की संख्या	अल्पसंख्यक भाषाओं के नाम							
		उर्दू	तेलुगु	मलयालम	कन्नड़	हिंदी	सौराष्ट्र	गुजराती	अरबी
प्राथमिक	90	58	0	26	4	0	2	0	0
उच्च प्राथमिक	21	3	2	7	5	0	4	0	0
माध्यमिक स्कूल	28	0	11	6	9	0	2	0	0
उच्च माध्यमिक स्कूल	60	8	13	16	8	7	4	3	1

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

36.8 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैं :

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू	179	18,001	662
तेलुगु	406	20,102	997
मलयालम	13	732	38
कन्नड़	45	1,730	95
हिंदी	5	420	12
गुजराती	1	4	1

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत हैं:

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू	176	17,800	590
तेलुगु	319	17,000	848
कन्नड़	15	575	31

36.9 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

क. सूचित किया गया है कि शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत हैं:

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू	72	9,400	331
तेलुगु	332	17,801	892
मलयालम	8	281	17
कन्नड़	23	1,320	65

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैं:

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
उर्दू	101	10,820	330
तेलुगु	317	16,980	841
कन्नड़	15	560	31

36.10 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)

क. बताया गया है कि माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
तेलुगु	58	12,557	438
मलयालम	03	224	13
उर्दू	09	866	45
कन्नड़	03	768	15
हिन्दी	69	3,257	42
गुजराती	02	30	04
अरबी	12	4,448	66

ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
गुजराती	1	21	2
अरबी	5	3,174	49

36.11 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

क. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैंः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
तेलुगु	35	7,041	342
मलयालम	11	1,802	59
उर्दू	22	10,519	438
कन्नड़	8	6,760	142
हिन्दी	10	1,804	103
गुजराती	2	168	8
अरबी	6	920	17

ख. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

भाषा	विद्यालय	विद्यार्थी	शिक्षक
गुजराती	1	9	1
अरबी	7	1,274	17

36.12 त्रिभाषा सूत्र

सूचित किया गया है कि राज्य में द्विभाषा सूत्र का अनुपालन किया जाता है। इसमें निम्नलिखित भाषाएं शामिल हैं:

प्रथम भाषा : तमिल
द्वितीय भाषा : अंग्रेजी

सूचना दी गई है कि जो अपनी भाषा पढ़ना चाहते हैं उन्हें तीसरी भाषा अतिरिक्त भाषा के रूप में पढनी होगी।

36.13 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषाओं को माध्यम एवं एक विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के स्वीकृत एवं भरे हुए पदों का विवरण निम्नवत है :

प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा

भाषा	माध्यम के रूप में		विषय के रूप में	
	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	स्वीकृत पद	भरे हुए पद
तेलुगु	4	4	–	–
मलयालम	176	168	13	12
उर्दू	353	329	58	39
कन्नड़	143	132	–	–

माध्यमिक विद्यालयी शिक्षा

भाषा	माध्यम के रूप में		विषय के रूप में	
	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	स्वीकृत पद	भरे हुए पद
तेलुगु	68	49	307	307
मलयालम	30	28	237	237
उर्दू	39	38	98	98
कन्नड़	10	9	102	77
हिंदी	19	19	84	84
गुजराती	4	4	4	4
अरबी	68	68	–	–

ख. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

ग. बताया गया है कि अल्पसंख्यक शिक्षकों के आदान–प्रदान के लिए पड़ोसी राज्यों से कोई परस्पर सहयोग नहीं लिया जाता है।

36.14 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

क. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा में पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में ही उपलब्ध करा दी जाती है। तमिलनाडु पाठ्य–पुस्तक निगम शैक्षणिक अवकाश के आरम्भ में ही कक्षा I से X

के भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को रीडर, गणित, विज्ञान एवं समाज विज्ञान की पुस्तकें तथा कक्षा XI से XII के छात्रों को केवल रीडर की पाठ्य–पुस्तक सप्लाई कर रही है।

ख. सूचना दी गई है कि स्कूल शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा बताई गई आवश्यकतानुसार, तमिलनाडु पाठ्य–पुस्तक निगम पाठ्यपुस्तकें मुद्रित कर रही है तथा भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को आपूर्ति कर रही है।

ग. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य–पुस्तकों का विक्रय तमिल तथा अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों के समतुल्य किया जाता है।

36.15 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

बताया गया है कि 470 प्राथमिक विद्यालयों, 63 उच्च प्राथमिक विद्यालयों, 28 माध्यमिक, 60 उच्चतर माध्यमिक, 48 तकनीकी शिक्षा तथा 7 उच्चतर शिक्षा स्कूलों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव किया जा रहा है।

36.16 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

क. बताया गया है कि राज्य में अल्पसंख्यक भाषा के संवर्धन की कोई योजना नहीं है।

ख. उर्दू भाषा के संवर्धन एवं विकास के लिए स्थापित अकादमी का विवरण निम्नवत है :

भाषा	अकादमी का नाम	कब स्थापित की गई	2012–13 के लिए बजट
उर्दू	उर्दू अकादमी	शासनादेश (एम.एस.) सं० 210, उच्चतर शिक्षा विभाग दिनांक 12.7.2006	शून्य

36.17 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

क. सूचित किया गया है कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग, भाषाई अल्पसंख्यकों के मामलों की देखभाल कर रहा है। तमिलनाडु के राज्य अल्पसंख्यक आयोग को विगत 28.12.2012 को पुनर्गठित किया गया। अध्यक्ष तथा 6 सदस्यों ने 01.01.2013 को प्रभार ग्रहण किया। इसकी पिछली बैठक 8 फरवरी, 2013 को आयोजित की गई थी।

ख. राज्य अल्पसंख्यक आयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से संस्तुतियां करता है:

i. भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन को सुनिश्चित किए जाने हेतु।

ii. अध्ययन, अनुसंधान, और विश्लेषण करने तथा अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव को दूर करने के उपाय का सुझाव देने हेतु।

iii. राज्य में साम्प्रदायिक सदभाव को सुनिश्चित करने, बनाए रखने तथा बढावा देने हेतु संस्तुति करने के लिए।

iv. अल्पसंख्यकों के संबंध में सरकार द्वारा किए जाने के लिए उपयुक्त विधिक एवं कल्याणकारी उपायों का सुझाव देने हेतु।

ख. बताया गया है कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/ शिक्षा विभागों के मुख्य शिक्षाधिकारियों को भाषाई अल्पसंख्यक मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

36.18 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार

क. यह सूचित किया गया है कि शासनादेश (एम० एस०) सं० 455 पब्लिक (पार्टीसन) विभाग दिनांक 14.3.1961 में इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं कि सभी महत्वूपर्ण सरकारी नोटिस, नियमावली तथा मतदाता सूची तथा प्रपत्रों इत्यादि का प्रकाशन अल्पसंख्यक भाषाओं में किया जाएगा। अल्पसंख्यक भाषाओं में दस्तावेजों के पंजीकरण इत्यादी की सुविधाएं उन क्षेत्रों में प्रदान की जाएंगी जहाँ की स्थानीय जनसंख्या के 20 प्रतिशत या अधिक लोग तमिल से भिन्न अल्पसंख्यक भाषाओं को बोलने वाले हैं।

ख. ऐसा सूचित किया गया है कि जिला स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं/विद्यालयों के बुनियादी विकास की योजना, स्कूल शिक्षा विभाग, द्वारा संबद्ध राजस्व जनपदों के मुख्य शिक्षाधिकारी की अध्यक्षता में तैयार की गई है।

36.19 निष्कर्ष/संस्तुतियां

क. जिन जिला/तहसील/ताल्लुक/नगर–पालिका की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक भाषाई अल्पसंख्यक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

ख. राज्य सरकार द्वारा शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को प्राप्त करने तथा उन्ही भाषाओं में उनके उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है।

ग. जबकि राज्य सरकार ने कुछ पदों के लिए राज्य की राजभाषा के ज्ञान को पूर्वापेक्षित बनाया, इसे राज्य की सेवाओं की भर्ती परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों का उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में देने की अनुमति देनी चाहिए।

घ. राज्य सरकार को सलाह दी जाती है कि वह बहु भाषावाद एवं राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन के दृष्टिगत त्रिभाषा सूत्र को लागू करें ताकि भाषाई अल्पसंख्यक छात्र अपनी भाषा का अध्ययन कर सकें। सूचना दी गई है कि भाषाई अल्पसंख्यक छात्र जो अपनी मातृभाषा पढ़ना चाहते हैं, उन्हें इसे अतिरिक्त भाषा के रूप में पढ़ना होगा। तथापि, इससे मातृभाषा की पढ़ाई निरूत्साहित होगी और भविष्य में अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ने की सुविधा का दावा समाप्त हो जाएगा।

ङ राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधाओं का विस्तृत विवरण दिया है किन्तु राज्य में अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के प्रशिक्षण की विस्तृत व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया है। अतः राज्य सरकार को इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा दिए जाने की आवश्यकता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ राज्य में किस प्रकार भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षक की माग पूरी की जाती है।

च. सौराष्ट्र भाषा पढ़ने की सुविधा के संबंध में राज्य द्वारा प्रदत्त सूचना को स्पष्ट किए जाने की जरूरत है क्योंकि राज्य में सौराष्ट्र भाषा के लिए कोई निर्धारित लिपि नहीं है और किस प्रकार इस भाषा के शिक्षण के लिए पाठ्य–पुस्तकें तथा शिक्षण सामग्री तैयार की जाती है, इसे भी स्पष्ट किया जाना है।

छ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करने की आवश्यकता है ताकि राज्य के भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच इनके बारे में जागरूकता फैलायी जा सके।

ज. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

झ. तमिलनाडु सरकार के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का, समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि, संवैधानिक प्राधिकारी भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें।

36.20 तमिलनाडु सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि, राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से तथा कुशलतापूर्वक किया जा सके।

सिफारिशें 37

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

भाषाई अल्पसंख्यकों की आबादी वाले क्षेत्रों को चिन्हित एवं घोषित करना

37.1 अल्पसंख्यक भाषाओं के उपलब्ध आंकड़े 2001 की जनगणना पर आधारित हैं। 2011 की जनगणना के भाषाई आंकड़ों की अभी भी प्रतीक्षा है। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2011 की जनगणना से भाषाई अल्पसंख्यकों की आबादी का निर्धारण करना चाहिए ताकि उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भाषाई अल्पसंख्यकों की जनसंख्या के संबंध में अस्पष्टता दूर हो सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उन भाषाई अल्पसंख्यकों की आबादी वाले क्षेत्रों को घोषित/अधिसूचित भी करना चाहिए जो स्थानीय स्तर अर्थात जिला/नगरपालिका/तालुक स्तरों पर स्थानीय जनसंख्या के 15 प्रतिशत से अधिक हों जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

सरकारी प्रयोजनों के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं का इस्तेमाल

37.2 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त उत्तरों में पाया गया है कि अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक भाषाओं का इस्तेमाल स्थानीय आधिकारिक संव्यवहार में नहीं किया जा रहा है। महत्वपूर्ण नियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं इत्यादि के अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं आपूर्ति की व्यवस्था की उपेक्षा की गई है।

37.3 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त उत्तरों में यह भी पाया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की स्वीकृति तथा उन्हीं भाषाओं में उनके जवाब देने का प्रचलन अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नहीं है। अनुच्छेद 350 में उल्लेख किया गया है कि ''प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा''। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि किसी व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी अल्पसंख्यक भाषा में स्वीकार किया जाए तथा संविधान के उपबंध के अनुसार उसी भाषा में उत्तर देने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए।

37.4 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त उत्तरों में बताया गया है कि राज्य की सेवा में भर्ती के लिए अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान एक पूर्वापेक्षा रही है। बताया गया है कि राज्य सेवा की भर्ती परीक्षा में प्रश्न–पत्रों के उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में दिए जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य सेवा की भर्ती में अल्पसंख्यक भाषाओं का इस्तेमाल सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए। राज्य सेवाओं में आने के समय एक पूर्वापेक्षा के रूप में राज्य की राजभाषा के ज्ञान पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन, 1961 में लिए गए निर्णयानुसार राज्य की राजभाषा में अर्हता हासिल करने के लिए पर्याप्त समय भी देना चाहिए।

भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना एवं संबद्ध करना

37.5 भारत के विकास में मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यद्यपि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ने के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करते हैं, तथापि, भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना अपेक्षित है, जैसा कि धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थाओं के मामले में किया जाता है। शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के परिणामस्वरूप शैक्षणिक संस्थाओं का प्रसार हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा तथा उन्हें अपनी पसन्द की शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित एवं प्रशासित करने के अधिकार का प्रावधान है। तथापि, इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सुप्रवाही बनाए जाने की आवश्यकता है। ''भाषाई अल्पसंख्यक'' राज्य–आधारित संकल्पना है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने तथा उनकी राज्य या केन्द्रीय बोर्ड जैसे कि सीबीएसई, आईसीएसई इत्यादि के साथ संबद्धता के आधार पर भेदभाव किए बगैर उनकी संबद्धता पर उपयुक्त विनियम बनाकर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 29, 30 तथा 350 क का घोर उल्लंघन है। अतः भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थाओं को मान्यता तथा संबद्धता प्रदान करने के संबंध में मौजूदा नियमों एवं विनियमों में उपयुक्त संशोधन करने की संस्तुति करते हैं, जैसा कि संविधान में उपबंधित है।

अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए सुविधाएं

37.6 अल्पसंख्यक भाषा पढ़ने के लिए उपलब्ध सुविधा में पाई गई एक कमी छात्र–शिक्षक अनुपात है। हालांकि यह 40:1 के रूप में प्रचलन में है, फिर भी भाषाई अल्पसंख्यक स्कूलों के मामले में यह चिंताजनक है। भाषाई अल्पसंख्यक संस्था के मामले में इस अनुपात को 40:1 से घटाकर 20:1 करने की भाषाई अल्पसंख्यक समूहों में व्यापक मांग रही है। अध्ययन दौरों के दौरान यह भी देखा गया है कि पर्याप्त संख्या में छात्रों/शिक्षकों की कमी की वजह से भाषाई अल्पसंख्यक स्कूल या तो बंद कर दिए गए थे या सामान्य स्कूलों में परिणत कर दिए गए थे जिससे भाषाई अल्पसंख्यक बच्चे अपनी मातृभाषा पढ़ने के अधिकार से वंचित रह गए थे। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 350क के तहत अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो।

37.7 भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त द्वारा यह निर्देश दिया जाता रहा है कि सभी स्कूलों में भाषाई वरीयता पंजियों (अग्रिम पंजी) का अनुरक्षण किया जाए ताकि स्थानीय स्तर पर भाषाई मांग का निर्धारण किया जा सके। अतः भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध है कि वे स्कूलों में भाषाई वरीयता पंजियों का अनुरक्षण करे ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक भाषाओं का शिक्षण सुगम हो सके, दाखिले के समय बच्चों का अन्तर–विद्यालय समायोजन सुगम हो सके तथा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के छात्रों के हितार्थ पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

मातृभाषा का अनिवार्य पंजीकरण

37.8 मातृभाषा को शिक्षण के माध्यम या विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा की व्यापक मांग के दृष्टिगत (i) बच्चे की मातृभाषा; (ii) तरजीह दी गई प्रथम भाषा; (iii) वैकल्पिक विषय– जो माता–पिता/बच्चे पढ़वाना/पढ़ना चाहते हों, का निर्धारण करना आवश्यक महसूस किया जाता है, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि संविधान के अनुच्छेद 350 क में यथा उल्लिखित अल्पसंख्यक भाषाई वर्ग के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षण की सुविधा उपलब्ध हो सके। अतः भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त देश के स्कूलों में दाखिले के आवेदन–प्रपत्र में उपर्युक्त आवश्यक स्तम्भ को शामिल करने की संस्तुति करते हैं ताकि बच्चे की मातृभाषा से संबंधित सूचना तथा त्रिभाषा सूत्र के तहत अध्ययन के लिए भाषाओं की तरजीह का निर्धारण हो सके और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

त्रिभाषा सूत्र

37.9 ''त्रिभाषा सूत्र'' का अनुपालन तमिलनाडु और पुदुच्चेरी को छोड़कर प्रायः सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जा रहा है। यह भी पाया गया है कि अधिकांश राज्यों में राज्य की राजभाषा पढ़ना पाठ्यक्रम में अनिवार्य कर दिया गया है। अनुच्छेद 29, 30 तथा 350क के तहत उल्लिखित संवैधानिक रक्षोपायों के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का यह कर्तव्य है कि वह अपने प्रदेश के भीतर भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करे तथा शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षण की सुविधा प्रदान करें। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह है कि वे अपनी शिक्षा नीति की समीक्षा करें तथा अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन करके अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए समान अधिकार उपलब्ध कराएं।

37.10 भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की यह राय है कि पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र लागू किए जाने में पारदर्शिता होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इसे मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन 1961 में सहमतिजन्य रक्षोपायों की योजना के तहत लागू करने के लिए बाध्य है। अतः संस्तुति की जाती है कि इसे मूलभाव में लागू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रक्षोपायों की पुनः पुष्टि करनी चाहिए।

भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षकों की भर्ती एवं प्रशिक्षण

37.11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रत्युत्तरों तथा अधिकांश भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों से प्राप्त अभ्यावेदनों मे यह देखा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षकों के पद देश भर में बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हुए हैं। यह भी पाया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षक के प्रशिक्षण की सुविधा अपर्याप्त है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस मामले में उपेक्षा प्रदर्शित हुई है। यह गंभीर चिंता का मामला रहा है क्योंकि शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण अनेक भाषाई अल्पसंख्यक स्कूल बंद हो गए हैं जैसा कि सूचना मिली है। अनुच्छेद 350 क के तहत संवैधानिक उपबंध तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों की योजना में उल्लेख किया गया है कि राज्य तथा राज्य के भीतर स्थानीय प्राधिकारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षण की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इसमें अल्पसंख्यक भाषाओं में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता निहित है। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध किया जाता है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भाषाई वर्गों के बच्चों के हितार्थ अल्पसंख्यक भाषाओं के पर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षक तैनात किए जाएं।

अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य–पुस्तकें तथा शिक्षण सामग्री

37.12 ऐसा पाया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में ही उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। यह भी पाया गया है कि विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पढ़ाए जाने वाले विषयों के पाठ्यक्रम में भिन्नता होने से अन्तर–राज्य व्यवस्था से पुस्तकों की आपूर्ति में देरी होती रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री की आपूर्ति रियायती मूल्यों पर करनी चाहिए। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह है कि वे उपयुक्त तंत्र स्थापित करके भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के हितार्थ शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में ही पाठ्य–पुस्तकों का मुद्रण/प्रापण और आपूर्ति सुनिश्चित करें।

अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन एवं विकास

37.13 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन एवं विकास भाषाई अल्पसंख्यकों की सर्वदा ही एक बड़ी चिंता रही है। राज्यों द्वारा योजनाओं, अकादमियों तथा बजट आवंटन के संबंध में प्रदत्त सूचना, आशावर्धक प्रतीत नहीं होती है। अतः राज्यों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह है कि अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन एवं विकास करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएं।

37.14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं का प्रचार–प्रसार करना है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रत्युत्तरों में पाया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध रक्षोपायों तथा सुविधाओं का प्रचार–प्रसार करने के लिए तंत्र/सुविधा तंत्र स्थापित नही किया गया है। अतः अनुरोध किया जाता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को उनके लिए प्रदत्त अधिकारों एवं सुविधाओं के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मीडिया, पैम्फलेट, हैंड–आऊट इत्यादि के जरिए भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों तथा सुविधाओं का प्रचार–प्रसार करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

रक्षोपायों के कार्यान्वयन के लिए तंत्र

37.15 मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन, 1961 में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों की सहमतिजन्य योजना में रक्षोपायों का मूलरूप में कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य/जिला स्तरों पर भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र की स्थापना की परिकल्पना की गई है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रत्युत्तरों एवं अध्ययन संबंधी दौरों में देखा गया है कि अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे किसी तंत्र की स्थापना नहीं की गई है। भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की रिपोर्टों में भाषाई अल्पसंख्यकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए राज्य/जिला स्तरीय समितियों की स्थापना तथा उनके लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन में आ रही अड़चनों को दूर करने की आवश्यकता को प्रायः दोहराया गया है। स्थानीय स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच राष्ट्रीय एकीकरण, एकता एवं शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व सुनिश्चित करने की भी परिकल्पना की गई है। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध है कि वे राज्य/जिला स्तरीय समितियों को गठित करें तथा रक्षोपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

37.16 मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन :

वर्ष 1961 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में रक्षोपायों की योजना राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई गई। उसके बाद से अब तक भाषाई अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर विचार–विमर्श करने तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य सहमति बनाने के लिए ऐसा कोई सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया हैं। हालांकि राष्ट्रीय एकीकरण परिषद की बैठकें प्रति वर्ष आयोजित की जाती है, फिर भी भाषाई अल्पसंख्यकों की विषय–वस्तु पर विगत कुछ समय से कोई चर्चा नहीं की गई है। उदीयमान आधुनिक समाज को ध्यान में रखते हुए तथा समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए देश में भाषाई अल्पसंख्यकों की बढ़ती हुई मांगों तथा आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना अनिवार्य है। अतः भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए पचास वर्षों से भी अधिक समय पूर्व तैयार की गई रक्षोपाय संबंधी योजना की पुनः अभिपुष्टि करने के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय से मुख्यमंत्रियों के राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने की अनुशंसा करते हैं।

37.17 राष्ट्रीय एकीकरण परिषद/आंचलिक परिषदों की बैठकें :

भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त राष्ट्रीय एकीकरण परिषद तथा आंचलिक परिषद की बैठकों में ''विशेष आमंत्रित सदस्य'' रहे हैं। तथापि, भाषाई अल्पसंख्यक की विषय–वस्तु पर विगत कुछ समय से आयोजित राष्ट्रीय/आंचलिक परिषद की बैठकों में चर्चा नहीं की गई है। अतः आग्रह किया जाता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्याओं से निपटने तथा भाषाई सामंजस्य तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए लिए भाषाई अल्पसंख्यकों की विषय–वस्तु को इन बैठकों की कार्य–सूची में नियमित विषय बना दिया जाना चाहिए।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

37.18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रत्युत्तरों में तथा अध्ययन दौरों के क्रम में पाया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना के कार्यान्वयन की घोर उपेक्षा की गई है। भाषाई अल्पसंख्यकों को द्वितीयक नागरिको के रूप में मानने की सूचना अक्सर प्राप्त होती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दर्शाई गई उदासीनता के परिणामस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों में असंतोष व्याप्त हो गया है और स्थानीय स्तर पर आंदोलन एवं उपद्रव उत्पन्न होते है। अतः भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित रूप से अनुदेश/निर्देश जारी करने की सिफारिश करते हैं जिससे कि रक्षोपायों की योजना का मूलरूप में कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

37.19 **भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण :**

संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की उनकी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित तथा प्रशासित करने के लिए अधिकार का प्रावधान है। भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए एक प्राधिकरण की व्यापक मांग की जाती रही है जैसे कि धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए ''राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग'' (एन सी एम ई आई) है। अतः अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के विचारार्थ प्रस्तावित है कि भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त को उपयुक्त विधान के जरिए अधिकार–संपन्न बनाया जाए तथा देश में भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए प्राधिकारी के रूप में नाम–निर्दिष्ट किया जाए।

37.20 **भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त को सशक्त बनाना :**

संविधान संशोधन अधिनियम 1957 द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर ''भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी'' के पद के सृजन से अब तक विशेष अधिकारी जिसे औपचारिक रूप से भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त रूप में पदनामित किया गया है, के कर्तव्यों, शक्तियों तथा कार्यो को किसी संविधि के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन 1961 में अंगीकृत रक्षोपायों की राष्ट्रीय सहमतिजन्य योजना को अभी तक संहिताबद्ध नहीं किया गया है और आयुक्त द्वारा राज्यों पर लागू नहीं किया जा सकता है। अतः अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के विचारार्थ उपयुक्त विधान बनाने का प्रस्ताव रखा जाता है ताकि देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना लागू करने के लिए आयुक्त के कर्तव्यों, शक्तियों तथा कार्यों को परिभाषित करके उन्हे सशक्त बनाया जा सके।

37.21 **अल्पसंख्यक भाषाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने, उनके संरक्षण तथा संवर्धन के लिए योजनागत स्कीम/कार्यक्रम :**

संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 में धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच विभेद नहीं किया गया है। तथापि, भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कोई भी योजनागत स्कीम/कार्यक्रम तैयार या लागू नहीं किया गया है। अतएव भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त अल्पसंख्यक भाषाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने, उनके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से उपयुक्त योजनागत स्कीम/कार्यक्रम बनाने की संस्तुति करते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

37.22 **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा समिति :**

भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त अपनी रिपोर्टों में अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण तथा विकास के महत्व को दोहराते आ रहे हैं। यह भी दोहराया जाता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम एच आर डी) को देश में अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन तथा विकास पर लक्षित उपयुक्त नीतियां तथा कार्यक्रम तैयार करने के लिए पहल करने की आवश्यकता है। इस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा समिति को

भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ तथा विशेष तौर पर संविधान के अनुच्छेद 350 क के तहत यथा परिकल्पित मातृभाषा में शिक्षण की सुविधा की व्यवस्था के लिए इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। अतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने–अपने प्रदेशों में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षण की सुविधा की व्यवस्था करें।

37.23 **मातृभाषा का अनिवार्य पंजीकरण :**

मातृभाषा को शिक्षण के माध्यम या विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा की व्यापक मांग के दृष्टिगत (i) बच्चे की मातृभाषा; (ii) तरजीह दी गई प्रथम भाषा; (iii) वैकल्पिक विषय– जो माता–पिता/बच्चे पढ़वाना/पढ़ना चाहते हों, का निर्धारण करना आवश्यक महसूस किया जाता है, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि संविधान के अनुच्छेद 350 क में यथा उल्लिखित अल्पसंख्यक भाषाई वर्ग के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षण की सुविधा उपलब्ध हो सके। अतः भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त देश के स्कूलों में दाखिले के आवेदन–प्रपत्र में उपर्युक्त आवश्यक स्तम्भ को शामिल करने की संस्तुति करते हैं ताकि बच्चे की मातृभाषा से संबंधित सूचना तथा त्रिभाषा सूत्र के तहत अध्ययन के लिए भाषाओं की तरजीह का निर्धारण हो सके और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

37.24 **त्रिभाषा सूत्र :**

''त्रिभाषा सूत्र'' का अनुपालन तमिलनाडु और पुदुच्चेरी को छोड़कर प्रायः सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जा रहा है। यह भी पाया गया है कि अधिकांश राज्यों में राज्य की राजभाषा पढ़ना पाठ्यक्रम में अनिवार्य कर दिया गया है। अनुच्छेद 29, 30 तथा 350 क के तहत उल्लिखित संवैधानिक रक्षोपायों के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का यह कर्तव्य है कि वह अपने प्रदेश के भीतर भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करे तथा शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा को शिक्षण की सुविधा प्रदान करें। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह है कि वे अपनी शिक्षा नीति की समीक्षा करें तथा अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन करके अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए समान अधिकार उपलब्ध कराएं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

37.25 देशभर के विभिन्न भाषाई अल्पसंख्यक वर्गो विशेषतौर पर उर्दू भाषाभाषियों से प्राप्त अनेक अभ्यावेदनों में पाया गया है कि कतिपय महत्वपूर्ण विज्ञापनों को अल्पसंख्यक भाषा के समाचार–पत्रों में अर्थात उर्दू समाचार पत्रों में रिलीज/प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। सरकारी विज्ञापनों का उद्देश्य देश भर के सभी वर्गों तक पहुंचना है। अतः भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संस्तुति करते हैं कि मानव समुदाय के वृहत्तर हितों को ध्यान में रखते हुए तथा सभी भाषाओं के लिए समान दर्जा सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण विज्ञापनों को अल्पसंख्यक भाषाओं में भी जारी करने के लिए आवश्यक प्रावधान करे।

डाक विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार

37.26 भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की जानकारी में आया है कि कुछ विभागों में शिकायतों के निवारणार्थ, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाता है। इसे संविधान के अनुच्छेद 350 क के उल्लंधन के रूप में देखा जा सकता है जिसमें प्रावधान है कि ''प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा''। अतः भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त का मंत्रालय से आग्रह है कि शिकायतों के निवारणार्थ अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदन को प्राप्त करने तथा उत्तर देने की व्यवस्था करें।

37.27 डाक विभाग से भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के का०ज्ञा० संख्या 1/14013/01/2005–रा०भा०(नीति), दिनांक 30 जनवरी, 2006 का अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह है जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए अभिप्रेत विभागीय साहित्य तथा प्रपत्रों को हिंदी तथा अंग्रेजी के साथ–साथ क्षेत्रीय भाषा में भी मुद्रित करवाया जाना अपेक्षित है। सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराने हेतु ऐसे प्रपत्रों को सम्मिलित रूप से तीनों भाषाओं में या अलग–अलग मुद्रित करवाया जा सकता है। इसके अलावा, साइनबोर्ड, नामपट्ट इत्यादि के संबंध में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के का०ज्ञा० संख्या 1/14013/07/2010–रा०भा० (नीति–1), दिनांक 30 जनवरी, 2006 का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया जाता है।

परिशिष्ट–I

आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यक

1. **भविष्य निरुपण**

भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक सुरक्षणों को प्रभावी रूप में लागू करने हेतु कार्यान्वयन तंत्र व प्रणाली को सुप्रवाही और सशक्त करना, जिससे कि अल्पसंख्यक भाषा बोलने वालों के अधिकारों का संरक्षण हो सके और समावेशीय एवं एकीकृत विकास में सभी भारतीय भाषाओं का महत्वपूर्ण योगदान हो।

2. **लक्ष्यों पर वक्तव्य**

देश में समावेशीय और सुव्यवस्थित संवृद्धि के लिए सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में, भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सुरक्षणों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

3. **कार्य**

क. भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदत्त सुरक्षणों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण।

ख. भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक और स्वीकृत सुरक्षणों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में भारत के महामहिम राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

ग. प्रश्नावलियों, दौरों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, बैठकों तथा पुनुरीक्षा तंत्र आदि के द्वारा सुरक्षणों के कार्यान्वयन की स्थिति का अनुवीक्षण करना।

4. **मूल उद्देश्य**

क. संविधान के अनुच्छेद 350बी(2) में अधिदेशित भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सुरक्षणों के कार्यान्वयन पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

ख. समावेशी विकास और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों को समान अवसर प्रदान करना।

ग. भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध सुरक्षणों के बारे में उनके बीच जागरूकता का प्रसार करना।

घ. भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा स्वीकृत अन्य सुरक्षणों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

ड. भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षणों से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु अभ्यावेदनों को निपटाना।

संगठन

आयुक्त	:	011–24368380
प्रो० अख़्तरूल वासे	:	09810541045, 09559425550
	:	101, प्रथम तल, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 टेलीफोनः 011–24368380
उपायुक्त	:	**पद रिक्त**
प्रशासनिक अधिकारी	:	**पद रिक्त**
अनुसंधान अधिकारी	:	**पद रिक्त**
सहायक आयुक्त (उत्तरी एवं मध्य अंचल)	:	40, अमरनाथ झा मार्ग, इलाहाबाद–211002 (उ0प्र0) 0532–2468560 / 65 0532–2468544 (फैक्स)
सहायक आयुक्त पूवी अंचल एवं उत्तर–पूर्वी अंचल	:	**पद रिक्त** 67, बेन्टिक स्ट्रीट, वेस्ट विंग, चौथा तल, **कोलकता**–700069 फोन / फैक्स : 033–22373572 (कार्यालय),
सहायक आयुक्त पश्चिमी अंचल	:	**पद रिक्त** बिल्डिंग नं0 23 (1) किला, **बेलगांम**–510016 फोन / फैक्स : 0831–2422764 (कार्यालय)
सहायक आयुक्त दक्षिणी, पश्चिमी एवं पूर्वी अंचल **डॉ० एस0 शिवकुमार**	:	राजाजी भवन, द्वितीय तल, ई–विंग, बेसेन्ट नगर, **चेन्नै**–600090 फोन / फैक्स : 044–24919348 (कार्यालय)

नोटः भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त का कार्यालय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं० 3–10 / 2013–सी०एल०एम०, दिनांक 6 जून, 2014 के अनुसरण में नई दिल्ली से कार्य कर रहा है।

संगठनात्मक चार्ट

भारत के भाषाजात अल्पसंख्यक आयुक्त

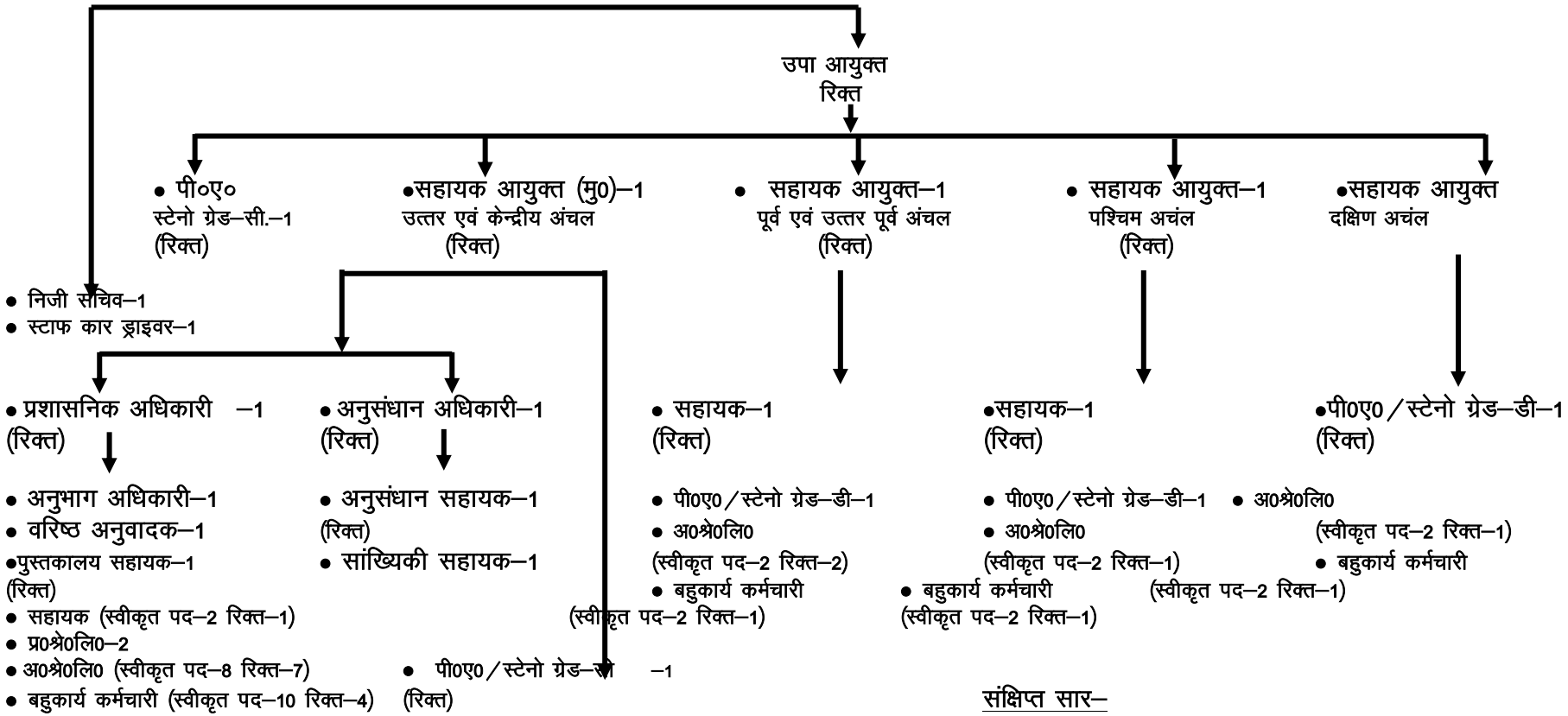

संक्षिप्त सार–

कुल स्वीकृत पदः 56
कुल रिक्त पदः 32
कुल भरे पदः 24

परिशिष्ट–I

भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षण

भाषाजात अल्पसंख्यकों के सुरक्षण दो स्रोतों से अपने प्राधिकार प्राप्त करते हैं :

(क) भारत का संविधान
(ख) समय समय पर अखिल भारतीय स्तर पर स्वीकृत सुरक्षणों का कार्यान्वयन

(क) भारत के भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक सुरक्षण

(i) अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यक–वर्गों के हितों का संरक्षण

(1) भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।

(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य–निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

(ii) अनुच्छेद 30: शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

(1) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक–वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

(1क) खण्ड (1) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक–वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सम्पत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खण्ड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बन्धित या निराकृत न हो जाए।

(2) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरूद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है।

(iii) अनुच्छेद 347 : किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध

यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाय तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाय।

(iv) अनुच्छद 350: व्यथा निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा

प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

(v) अनुच्छेद 350 (क): प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ

प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

(vi) अनुच्छेद 350 (ख): भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गो के लिए विशेष अधिकारी

(1) भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

(2) विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

(vii) संविधान के अनुच्छेदों जो सभी नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकारों की गारंटी देता है

सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी देने वाले संविधान के अनुच्छेद जैसे कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म–स्थान के आधार पर विभेद की वर्जना (अनुच्छेद 15) तथा सरकारी नौकरियों के मामलों में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16) भाषाजात अल्पसंख्यकों के सुरक्षणों के रूप में भी कार्य करते हैं।

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए स्वीकृत सुरक्षण

सुरक्षणों के कार्यान्वयन की विस्तृत योजना का निर्धारण विभिन्न सम्मेलनों इत्यादि के निर्णयों के आधार पर लिया गया है:

(क) शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 1949
(ख) भारत सरकार का ज्ञापन 1956
(ग) दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् के निर्णय 1959
(घ) मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन 1961
(ड.) क्षेत्रीय परिषद्ों के उपाध्यक्षों की समिति की बैठक 1961

परिशिष्ट–III

भाषाजात अल्पसंख्यक आयुक्त
COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES
प्रतिवेदन हेतु प्रश्नावली
Questionnaire for Report
(जुलाई, 2012 से जून, 2013 की अवधि हेतु)
(For the Period from July, 2012 to June, 2013)

पूर्ण रूप से भरी हुई प्रश्नावली की प्राप्ति हेतु निर्धारित तिथि
Date for receipt of Questionnaire, duly completed in all respects
31 अगस्त, 2013
August 31, 2013

राज्य का नाम
Name of State .....

मुख्य सचिव का नाम
Name of Chief Secretary .....
(दूरभाष) (Phone).....
(मोबाइल) (Mobile).....
(फैक्स) (Fax).....
ई मेल पता/e-mail address.....

प्रमुख सचिव का नाम
Name of Principal Secretary .....
(प्राथमिक एवं माध्यमिक), शिक्षा
(Primary & Secondary), Education
(दूरभाष) (Phone).....
(मोबाइल) (Mobile).....
(फैक्स) (Fax).....
ई मेल पता/e-mail address.....

सम्पर्क/समन्वय अधिकारी का नाम व विवरण .....
Name and Particulars of Nodal Officer

पदनाम/Designation: .....
(दूरभाष) (Phone).....
(मोबाइल) (Mobile).....
(फैक्स) (Fax).....
ई मेल पता/e-mail address.....

नोट : मुख्य सचिव द्वारा आई०ए०एस० अधिकारी को भाषाई अल्पसंख्यकों का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना अपेक्षित है क्योंकि इनका कार्य राज्य के विभिन्न विभागों से समन्वय तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षणों की योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए सी०एल०एम० के प्रश्नावली का विस्तृत तथा समेकित उत्तर अपने हस्ताक्षर से समय पर अग्रसारित करना होता है।

NB : The nodal officer for Linguistic Minorities nominated by the Chief Secretary should preferably be an I.A.S. Officer as his duties involve coordination among various departments of the State and ensuring effective implementation of the Scheme of Safeguards for linguistic minorities and forwarding a consolidated and comprehensive response the CLM's Questionnaire under his signature and in time

सांख्यिकी (2001 की जनगणना पर आधारित)
Statistics (As per Census 2001)

A. भाषाई संक्षिप्त विवरण /Linguistic Profile

1. भाषाई संक्षिप्त विवरण (अवरोही क्रम में)/Languages spoken (in descending order of speakers)

क्रम **Sl. No.**	भाषा **Language**	बोलने वालों की संख्या **Number of Speakers**	प्रतिशतता **Percentage**

2. उन जनपदों के नाम जहाँ उस क्षेत्र की (2001 की जनगणना पर आधारित) जनसंख्या के 60 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों द्वारा अल्पसंख्यक भाषाएँ बोली जाती हैं :
Name the district where minority languages are spoken by 60% or more of its population (As per Census, 2001) as under:

जिला **/District**	भाषा **/Language**	प्रतिशतता **/Percentage**

3. उस क्षेत्र (जिला/तहसील/तालुका/नगरपालिका) का नाम जहाँ की (2001 की जनगणना पर आधारित) जनसंख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों द्वारा अल्पसंख्यक भाषाएं बोली जाती है।
Name the areas (district/tehsil/taluka/municipality) where minority languages are spoken by 15% or more of the population (As per Census, 2001) as under:

जिला **District**	तहसील/तालुक/नगरपालिका **Tehsil/Taluk/Municipality**	भाषा **Language**	प्रतिशतता **Percentage**

(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पृष्ठ लगाएँ)/Attach a separate sheet, if required.

B. भाषाई अल्पसंख्यक/Linguistic Minorities

4. (a) 'भाषाई अल्पसंख्यक' से आपका अभिप्राय क्या है। 'भाषाई अल्पसंख्यक' को आप कैसे परिभाषित करना चाहेंगे? कृपया अपने विचारों से अवगत कराएं।
What is your perception of the term 'Linguistic Minorities', please state as to how would you like to define term 'linguistic minority'?

(b) अल्पसंख्यक भाषाओं के बोलने वालों की आकांक्षाओं की पूर्ति तथा उनके भाषाई अधिकार को संरक्षित करने हेतु, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विद्यमान सुरक्षणों की योजना क्या पर्याप्त है? यदि नहीं, तो कृपया अपने सुझाव दें।
Is the exiting Scheme of Safeguards for linguistic minorities sufficient to protect the linguistic rights and linguistic aspirations of the speakers of minority languages. If 'No' please give your suggestions.

(c) भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षणों की योजना के कार्यान्वयन में, यदि कोई कठिनाई/कमी हुई है, तो इसका उल्लेख करें। कृपया बताएं कि भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षणों के कार्यान्वयन तंत्र को कैसे और बेहतर बनाया जाए।
Please state difficulties/short falls if any, in the implementation of the Scheme of safeguards for the linguistic minorities. Please state how best to improve upon the mechanism of implementation of Safeguards for the linguistic minorities.

C. प्रशासन में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग
Use of Minority Languages in Administration

5. (a) क्या उन क्षेत्रों (जिला/तहसील/तालुका/नगरपालिका) में जहाँ पर अल्पसंख्यक भाषाओं के बोलने वालों की संख्या जनसंख्या की 15% या उससे अधिक है, महत्वपूर्ण सरकारी नियम, शासनादेश, अधिसूचनाएं, इत्यादि अल्पसंख्यक भाषाओं में प्रकाशित किए जाते हैं ?
Are there arrangement for translation and dissemination of important Government Rules, Orders and Notifications etc. in minority languages where their speakers constitute 15% or more of the District/Tehsil/Taluka/Municipality population?

(b) आलोच्य वर्ष में ऐसे प्रकाशनों का भाषानुक्रम में विवरण विनिर्दिष्ट करें।
Please specify the language-wise details of translation/ dissemination during the year.

6. (a) क्या अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों/शिकायतों को स्वीकार किए जाने हेतु आदेश जारी किए गए हैं? समीक्षाधीन अवधि में प्राप्त ऐसे अभ्यावेदनों के आंकड़े दें।
Do orders exist for receipt of representations for redress of grievances in minority languages? Please furnish statistics on such representations received during the period.

(b) शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में प्राप्त अभ्यावेदनों/आवेदनों का उत्तर उसी भाषा में दिया जाता है?
To what extent, are representations for redress of grievances in minority languages, replied to in the same language?

D. भर्ती नियम/Recruitment Rules

7. क्या राज्य की सेवाओं में भर्ती हेतु क्षेत्रीय/राजभाषा का ज्ञान होना पूर्वापेक्षित है? यदि 'नहीं' तो भर्ती के उपरांत वहाँ की क्षेत्रीय/राजभाषा में दक्षता प्राप्त करने हेतु समय सीमा क्या है ?
Is knowledge of regional/official language a pre-requisite for recruitment to State Services. If 'No', what is the time period on recruitment for acquiring proficiency in the regional/official language of the State.

8. क्या राज्य सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों के उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में देने की अनुमति है?
Are minority languages permitted to be used in answering Question Papers for recruitment examinations to State Services?

9. क्या राजकीय सेवाओं में भर्ती के लिए वहां का अधिवासी होने की बाध्यता है?
Are there any domiciliary restrictions imposed at the time of recruitment to the State Services?

E. राजभाषा(एँ)/Official Language (S)

10. (a) राज्य की राजभाषा/Official Language of the State.

(b) राज्य की राजभाषा अधिनियम की प्रति उपलब्ध कराएँ।
Please furnish copy of Official languages Act of the State?

11. उन भाषाओं का उल्लेख करें जिन्हें अतिरिक्त राजभाषा घोषित किया गया है। कृपया घोषित ऐसी अतिरिक्त राजभाषा का उल्लेख करते हुए उनके प्रयोजन एवं प्रयोग की सीमा निर्दिष्ट करें।
Name other language(s) declared as Additional Official Language(s). Please mention the extent and purposes for which the language(s) have been so declared?

F. भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता
Recognition of Linguistic Minority Institutions

12. भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने वाले पदनामित प्राधिकारी तथा तत्संबंधी नियमों और विनियमों/दिशा निर्देशों का उल्लेख करें।
(कृपया तत्संबंधी नियमों/विनियमों/दिशा निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराएँ)
Mention the Rules & Regulations/Guidelines for recognition of linguistic minority educational institutions and the authority designated for the purpose.
(Please furnish a copy of the Relevant Rules/Regulation/Guidelines)

13. (a) कितनी भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को 30 जून 2013 तक भाषाई अल्पसंख्यक संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? कृपया इस सम्बन्ध में भाषावार जानकारी दें।
How many linguistic minority educational institutions have been recognized language wise as on June 30, 2013?

(b) भाषाई शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने हेतु उनसे क्या कोई प्रत्यावेदन/शिकायत/याचिका राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है? यदि 'हाँ' तो इस पर अनुवर्ती कार्रवाई की जानकारी दें।
Is the state government in receipt of any representations/ complaints/petitions from linguistic minorities about recognition of their minority educational institutions? If 'yes' please state the action taken in this regard.

14. भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था के रूप में मान्यता प्राप्ति हेतु 30 जून 2013 तक भाषावार कितने आवेदन लम्बित हैं?
How many applications, language wise, are pending for recognition as linguistic minority educational institution, as on 30 June 2013.

G. भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को अनुदान
Grants to Linguistic Minority Institutions

15. प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सहायता अनुदान स्वीकृत करने हेतु पदनामित प्राधिकारी और तत्संबंधी नियमों/विनियमों/दिशा निर्देशों का उल्लेख करें। (कृपया तत्संबंधी अधिनियमों/ नियमों/विनियमों/दिशा निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराएँ)
Mention Rules/Regulations/Guidelines for sanction of grants-in-aid to primary and secondary linguistic minority educational institutions and the authority designated for the purpose. (Please furnish a copy of the relevant Acts/Rules/Regulations/Guidelines).

16. वर्ष 2012–13 के लिए, भाषावार, कितनी भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया है?
How many linguistic minority institutions, language wise, have been sanctioned grants- in-aid for the year 2012 – 13?

अल्पसंख्यक भाषा **Name of Minority Language**	स्तर **Level**	विद्यालयों की संख्या **Number of Schools(s)**
	प्राथमिक /Primary	
	उच्च प्राथमिक/मध्य Upper Primary/Middle	
	माध्यमिक /Secondary	
	उच्च माध्यमिक Higher Secondary	

H. प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक सुविधाएं (कक्षा I से V तक)
Educational Facilities in Primary Education [Class I to V]

17. जिन विद्यालयों में अल्पसंख्यक भाषा शिक्षण का माध्यम है, उनके विवरण दें :
Please give details, where minority language(s) are a medium of instruction:

भाषा **Language**	विद्यालय **Schools**	विद्यार्थी **Students**	अध्यापक **Teachers**

18. जिन विद्यालयों में अल्पसंख्यक भाषा शिक्षण का माध्यम नहीं है किन्तु विषय के रूप में पढ़ाई जाती है उनके विवरण दें :
Please give details where minority languages are taught as a subject and not as a medium of instruction:

भाषा **Language**	विद्यालय **Schools**	विद्यार्थी **Students**	अध्यापक **Teachers**

I. उच्च प्राथमिक (मध्य) स्तर पर शैक्षणिक सुविधाएं (कक्षा VI से VIII तक)
Educational Facilities in Upper Primary (Middle) Education [Class VI to VIII]

19. जिन विद्यालयों में अल्पसंख्यक भाषा शिक्षण का माध्यम है, कृपया उनके विवरण दें:
Please give details, where the minority language is the medium of instruction.

भाषा **Language**	विद्यालय **Schools**	विद्यार्थी **Students**	अध्यापक **Teachers**

20. जिन विद्यालयों में अल्पसंख्यक भाषा शिक्षण का माध्यम नहीं है किन्तु एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है उनके निम्नानुसार विवरण दें:
Please detail below where the minority languages are taught as a subject only and not the medium of instruction:

भाषा **Language**	विद्यालय **Schools**	विद्यार्थी **Students**	अध्यापक **Teachers**

J. माध्यमिक स्तर पर शैक्षणिक सुविधाएं (कक्षा IX से X तक) Educational Facilities in Secondary Education [Class IX to X]

21. जिन विद्यालयों में अल्पसंख्यक भाषा शिक्षण का माध्यम है कृपया उनके निम्नानुसार विवरण दें:
Please give details, where the minority language is the medium of instructions as below:

भाषा **Language**	विद्यालय **Schools**	विद्यार्थी **Students**	अध्यापक **Teachers**

22. जिन विद्यालयों में अल्पसंख्यक भाषा एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है किन्तु शिक्षण का माध्यम नहीं है।
Where the minority language is taught as a subject though it is not the medium.

भाषा **Language**	विद्यालय **Schools**	विद्यार्थी **Students**	अध्यापक **Teachers**

K. उच्च माध्यमिक शिक्षा (कक्षा XI से XII तक) में शैक्षणिक सुविधाएँ : Educational Facilities in Higher Secondary Education [Class XI to XII]

23. जहाँ अल्पसंख्यक भाषा शिक्षण का माध्यम है, कृपया उनके निम्नवत् विवरण दें :
Please give details, where the minority language is the medium of instructions as below:

भाषा **Language**	विद्यालय **Schools**	विद्यार्थी **Students**	अध्यापक **Teachers**

24. जहां अल्पसंख्यक भाषा एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है यद्यपि यह शिक्षण का माध्यम नहीं है।
Where the minority language is taught as a subject though it is not the medium of instruction.

भाषा **Language**	विद्यालय **Schools**	विद्यार्थी **Students**	अध्यापक **Teachers**

L. त्रिभाषा सूत्र/Three Language Formula

25. ''त्रिभाषा सूत्र'' के अन्तर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाओं का उल्लेख करें :
Please mention the languages taught under the "Three Language Formula":

1. प्रथम भाषा/First Language :
2. द्वितीय भाषा/Second Language :
3. तृतीय भाषा/Third language :

26. कक्षा VIII, कक्षा X तथा कक्षा XII में त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत छात्रों की संख्या
The number of students covered under Three-language Formula in Classes VIII, Class X and Class XII.

भाषा **Language**	कक्षा 8 **Class VIII**	कक्षा 10 **Class X**	कक्षा 12 **Class XII**

M. अल्पसंख्यक भाषा के अध्यापक/Minority Language Teachers

27. अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के स्वीकृत पद, जो अल्पसंख्यक भाषा को एक विषय और शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाते हैं, का कृपया उल्लेख करें :
Please mention posts sanctioned for minority languages teachers to teach minority languages as a medium of instruction and as a subject.

भाषा **Language**	माध्यम /**Medium**		विषय/**Subject**	
	स्वीकृत पद **Sanctioned**	भरे हुए पद **Filled**	स्वीकृत पद **Sanctioned**	भरे हुए पद **Filled**

28. (a) क्या अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था है? यदि हां' तो निम्नानुसार विवरण दें :
Are there any arrangements for training of minority language teachers? If yes, please give details as below:

प्रशिक्षण संस्थान Training Institute	**अल्पसंख्यक भाषा Minority Language**	
	पढ़ाई का माध्यम As a medium	**विषय के रूप में As a subject**

(b) अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के आदान–प्रदान/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/केंद्र खोलने हेतु क्या पड़ोसी राज्यों से कोई सहयोग/व्यवस्था है? यदि 'हां' तो कृपया विवरण दें :
Please give details of collaboration/arrangement, if any, with neighboring States for exchange of minority language teachers/opening of teachers' training institutes/centers.

N. अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य पुस्तकें/ Minority Language Text Books

29. (a) शैक्षणिक सत्र आरम्भ होने पर अल्पसंख्यक भाषा की पुस्तकें तथा अन्य पाठ्य सामग्री भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को मिल जाती है ?
Are text-books in minority language and other teaching material available to linguistic minority students at the beginning of the Academic Session?

(b) भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य पुस्तकें तथा अन्य पाठ्य सामग्री प्राप्त करने हेतु एजेसिंयों/अंतर्राज्यीय व्यवस्था, यदि कोई है, तो उसका विवरण दें।
Please give details of the agencies/inter-state arrangement, if any, for procuring minority language(s) Text-books and other teaching materials for linguistic minorities students.

30. क्या अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य–पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री छात्रों को प्रतियोगी/कम दरों पर उपलब्ध कराई जाती है।
Are minority language(s) textbooks and other teaching materials available to the students at competitive/ subsidized rates?

O. भाषागत प्राथमिकता पंजियों का रख–रखाव
Maintenance of Language Preference Registers

31. भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की भाषाई प्राथमिकता पंजीकृत करने के लिए क्या भाषागत प्राथमिकता पंजियों का रख–रखाव प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (मिडिल)/ माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हो रहा है ? भाषागत प्राथमिकता पंजियों के रख–रखाव संबंधी आकड़े दें।
Please furnish statistics on maintenance of Language Preference Registers for registering linguistic preference of linguistic minority pupils in the primary/upper primary (middle)/secondary/higher secondary schools? Please furnish statistics on maintenance of Language Preference Registers.

P. अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्द्धन तथा विकास
Promotion and Development of minority languages.

32. (a) क्या राज्य में अल्पसंख्यक भाषा के संवर्धन हेतु कोई योजना है? कृपया विवरण दें।
Are there any Schemes to promote minority languages in the States? Please furnish details.

(b) कृपया अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्द्धन तथा विकास के लिए सरकार द्वारा स्थापित अकादमियों का विवरण दें।
Please give details about the Academies set up by the Government for promotion and development of minority languages.

भाषा **Language**	अकादमी का नाम **Name of Academy**	कब स्थापित हुई **When established**	वर्ष 2012–13 हेतु आय व्ययक **Budget for year 2010-11**

Q. सुरक्षणों के कार्यान्वयन के लिए तन्त्र
Machinery for Implementation of Safeguards

33. (a) क्या राज्य स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षणों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण एवं समीक्षा के लिए कोई व्यवस्था/समिति गठित है? यदि हाँ, तो समिति की संरचना क्या है? क्या किसी इच्छुक सांसद को 'विशेष' अतिथि' के रूप में इस समिति में सहयोजित किया है? इसकी अंतिम बैठक कब हुई ?
Is there a mechanism/Committee at the state level to monitor and review the implementation of the safeguards for linguistic minorities? If so, what is the composition of the Committee. Whether any desirous Member of Parliament is co-opted as a 'Special Invitee' to the Committee. When did the committee hold its last meeting.

(b) मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भाषाई अल्पसंख्यकों की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत एवं संवैधानिक सुरक्षणों के कार्यान्वयन हेतु बैठकों का विवरण दें।
Please give details of the meetings held under the Chairmanship of Chief Secretary to implement consensual & constitutional safeguards for linguistic minorities?

(c) यदि राज्य में अल्पसंख्यक आयोग है तो क्या यह आयोग भाषाई अल्पसंख्यकों के मामले भी देखता है। यदि हां, तो कृपया विस्तृत जानकारी दें।
In case there is a Minorities Commission in the State, does it handle the linguistic minorities affairs. If yes, please furnish details.

34. (a) भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षणों की योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या जिला स्तर पर समिति गठित है। यदि ऐसा है तो क्या उस क्षेत्र के इच्छुक विधायक को उस जिला स्तरीय समिति में सहयोजित किया गया है।
Does a Committee exist to ensure implementation of the Safeguards for the linguistic minorities at the district level. If so, has a desirous MLA of the area been co-opted in the district level Committee

(b) जिला स्तर के अधिकारी जिन्हें भाषाई अल्पसंख्यकों के मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई है उनके नाम, पदनाम, दूरभाष/मोबाइल/फैक्स संख्या आदि दें (आवश्यकतानुसार अलग से सीट संलग्न करें)।
Mention the Name, designation and phone/mobile/fax no. of the officers entrusted with linguistic minorities' affairs at the district level. (Attach a separate sheet, if required.)

R. सुरक्षणों के लिये प्रचार
Publicity of the safeguards

35. (a) भाषाई अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली सुरक्षणों एवं सुविधाओं के बारे उन्हें जानकारी देने हेतु क्या व्यवस्था की गई है ?
What is the mechanism for informing the linguistic minorities about the Safeguards and the facilities available to them?

(b) राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध सुरक्षणों के प्रति जागरूकता के प्रसार हेतु कृत कार्रवाई की कृपया विस्तृत जानकारी दें।
Please elaborate the action taken to spread awareness about the Safeguards available to the linguistic minorities in the State.

(c) सुरक्षणों से संबंधित विवरणिका अंतिम बार कब प्रकाशित हुई? क्या अल्पसंख्यक भाषाओं में छपी थीं? यदि हां, तो कृपया विवरण दें।
When were the Pamphlets detailing Safeguards last published? Were they published in minority languages? If so, please give details.

36. क्या ज़िला तथा तहसील कार्यालयों को निदेश दिए गए हैं कि वे भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध सुरक्षणों एवं सुविधाओं के बारे में प्रदर्शन बोर्ड तथा बैनर के माध्यम से सूचना दें?
Whether orders have been issued directing the district and tehsil offices to exhibit the Safeguards and concessions available to linguistic minorities through hoardings, banners, etc.?

S. भाषाई अल्पसंख्यकों से प्राप्त शिकायतें
Grievances/Complaints received from linguistic minorities

37. भाषाई अल्पसंख्यकों से समीक्षाधीन अवधि में प्राप्त शिकायतों और राज्य सरकार द्वारा कृत अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण दें।
Detail the complaints received from linguistic minorities during the period under report and the action taken thereon.

38. (a) राज्य में कितनी निबंधित भाषाई अल्पसंख्यक एशोसिएसन/समिति कार्यशील है।
How many registered Linguistic Minorities Associations/Societies are functioning in your State? Please furnish details of such Associations.

(b) इन एशोसिएसन/समितियों की सूची, उनके दूरभाष, पत्राचार का पता आदि दें।
Please, furnish a list, alongwith telephone nos. and postal addresses of such Associations/Societies.

Note:–

1. कोई भी प्रश्न अनुत्तरित/खाली न छोड़ें। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर सारगर्भित व ब्यौरेबार देने पर उचित ध्यान दें।
No Question should be left unanswered/ blank. Due care be taken to furnish detailed and comprehensive reply to each Question.

2. किसी स्पष्टीकरण हेतु कृपया संपर्क करें/**For any clarification, please contact the**

आयुक्त/**Commissioner**
फोन/ **Phone : 0532-2468549**

सहायक आयुक्त/**Assistant Commissioner (HQ)**
फोन/**Phone : 0532-2468560**
फैक्स/**Fax : 0532-2468544**

सहायक आयुक्त (दक्षिण क्षेत्र)/**Assistant Commissioner (SZ)**
टेलीफैक्स/**Telefax : 044-24919348 (O)**

3. ई मेल पता/**E-mail address : hqofficeclm@gmail.com**
4. वैब साईट/**Web site : http://www.nclm.nic.in**
5. पत्राचार का पता/**Postal Address : 40, Amar Nath Jha Marg**
Allahabad – 211002 (U.P.)

******

परिशिष्ट–IV

अगस्त, 1949 में प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकृत तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संकल्प

अवर बुनियादी (जूनियर बेसिक) स्तर पर बच्चे की शिक्षा और परीक्षा का माध्यम उसकी मातृभाषा ही होनी चाहिए, और जहां मातृभाषा प्रादेशिक अथवा राज्य की भाषा से भिन्न हो वहां बालक की मातृभाषा में शिक्षा के लिये कम से कम एक अध्यापक की नियुक्ति का प्रबन्ध किया जाना चाहिए बशर्ते कि इस भाषा को बोलने वाले बालकों की संख्या समस्त स्कूल में 40 से कम या एक कक्षा में 10 से कम न हों। बालक की मातृभाषा वही मानी जायेगी जिसकी घोषणा उसके माता–पिता या अभिभावक करेंगे। यदि प्रादेशिक या राज्य भाषा मातृभाषा से भिन्न हो तो उसकी शिक्षा तीसरी कक्षा के पहले और अवर बुनियादी स्तर की समाप्ति के बाद आरम्भ होनी चाहिये। माध्यमिक स्तर पर प्रादेशिक भाशाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने में इन छात्रों को सुविधा हो, इसके लिये इन बालकों को अवर बुनियादी स्तर के बाद षुरू के दो वर्श तक मातृभाषा में भी प्रश्नों के उत्तर देने की छूट देनी चाहिए।

माध्यमिक स्तर पर यदि किसी क्षेत्र में ऐसे बच्चों की संख्या जिनकी मातृभाषा प्रादेशिक या राज्य भाषा से भिन्न कोई भाषा है, इतनी हो कि उनके लिये उस क्षेत्र में एक अलग स्कूल खोलने का औचित्य हो तो इस स्कूल में शिक्षा का माध्यम विद्यार्थी की मातृभाषा को रखा जा सकता है। यदि इस प्रकार के स्कूल का गठन और स्थापना गैर सरकारी संस्थाओं या अधिकरणों द्वारा की जाय तो उन्हें निर्धारित नियम के अनुसार सरकार से मान्यता और सहायता अनुदान प्राप्त करने का भी अधिकार होगा। सरकार उन सभी सरकारी, नगर पालिका और जिला बोर्ड के स्कूलों में भी इसी प्रकार की सुविधा देगी जिनमें स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या के एक तिहाई विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना चाहें और उस क्षेत्र में इस भाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान न हों तो सरकार उस स्कूल से उन विद्यार्थियों को उनकी ही मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रबन्ध करने की अपेक्षा करेगी। तथापि, सम्पूर्ण माध्यमिक स्तर की शिक्षा के दौरान क्षेत्रीय भाषा एक अनिवार्य विषय रहेगी।

उपर्युक्त व्यवस्था विशेष रूप से राजधानियों या उन स्थानों के लिए आवश्यक होगी जहां विभिन्न भाषा भाषी लोग बड़ी संख्या में रहते है, या फिर उन क्षेत्रों में आवश्यक होगी जहां भिन्न भाषा भाषी लोग बड़ी संख्या में बराबर आते जाते रहते है।

परिशिष्ट–V

भारत सरकार का 1956 का ज्ञापन

राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के चौथे भाग में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये जिन सुरक्षणों का सुझाव दिया गया, उनकी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ परामर्श करके ध्यानपूर्वक जांच कर ली गई है, और भारत सरकार का इरादा आयोग की सिफारिशों में से अधिकांश को स्वीकार कर लेने का है। इस विषय में जो कार्यवाही अब तक की जा चुकी है या जिसे करने का विचार है, उसका निर्देश निम्नलिखित पैराओं में किया गया।

1. **प्राथमिक शिक्षा** :

इस संबंध में संविधान (नवां संशोधन) विधेयक के खण्ड 21 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की सुविधाओं के विषय में संविधान में एक नया अनुच्छेद अर्थात 350क जोड़ने की व्यवस्था की गई है। संविधान के प्रस्तावित अनुच्छेद 350क के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जो निर्देश जारी किये जायेंगे और जिन्हें कानून का रूप दिए जाने का प्रस्ताव है वे सम्भवतः अगस्त 1949 में प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकृत संकल्प के आधार पर होंगे। अभिप्राय यह है कि जिन उपबन्धों को इस सम्मेलन में सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया है, उन्हें उन राज्यों और क्षेत्रों में भी लागू कर दिया जाए जहाँ उन्हें अभी तक अपनाया नहीं गया है।

2. **माध्यमिक शिक्षा** :

आयोग ने सिफारिशें की है कि भारत सरकार को राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने के विषय में एक स्पष्ट नीति निर्धारित करनी चाहिए और उसे कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए। आयोग ने मत प्रकट किया है कि जहां माध्यमिक शिक्षा का संबंध है, उसके लिए प्राथमिक शिक्षा की अपेक्षा एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाया जाना आवश्यक है, और इसलिए आयोग ने माध्यमिक स्कूल स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश नहीं की है।

3. **अगस्त 1949 में प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव में माध्यमिक शिक्षा के विषय में निम्नलिखित व्यवस्थाएं करने का विचार थाः–**

(क) यदि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या, जिनकी मातृभाषा प्रादेशिक या राजभाषा से भिन्न है, इतनी हो कि उनके लिए उस क्षेत्र में एक अलग स्कूल खोल देना उचित हो, तो इस स्कूल में शिक्षा का माध्यम विद्यार्थियों की मातृभाषा हो सकती है। यदि इस प्रकार के स्कूलों का गठन और स्थापना गैर सरकारी अभिकरणों द्वारा की गयी हो तो उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए मान्यता दी जायगी।

(ख) सरकार उन सभी और जिला बोर्ड स्कूलों में इसी प्रकार की सुविधाएं देगी जिनमें स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या के एक तिहाई विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना चाहे।

(ग) यदि सरकार से सहायता प्राप्त किसी स्कूल के एक–तिहाई विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना चाहें और उस क्षेत्र में इस भाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान न हों, तो सरकार उस स्कूल से इन विद्यार्थियों को उनकी ही मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रबंध करने की अपेक्षा करेगी।

(घ) सम्पूर्ण माध्यमिक स्तर की शिक्षा के दौरान क्षेत्रीय भाषा एक अनिवार्य विषय होगी।

4. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट तथा उसी विषय पर अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत किए गए संकल्प पर विचार कर लेने के बाद माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में मातृभाषा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, ताकि भाषाई अल्पसंख्यक छात्र माध्यमिक स्कूल स्तर पर पढ़ाने के लिए प्रस्तावित तीन भाषाओं में से अपनी मातृभाषा को एक वैकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ सकें। आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके भारत सरकार का विचार है कि माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा के प्रयोग और उसके स्थान के विषय में स्पष्ट नीति निर्धारित कर दी जाय और उसे कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय किये जायें।

5. **अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं का प्रयोग करने वाले स्कूलों तथा कालेजों को सम्बद्ध करनाः**

पिछले पैराग्राफों में दिए गए प्रस्तावों से संबंधित एक प्रश्न नये अथवा पुनर्गठित राज्यों में स्थित शिक्षा संस्थाओं को समुचित विश्वविद्यालय अथवा शिक्षा बोर्डो से सम्बद्ध करने का भी है। अभीष्ट तो यही है कि इस बात का पूरा–पूरा प्रयत्न किया जाए कि, जहां तक मातृभाषा संबंधी पाठ्यक्रमों का प्रश्न है, स्कूल और कालेजों जैसी शिक्षा संस्थाएं उसी राज्य में अवस्थित विश्वविद्यालयों तथा अन्य प्राधिकरणों से सम्बद्ध की जा सकें। तथापि, शायद सदैव ऐसा प्रबन्ध करना संभव न हो सके और, इस प्रकार की संस्थाओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए कभी–कभी संबंधित विश्वविद्यालयों या शिक्षा प्राधिकरणों के और स्वयं उक्त शिक्षा संस्थाओं के हित की दृष्टि से भी उन्हें राज्य से बाहर अवस्थित उपायुक्त शिक्षा निकायों से सम्बद्धता प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करना अधिक सुविधाजनक होगा। वस्तुतः इसे संविधान के अनुच्छेद 30 के उपबन्धों का एक अनिवार्य उपप्रमेय ही माना जाना चाहिए, जिसके द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रबन्धन करने का अधिकार दिया गया है।

6. इसलिए राज्य सरकारों को यह सलाह देने का विचार है कि इस प्रकार के सभी मामलों में राज्य से बाहर के निकायों से सम्बद्ध होने की अनुमति बिना किसी कठिनाई के दे दी जानी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि इस प्रकार से सम्बद्ध किसी भी संस्था को सहायता अनुदान और अन्य सुविधाओं के मामले में केवल इसलिये अपात्र नहीं माना जाना चाहिए कि सैद्धान्तिक दृष्टि से राज्य के शैक्षणिक प्रशासन के ढांचे में ठीक नहीं बैठती। इसलिए प्रस्ताव है कि सभी संस्थाओं को, चाहे वे राज्य के अन्दर के शिक्षा निकायों से सम्बद्ध हों या राज्य के बाहर के निकायों से, उन राज्यों से निरन्तर सहायता मिलती रहनी चाहिए जिनमें वे स्थित हैं। जहां आवश्यक हो, विश्वविद्यालय और शिक्षा बोर्डों से संबंधित विधान पर इस दृष्टि से पुनर्विचार कर लिया जाए। है कि यदि इस बारे में मांग की जाए और राष्ट्रपति को विश्वास हो जाय कि किसी राज्य की आबादी का एक खासा बड़ा हिस्सा किसी भाषा विशेष के प्रयोग को राज्य द्वारा मान्यता दिलाना चाहता है, तो वे निर्देश दे सकते है कि उस भाषा को सम्पूर्ण राज्य में अथवा उसके किसी भाग में सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त होगी। आयोग ने सिफारिश की है कि भारत सरकार को राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके राज्य प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न भाषाओं के प्रयोग के विषय में एक स्पष्ट संहिता निर्धारित कर देनी चाहिए और इस संहिता के अनुपालन के सुनिश्चयन के लिए अनुच्छेद 347 के अधीन कार्यवाही करनी चाहिए।

7. **अल्पसंख्यक भाषाओं को राज्य भाषाओं के रूप में मान्यता देने के विषय में अनुच्छेद 347 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निर्देशों का जारी किया जानाः**

संविधान के अनुच्छेद 347 की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जिसमें यह व्यवस्था है कि यदि इस बारे में मांग की जाए और राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि किसी राज्य की आबादी का एक खासा बडा हिस्सा किसी भाषा विशेष के प्रयोग को राज्य द्वारा मान्यता दिलाना चाहता है, तो वे निर्देश दे सकते है कि उस भाषा को सम्पूर्ण राज्य में अथवा उसके किसी भाग में सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त होगी। आयोग ने सिफारिश की है कि भारत सरकार को राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके राज्य प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न भाषाओं के प्रयोग के विषय में एक स्पष्ट संहिता निर्धारित कर देनी चाहिए और इस संहिता के अनुपालन के सुनिश्चयन के लिए अनुच्छेद 347 के अधीन कार्यवाही करनी चाहिए।

8. आयोग का प्रस्ताव है कि किसी राज्य को तभी एक भाषी माना जाना चाहिए जब कोई एक भाषा वर्ग वहां की जनसंख्या का 70 प्रतिशत या उससे अधिक हो; तथा जहां एक खासा बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग हो, जिसकी संख्या कुल आबादी का 30 प्रतिशत या उससे अधिक हो, उस राज्य को प्रशासन की दृष्टि से द्विभाषी माना जाना चाहिए। आयोग ने आगे यह सुझाव भी दिया है कि जिला स्तर पर भी यह सिद्धान्त अपनाया जाए अर्थात् यदि जिले की कुल जनसंख्या की 70 प्रतिशत या अधिक आबादी ऐसे लोगों की हो जो सम्पूर्ण राज्य की दृष्टि से अल्पसंख्यक हो, तो उस जिले की सरकारी भाषा उस अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा होगी, न कि राज्य की भाषा।

9. भारत सरकार इन प्रस्तावों से सहमत है और राज्य सरकारों को भी इन सुझावों को अपनाने का परामर्श देना चाहती है।

10. द्विभाषी माने जाने वाले किसी भी राज्य अथवा जिले में दो या अधिक राजभाषाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए जो प्रबन्ध किये जायेंगे, उनसे राज्य के किसी भी निवासी के संवैधानिक अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जो उसे विधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार मिला है और जिसके अनुसार वह अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए संघ या राज्यों में प्रयुक्त होने वाली किसी भी भाषा में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

11. आयोग ने यह सुझाव भी दिया है कि जिलों अथवा नगरपालिकाओं और तहसीलों जैसे छोटे क्षेत्रों में, जहां कोई भाषाई अल्पसंख्यक उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 15 या 20 प्रतिशत तक हों, महत्वपूर्ण सरकारी सूचनाओं तथा नियमों को उस भाषा या भाषाओं के अतिरिक्त जिनमें इस प्रकार के कागज वैसे भी सामान्यतः प्रकाशित किये जाते हों, उन अल्पसंख्यकों की भाषा में प्रकाशित करना भी लाभप्रद रहेगा।

12. भारत सरकार का विचार यह सुझाव देने का है कि प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से राज्य सरकारों को इस प्रस्तावित कार्यविधि को अपनाना चाहिए।

13. **राज्य सेवाओं में भर्ती के वास्ते ली जाने वाली परीक्षाओं के लिये अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं को माध्यम के रूप में मान्यताः**

इस संबंध में आयोग की इस सिफारिश की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाना है कि (अधीनस्थ सेवाओं के अतिरिक्त) राज्य सेवाओं में भर्ती के वास्ते ली जाने वाली परीक्षाओं में उम्मीदवारों को यह छूट मिलनी चाहिए कि वे अंग्रेजी/हिंदी या राज्य की 15 से 20

प्रतिशत या अधिक आबादी द्वारा बोली जाने वाली किसी भी अल्पसंख्यक भाषा को परीक्षा के माध्यम के रूप में चुन सकें। जो उम्मीदवार अल्पसख्यक भाषा के माध्यम से परीक्षा दें, उनका चुनाव हो जाने के बाद परिवीक्षा अवधि की समाप्ति से पहले राज्य की भाषा में उनकी प्रवीणता की परीक्षा ली जाय। भारत सरकार का विचार राज्य सरकारों से यह भी सिफारिश करने का है कि जहां अधीनस्थ सेवाओं में सम्मिलित किसी संवर्ग (कैडर) को जिले के संवर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त हो, वहा जिलों में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में उस भाषा को भी परीक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार कर लिया जाए जिसे वहां की अतिरिक्त सरकारी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हो। इस टिप्पणी (नोट) के आठवें पैरा में निर्दिष्ट आयोग के सुझावों को स्वीकार कर लेने के परिणामस्वरूप यह अंतिम सुझाव स्वतः स्वीकार हो जाएगा।

14. **निवास सम्बन्ध नियमों और अपेक्षाओं का पुनरीक्षणः**

आयोग ने इस पर जोर दिया है कि कुछ राज्यों में लागू अधिवास (डोमिसाइल) की शर्तों से अल्पसंख्यक वर्गों को नुकसान हो रहा है, और यह सिफारिश की है कि भारत सरकार संविधान के अनुच्छेद 16(3) के अधीन संसद द्वारा बनाये जाने वाले कानून का रूप क्या हो, इस विषय में समय–समय पर दिये गये विभिन्न सुझावों पर भारत सरकार ने बहुत सावधानी पूर्वक विचार किया है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सारी परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए राज्य सेवाओं की किसी भी शाखा या किसी भी संवर्ग मे फिलहाल किसी भी प्रकार का निवास संबंधी प्रतिबन्ध लगाना न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय।

15. आवास संबंधी भेद भाव न बरतने के सामान्य नियम में तेलंगाना क्षेत्र में कुछ छूट देनी पड़ सकती है और कुछ पिछड़े हुए क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के बारे में विशेष व्यवस्था करने के प्रश्न पर भी विचार करना पड़ सकता है। तथापि, आशा की जाती है कि इस अंतरिम प्रबन्ध को संक्रमण काल की अवधि के बाद जारी रखने की आवश्यक ता नहीं होगी।

16. भारत सरकार का उपर्युक्त बातों के प्रकार के अनुरूप स्थिति को स्पष्ट करने के लिए यथाशीघ्र कानून बनाने का विचार है। इस बीच राज्य सरकारों से कहा जाएगा कि वे पैरा 14, में बताई गई स्थिति ध्यान में रखते हुए राज्य सेवाओं के लिए भर्ती के नियमों का पुनरीक्षण करें।

17. **ठेकों, मछलीपालन आदि के सम्बन्ध में निजी अधिकारों पर प्रतिबन्धः**

व्यापार, वाणिज्य, उद्योग. धन्धों की स्वतंत्रता और समान अधिकारों के बारे में संविधान में नये उपबन्धों की ओर राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया जा रहा है और यह सुझाव दिया जा रहा है कि इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वर्तमान प्रतिबंधों का पुनरीक्षण किया जाए।

18. **अखिल भारतीय सेवाओं में नए प्रवेश पाने वालों की कम से कम पचास प्रतिशत भर्ती राज्य के बाहर से की जाएः**

इस प्रश्न पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अनौपचारिक बातचीत की गई है। किसी प्रकार के कड़े नियमों की आवश्यक ता जरूरी नही समझी गई लेकिन भविष्य में अखिल भारतीय सेवाओं के लिए आवंटन करते समय आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखा जाएगा।

19. **एक तिहाई जजों की भर्ती राज्य के बाहर से की जाएः**

आयोग की सिफारिश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के ध्यान में लाया जा रहा है। इन सिफारिशों को कार्यान्वित करते समय कुछ मामलों में कठिनाई आ सकती है लेकिन कोशिश यह होनी चाहिए किए जहां तक सम्भव हो सके, भविष्य में नियुक्तियां करते समय इन सिफारिशों को ध्यान में रखा जाए ।

20. **दो या दो से अधिक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का गठनः**

राज्य के लोक सेवा आयोगों के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएं इस प्रस्ताव का राज्य सरकारों ने स्वागत नहीं किया इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। अनुच्छेद 315 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों के गठन के संबंध में संविधान में पहले से ही उपबंध विद्यमान हैं। यदि कभी दो या दो से अधिक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों के गठन की आवश्यक ता महसूस की जाए तो इस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया का बाद में अनुकरण किया जा सकता है।

21. **संरक्षणों को लागू करने के लिए एजेंसीः**

राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षणों को लागू करने के लिए राज्यों के राज्यपालों की सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। आयोग ने राज्यपालों को कोई स्वैच्छिक कार्य देने के बारे में कोई विचार नहीं किया। उन्होंने एक ऐसी सरल सी प्रक्रिया अपनाने के बारे में सुझाव दिया जिसे वर्तमान संवैधानिक ढांचे के अन्तर्गत अपनाया जा सके। राज्य पुनर्गठन विधेयक और संविधान के (नवें संशोधन) विधेयक पर संसद और संयुक्त प्रवर समिति दोनों में ही व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के नमूने पर केन्द्र में अल्पसंख्यकों के आयुक्त की नियुक्ति का प्रस्ताव किया है यह अधिकारी छोटे भाषा ग्रुपों के लिए किये गए संरक्षणों के क्रियान्वयन पर राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट ऐसे अन्तरालों के बाद प्रस्तुत करेगा जिसके लिए राष्ट्रपति उसको निर्देश दें और उसकी रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

22. समाप्त करने के पहले भारत सरकार राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट में आयोग के निम्नलिखित पैरे में टिप्पणी का समर्थन करना चाहेगीः–

''हम यह जोर देकर कहना चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों को दिये गए संरक्षण तब तक सुरक्षित नहीं हैं जब तक राज्य सरकार किसी प्रकार की भेदभावपूर्ण नीति अपनाती रहेगी। राज्य स्तर पर सरकारी गतिविधियां व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पहलू पर वास्तविक रूप से बहुत प्रभाव डालती हैं और एक प्रजातांत्रिक सरकार को लोगों के राजनीतिक और नैतिक स्तरों को अवश्य प्रतिबिम्बित करना चाहिए। इसलिए यदि प्रमुख ग्रुप अल्पसंख्यकों के प्रति वैर भाव रखता है तो अल्पसंख्यकों का विद्रोही हो जाना अवश्यम्भावी है। बहुसंख्यक समुदाय भेदभाव रहित रवैया अपनाए इसका और कोई विकल्प नहीं है और बदले में अल्पसंख्यकों को भी राज्य की सम्पूर्ण एवं नियमित प्रगति में अपनी ओर से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।''

परिशिष्ट–VI

भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षणों पर विचार करने के लिये 1959 में हुई दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् की मंत्री–स्तर समिति की बैठक में लिए गए निर्णय

भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षणों पर विचार करने के लिए दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् की मंत्री–स्तर समिति की शनिवार 16 मई और इतवार 17 मई को उटकमंड में हुई बैठक में निम्नलिखित व्यक्तियों ने भाग लिया

1. श्री सी॰सुब्रहमण्यम, वित्त मंत्री, मद्रास (संयोजक)
2. श्री ई॰एम॰एस॰नम्बूदरीपाद, मुख्यमंत्री, केरल
3. श्री एस॰बी॰पी॰ पट्टाभिरामा राव, शिक्षा मंत्री, आन्ध्र प्रदेष
4. श्री के॰ब्रहमानंद रेड्डी, वित्त मंत्री, आन्ध्र प्रदेष
5. श्री अन्न राव गनामुखी, शिक्षा मंत्री, मैसूर

श्री आर॰ए॰ गोपालस्वामी, आइ॰सी॰एस॰, द्वितीय सदस्य, राजस्व बोर्ड, मद्रास, श्री के॰वी॰ रामानाथन, आइ॰ए॰एस॰, उप सचिव, मद्रास सरकार, स्वास्थ्य शिक्षा और स्थानीय प्रशासन विभाग और श्री एन॰जयरामन, उपसचिव, मद्रास सरकार, पब्लिक (पार्टीशन) विभाग, मद्रास राज्य, श्री बी॰रामचन्द्रन, आइ॰ए॰एस॰, उप सचिव, केरल सरकार शिक्षा विभाग, केरल राज्य और श्री सिद्दव पुरनायक, अवर सचिव, मैसूर सरकार, शिक्षा विभाग और मैसूर राज्य के शिक्षा मंत्री के निजी सचिव भी बैठक में शामिल हुए।

2. **कार्य सूची की मद संख्या–1 शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करना।**

समिति ने भाषाई अल्पसंख्यकों वर्गो के छात्रों को सभी राज्यों के प्राथमिक और प्रांरभिक स्कूलों में उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने की सुविधायें प्रदान करने के प्रश्न पर अगस्त, 1949 में प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय पर स्वीकार किए गए प्रस्ताव की दृष्टि से विचार किया। भाषाई अल्पसंख्यकों वर्ग के छात्रों द्वारा प्राथमिक तथा उसके बाद के स्तर पर क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन के प्रश्न पर भी विचार किया गया। अन्ततः निम्नलिखित निर्णय किये गयेः

(क) चार राज्यों से प्रत्येक में 1 नवम्बर, 1956 को भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए पृथक वर्गो तथा उनमें छात्रों और अध्यापकों की संख्या एवं स्कूल संबंधी अन्य सुविधाओं के विषय में स्थिति मालूम की जायेगी और उनमें कोई कमी किये बिना उन्हें उसी तरह जारी रखा जायेगा। परन्तु मद्रास में तेलुगु छात्रों तथा आन्ध्र प्रदेश में तमिल छात्रों के संबंध में उपर्युक्त निर्णायक तारीख 1.11.56 न होकर 1.11.53 होगी।

यदि छात्रों की संख्या कम हो जाए तो उसके अनुरूप ही अध्यापकों और स्कूल संबंधी अन्य सुविधाओं में कमी की जा सकती है परन्तु किसी भी विशिष्ट मामले पर लागू होने वाले सरकार के विशेष आदेश के बिना कोई कमी नहीं की जानी चाहिये। यदि छात्रों की संख्या बढ़ जाये तो अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण की अतिरिक्त सुविधाएं जिनमें अध्यापक भी शामिल है, एक ऐसे पैमाने पर उपलब्ध की जायेगी जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए लागू मानकों से कम उदार नहीं होगी। यदि कोई राज्य शिक्षक उपलब्ध करने के विषय में और अधिक उदारता दिखाता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी और ऐसे विशेष मामलों में जहां अधिक उदार पैमाने पर सुविधाओं की मांग की जाये तो संबंधित राज्य सरकार को चाहिए कि आदेश देते समय इस प्रकार के प्रत्येक मामले की विशेषताओं को ध्यान में रखें।

(ख) उपर्युक्त सुरक्षणों को कार्यान्वित करने के लिये यह व्यवस्था की जायेगी कि सारे प्राथमिक स्कूल वार्षिक सत्र प्रारंभ होने से 15 दिन पहले समाप्त होने वाले तीन मासों की अवधि तक भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के माता–पिता के बच्चों से प्रवेश और मातृभाषा में शिक्षा के लिए आवेदन–पत्र लेते रहें। इन आवेदन पत्रों को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। विभाग की ओर से इस बात का प्रबंध किया जाना चाहिए, कि इस प्रकार के किसी आवेदन को प्रवेश देने से केवल इसलिए इन्कार न किया जाए कि जिस स्कूल में अर्जी दी गई है उस स्कूल में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की संख्या अपर्याप्त है। जहां आवश्यक हो वहां अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के प्रवेश की समस्या स्कूलों के परस्पर सामंजस्य द्वारा हल की जानी चाहिए।

(ग) इन चारों राज्य में से प्रत्येक में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को चौथी कक्षा से अतिरिक्त वैकल्पिक भाषा के रूप में क्षेत्रीय भाषा पढ़ाने की सुविधाएं भी दी जायेंगी ताकि यदि इन वर्गो के छात्र माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषा पढ़ना चाहे तो उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। इन सुविधाओं के लिए खर्च सरकार करेगी, अर्थात् सार्वजनिक यानी सरकारी अथवा नगरपालिकाओं के स्कूलों में यह सुविधा मुफ्त दी जायेगी तथा सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों को इस प्रकार की सुविधाओं के लिए सरकार से अनुदान मिल सकेगा।

3. **मद संख्या–2 : शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर भाषाओं का अध्ययन**

त्रिभाषासूत्र के अनुरूप तथा दक्षिणी क्षेत्र के सभी राज्यों द्वारा स्वीकृत शर्तो के अनुसार शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिये उनकी मातृभाषा के अध्ययन की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया गया। यह देखा गया कि चारों में से प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गो के लिए मातृभाषा के अध्ययन की व्यवस्था की जा रही है अथवा की जायेगी।

मद्रास में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग का छात्र क्षेत्रीय भाषा (भाषा पाठ्यक्रम का भाग 1) अथवा हिंदी या भाग 1 में न शामिल की गयी किसी अन्य भारतीय भाषा (भाषा पाठ्यक्रम का भाग 2) के स्थान पर अपनी मातृभाषा पढ़ सकता है। आन्ध्र प्रदेश और मैसूर में वह मातृभाषा को पहली भाषा के रूप में या तो क्षेत्रीय भाषा के पूर्ण विकल्प के रूप में पढ़ा सकता है अथवा एक से अधिक भाषाओं के मिले–जुले पाठ्यक्रम के एक अंश के रूप में। जहाँ तक राज्यों में क्षेत्रीय भाषा के विकल्प के रूप में मातृभाषा ली जा सकती है वहां तक क्षेत्रीय भाषा

पढ़ना अनिवार्य नहीं है। यह निर्णय किया गया है कि यह स्थिति संतोषजनक है और इसको जारी रखना चाहिए। भारत सरकार की इस सिफारिश पर विचार किया गया है कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए मातृभाषा के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषा पढ़ाने की भी व्यवस्था अनिवार्यतः होनी चाहिये और पढ़ाई जानेवाली संबंधित भाषाओं की संख्या को देखते हुए यह निर्णय किया गया कि इस प्रकार की अनिवार्यता न वांछनीय है और न सम्भव ही है।

4. लोक सेवाओं में भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में दक्षता के लिए जो योग्यता निर्धारित की जाती है उससे क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर मातृभाषा का अध्ययन करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को कोई छूट दी जानी चाहिये या नहीं, इस प्रश्न पर लोक सेवाओं में भर्ती के विषय में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षणों के प्रश्न के अंश के रूप (नीचे मद 9 में) में विचार किया गया।

5. मद सख्या 3: भाषाई अल्पसंख्यकों को माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की सुविधायें प्रदान करना।

समिति ने भाषाई अल्पसंख्यकों को माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधायें प्रदान करने के प्रष्न पर विचार किया। अगस्त 1949 में प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय पर स्वीकृत प्रस्ताव पर भी समिति ने ध्यान दिया जिसमें सरकार से अपेक्षा की गई थी कि (क) यह उन क्षेत्रों में, जहां भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की संख्या इतनी है कि उनके लिये अलग स्कूल खोलना उचित हो, ऐसे अलग स्कूल खोलें या उन स्कूलों को मान्यता प्रदान करें जिनमें मातृ में शिक्षा दी जाती हो, (ख) वह उन सभी सरकारी या नगरपालिकाओं के स्कूलों में जिनमें छात्रों की कुल संख्या के एक तिहाई छात्र अपनी मातृभाशा में शिक्षा प्राप्त करना चाहें, अलपसंख्यक वर्ग की भाषा के माध्यम से शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान करें तथा (ग) वह इसकी व्यवस्था करें कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल भी समान परिस्थितियों में उसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करें। शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक और विविध पाठ्यक्रमों के वैकल्पिक विषयों की शिक्षा अल्पसंख्यकों की भाषाओं के माध्यम से देने में उपस्थित होने वाली कठिनाइयों पर भी समिति ने विचार किया। मद्रास ने यह विचार रखा कि प्रान्तीय मंत्रियों के सम्मेलन के संकल्प में एक तिहाई की बात भाषाई अल्पसंख्यकों और सरकार दोनों की दृष्टि से असंतोषप्रद है, क्योंकि बड़े स्कूलों में चाहे अनुपात एक तिहाई से कम भी हो पर वहाँ अलग वर्ग खोलना आवश्यक और सम्भव हो सकता है। जबकि छोटे स्कूलों में अनुपात एक तिहाई से अधिक भी हो तो भी अलग वर्ग खोलने में खर्च अधिक होगा और वैसा करना अव्यवहारिक भी होगा। इस विचार को सामान्य रूप से स्वीकार किया गया। परन्तु इस बात पर काफी बहस हुई कि अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रत्येक कक्षा में तथा सारे स्कूल में कुल मिलाकर अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। अन्त में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय किये गये:

(अ) 1.11.1956 को भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अलग माध्यमिक स्कूलों तथा अन्य माध्यमिक स्कूलों में उनके लिए अलग वर्गों की स्थिति मालूम की जाए। इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की संख्या और अल्पसंख्यक भाषा में अध्यापन की क्षमता रखने वाले अध्यापकों और स्कूल संबंधी अन्य सुविधाओं की स्थिति के बारे में विषेश जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए और इस स्थिति को बिना परिवर्तन के जारी रखा जाना चाहिए।

(ब) किसी स्थान विशेष क्षेत्र में यदि छात्रों की संख्या इतनी कम हो जाए कि वहाँ सुविधाओं को कम कर देना उचित हो तो वह कम की जा सकती है, परन्तु किसी भी मामले में सरकार से विशेष रूप से आदेश किये बिना कोई कमी नही की जानी चाहिए।

(स) यदि छात्रों की संख्या बढ़ जाए तो जिन नियमों के अनुसार और जिस हिसाब से अन्य स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ने के साथ–साथ अध्यापकों में वृद्धि की जाती है, उसी हिसाब से इनमें अध्यापकों को बढ़ा देना चाहिए।

(द) जहाँ अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं में शिक्षा देने की सुविधायें विद्यमान न हों वहाँ ये सुविधायें देने के लिए आवश्यक होगा कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षाक्रम की नई 8वीं से 11वीं तक की कक्षाओं में कुल मिलाकर कम से कम 60 छात्र और प्रत्येक कक्षा में कम से कम 15 छात्र होने चाहिए, परन्तु इन सुविधाओं को प्रारंभ करने के प्रथम चार वर्षो तक उस प्रत्येक कक्षा में जिसमें ये सुविधाएँ दी गई हों, 15 की संख्या भी पर्याप्त होगी। कुल कक्षाओं में मिलाकर 60 की संख्या और प्रत्येक कक्षा में 15 की संख्या विविध पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक पाठ्क्रमों में से प्रत्येक के लिए अलग–अलग मानी जाएगी और जहां शैक्षिक पाठ्यक्रमों में विषयों के विभिन्न वर्गो की व्यवस्था हो, वहाँ वैकल्पिक विषयों के प्रत्येक वर्ग के लिए अलग–अलग गिनी जायेगी।

6. मद संख्या 4: शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना।

क्या राज्य द्वारा संचालित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा का प्रबंध करना आवश्यक है? यदि यह प्रबंध आवश्यक हो तो क्या इसे छात्रों के किसी वर्ग विशेष तक सीमित रखा जाना चाहिये या इस प्रकार की शिक्षा बिना किसी प्रतिबंध के सब छात्रों को उपलब्ध होनी चाहिए, इन प्रश्नों पर समिति ने विस्तारपूर्वक चर्चा की। समिति के सामने यह बात आई कि चारों राज्यों की यहीं निर्धारित नीति है कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषा ही शिक्षा का माध्यम होनी चाहिये तथा इस सामान्य नियम का एक मात्र अपवाद यह है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गो के छात्रों को उनकी मातृभाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की रियायत देने के रूप में इस सामान्य नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा परित्याग नहीं किया जाना चाहिए। संयोजक का विचार था कि जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते है उनके बच्चों को (चाहे वे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गो के हो अथवा बहुसंख्यक वर्गो के) अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने की स्वीकृति दी जा सकती है, क्योंकि इस समय अंग्रेजी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें देश के सब भागों में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। परन्तु जो लोग प्रायः एक ही स्थान पर रहते है, उनके बच्चों को इस प्रकार की सुविधायें प्रदान करना किसी प्रकार से उचित प्रतीत नहीं होता। अगर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गो के प्रायः एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों के बच्चों को किसी कारण से अपनी मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा न दी जा सकती हो तो उन्हें अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। इस बात पर सब सहमत थे कि जिन बच्चों के माता–पिता का स्थानान्तरण होता रहता है उनकों अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने का प्रबंध किया जाना चाहिये तथा बहुसंख्यक के प्रायः एक स्थान पर रहने वाले लोगों के बच्चों को प्रत्येक राज्य में एक मात्र क्षेत्रीय भाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिये। इस बात पर काफी बहस हुई कि क्या भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रायः एक ही स्थान पर रहने

वाले लोगों को बच्चो को कम से कम कुछ विशेष वर्गों के लिये अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था उचित न होगी। आन्ध्र प्रदेश के शिक्षामंत्री ने यह मत प्रकट किया कि जहाँ भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को उनकी मातृभाषा की शिक्षा प्रदान करने का प्रबंध सम्भव न हो, वहाँ पर यदि अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हों तो उन्हें अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की स्वीकृति दे दी जानी चाहिये। अन्त में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय किये गयेः–

(अ) सरकार से मान्यता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के अलग सेक्शनों मे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा सुविधाओं के विषय में 1.7.1958 को विद्यमान स्थिति मालूम की जाये और बिना परिवर्तन के जारी रखी जाए।

(ब) भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को आश्वासन दिया जाना चाहिए कि मान्यता प्राप्त स्कूलों के अलग वर्गों में 1.7.1958 जितने स्थान उपलब्ध थे उनकी संख्या उससे कम न होगी। बहुसंख्यक वर्गों को भी इसी प्रकार का आश्वासन दिया जाये या नही, इस बात का निश्चय प्रत्येक राज्य स्वयं करेगा।

(स) ऊपर बताई गई बातों के अनुरूप राज्य सरकारों को माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के विषय में अपनी नीति को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने की स्वतंत्रता रहनी चाहिये। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते–जाते रहने वाले माता–पिता के बच्चों की (चाहे वे भाषाई बहुसंख्यक वर्ग के अथवा अल्पसंख्यक वर्ग के हो) संख्या में होने वाली वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली आवश्यकता के सिवाय अन्य किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकारों पर यह दायित्व नहीं होना चाहिए कि वे 1.7.1958 को विद्यमान अंग्रेजी माध्यम से माध्यमिक स्कूलों की सुविधाओं में वृद्धि करें।

7. **मद संख्या 5ः अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं का प्रयोग करने वाले स्कूलों और कालेजों को राज्य के बाहर स्थित निकायों से सम्बद्ध करना।**

समिति ने भारत सरकार की राज्य सरकारों को यह सलाह देने के प्रस्ताव पर विचार किया कि स्कूलों, कालेजों और अन्य संस्थाओं को राज्य के बाहर स्थित शिक्षा निकायों के साथ सम्बद्ध होने की स्वीकृति बिना कठिनाई के दे दी जानी चाहिये। इस प्रकार की सम्बद्ध संस्थाओं को सहायता अनुदान और अन्य सुविधाओं के मामले में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिये। सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि स्कूलों को राज्य से बाहर के शिक्षा निकायों के साथ सम्बद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक कालेजों का संबंध है, इस पर विचार करना अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड का काम है।

8. **मद संख्या 6ः सरकारी कामकाज के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोगः**

राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की है कि जिस राज्य में किसी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का 30 प्रतिशत या अधिक हो उस राज्य को प्रशासन की दृष्टि से द्विभाषी माना जाना चाहिये तथा यदि किसी जिले की 70 प्रतिशत अथवा अधिक आबादी ऐसे लोगों की हो जो समस्त राज्य के लिहाज से भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के है तो उस जिले की सरकारी भाषा राज्य की भाषा न होकर उस अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा होगी। जिलों, नगर पालिकाओं और उनसे भी छोटे क्षेत्रों में जहाँ अल्पसंख्यक वर्गो की आबादी वहाँ की जनसंख्या का 15 से 20 प्रतिशत है सरकारी सूचनायें, चुनावों की नामावलियां आदि दोनों भाषाओं में प्रकाशित की जानी चाहिए तथा अदालतों में कागज–पत्र

अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं में भी प्रस्तुत करने की स्वीकृति होनी चाहिये। समिति ने इन सिफारिशों पर विचार किया और पाया कि चारों में से किसी में भी कोई ऐसा भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग नहीं है, जिसकी आबादी राज्य की कुल जनसंख्या के 30 प्रतिशत से अधिक हो अथवा कोई जिला ऐसा नहीं है, जहाँ भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग की जनसंख्या 70 प्रतिशत अथवा अधिक हो। समिति ने विचार प्रकट किया कि दोनों सुरक्षणों में से कोई भी सुरक्षण (अर्थात राज्य को द्विभाषी घोषित करना अथवा बहुसंख्यकों की भाषा के अतिरिक्त किसी भाषा को जिले की सरकारी भाषा घोषित करना) चारों में से किसी भी राज्य में लागू नहीं होता है। जिलों या इनसे छोटे क्षेत्रों में किन्ही विशिष्ट कार्यो के लिए अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं को मान्यता प्रदान करने विषयक आयोग के सुझाव के संबंध में यह निर्णय किया गया कि इस दृष्टि से प्रत्येक नगरपालिका शासित शहर और प्रत्येक तालुका में नगरपालिका के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्र को इस उद्देश्य हेतु एक अलग स्थानीय क्षेत्र समझा जाना चाहिए और ऐसे स्थानीय क्षेत्रों जहाँ एक तालुका या नगर पालिका के 20 प्रतिशत लोग राज्य के बहुसंख्यक वर्ग की भाषाओं से भिन्न भाषा बोलते है, उनकी एक सूची तैयार की जानी चाहिए। इस प्रकार से तैयारी की गई सूची में सम्मिलित प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कार्य किये जाने चाहिये।

(अ) सब महत्वपूर्ण सरकारी सूचनायें और नियम, चुनावों की नामावलियां इत्यादि अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा अथवा भाषाओं में प्रकाशित की जानी चाहिये;

(ब) जनता के प्रयोग में आने वाले प्रपत्र प्रादेशिक भाषा एवं अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा दोनों छापे जाने चाहिये;

(स) अल्पसंख्यक भाषाओं में भी अभिलेखों के पंजीयन की सुविधाएं होनी चाहिए;

(द) अल्पसंख्यक भाषा में भी सरकारी कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार की स्वीकृति होनी चाहिये;

(य) इन क्षेत्रों के न्यायालयों में कागज–पत्र अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी चाहिये;

(र) प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जहाँ तक व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव हो सके, यह प्रयत्न किया जाना चाहिये कि इन स्थानीय क्षेत्रों में ऐसे सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाये जिन्हे क्षेत्र की अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा का पर्याप्त ज्ञान हो।

आन्ध्र प्रदेश सरकार का पहले यह विचार था कि राज्य की सरकारी भाषा निर्धारित करने के मुख्य प्रश्न के साथ ही इस विषय में आयोग के सुझावों को स्वीकार करने के प्रश्न पर विचार किया जाये परन्तु बाद में यह इस बात के लिये राजी हो गई कि वह भी वही करेगी जो अन्य राज्य करेंगे।

9. मद संख्या 9: राज्यों में लोक सेवाओं में भर्ती के विषय में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए सुरक्षण

मद संख्या 9 व्यापक थी और मद 7 और 8 इसकी अंग थी इसलिए इस पर उनसे पहले विचार किया गया।

10. समिति ने इस बात पर ध्यान दिया कि जहां अंग्रेजी राजभाषा बनी रहती है, तथा सेवा में भर्ती के लिये राज्य की बहुसंख्यक वर्ग की भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य नहीं होता और जहां सेवाओं में भर्ती के लिये भी ली जाने वाली समकक्ष परीक्षाओं में बहुसंख्यक वर्ग की भाषा में ही उत्त्तर लिखना आवश्यक नहीं है, वहां राज्य की लोक सेवाओं की भर्ती के मामले में भाषाई अल्पसंख्यक को किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। परन्तु मद्रास ने तमिल को राज्य की राजभाषा घोषित किया है तथा यह व्यवस्था की है कि किसी सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये राज्य की राजभाषा, अर्थात तमिल का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक होगा और तमिल के पर्याप्त ज्ञान की परिभाषा इस प्रकार है:

1. जिसने हाई स्कूल पाठ्यक्रमों में तमिल में शिक्षा पाई हो; अथवा

2. जो चाहे उनकी मातृभाषा तमिल हो या न हो, पर तमिल पढ़, लिख और बोल सकता हो; अथवा

3. जिसने तमिल में द्वितीय श्रेणी भाषा परीक्षा पास की हो।

मद्रास लिपिक वर्गीय सेवाओं, मद्रास न्यायिक लिपिकीय वर्गीय सेवाओं आदि में भर्ती के लिये मद्रास लोक सेवा आयोग जो चतुर्थ वर्ग परीक्षाएं लेता है, उनमें बैठने वाले उम्मीदवार को क्षेत्रीय भाषा में लिखे जाने वाले पत्रों को तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या उर्दू में भी लिख सकने की जो छूट मद्रास राज्य ने 1958 तक दे रखी थी वह उसने वापिस ले ली है। इस प्रकार से इन परीक्षाओं में बैठने वाले परीक्षार्थियों के लिये इन उत्तर पत्रों को केवल तमिल में लिखना अनिवार्य हो गया। इससे भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये समस्याएं खड़ी हो गई, क्योंकि एकाएक उन्हें इस शर्त का सामना करना पड़ा कि राज्य सेवा में नियुक्ति से पहले तमिल का पर्याप्त ज्ञान अनिवार्य है। उन्हें तमिल भाषी उम्मीदवारों के साथ तमिल माध्यम वाली परीक्षाओं में प्रतियोगिता करना पड़ गया था। जब अन्य राज्य भी कुछ समय बाद अंग्रेजी के स्थान पर बहुसंख्यक वर्ग की भाषा में कामकाज आरम्भ करेंगे, तब वहां के भाषाई अल्पसंख्यक को भी उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिये सब राज्यों ने इस आवश्यक ता का अनुभव किया कि उन लोगों की ठीक–ठीक परिभाषा की जाये जो इस प्रकार के नीति विषयक निर्णय से, जैसे कि मद्रास सरकार ने इस विषय में किये, प्रभावित होंगे और उनके लिये क्षेत्रीय भाषा के पर्याप्त ज्ञान के मामले में तथा राज्य की लोक सेवाओं में भर्ती के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम के मामले में विशेष सुरक्षणों की व्यवस्था की जाये। समिति ने निम्नलिखित प्रश्नों पर विशेष रूप से विचार किया:

1. जिन लोगों के लिये विशेष सुरक्षणों की व्यवस्था की जानी है उनकी परिभाषा कैसी की जाये;
2. उनके लिये किन–किन सुरक्षणों की व्यवस्था की जाये;
3. वे सुरक्षण कितने समय तक दिये जाते रहें;

11. सुरक्षणों के पात्र लोगों की परिभाषा

मद्रास सरकार ने आरम्भ में यह सुझाव दिया था कि लोगों के एक वर्ग विशेष को ही भर्ती के विषय में सुरक्षण दिये जाएं जिसे इस प्रयोजन के लिये भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग का नाम दिया जाये और ''भाषाई अल्पसंख्यक'' वर्ग की परिभाषा में वह हर व्यक्ति शामिल हो

जिसकी मातृभाषा तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ या उर्दू हो बशर्ते कि उस व्यक्ति के माता–पिता में से एक मद्रास राज्य की वर्तमान भौगोलिक सीमाओं के अन्दर पैदा हुआ हो अथवा वहां का स्थायी निवासी हो। मैसूर सरकार का विचार था कि भाषाई अल्पसंख्यकों की परिभाषा की शर्त माता–पिता मे से किसी एक की लगातार पांच वर्ष या अधिक की रिहायश या स्थायी रूप से बस जाने की इच्छा का कोई विशिष्ट प्रमाण होना चाहिये, जबकि भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त का विचार था कि मद्रास सरकार की परिभाषा में रखी गई रिहायश संबंधी शर्त संविधान के उपक्रमों के विरूद्ध होगी। इस पर मद्रास सरकार ने अपनी प्रस्तावित परिभाषा की संवैधानिक मान्यता के विषय में अपने महाधिवक्ता की राय मालूम की। उनकी राय पर, जो समिति की बैठक से पहले प्राप्त हो चुकी थी, समिति ने विचार किया। महाधिवक्ता का विचार था कि यद्यपि भर्ती के नियमों में छूट की भाषाई अल्पसंख्यकों में से किसी एक सीमित समूह तक के लिये सीमित कर देने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती, तथापि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग की ऐसी परिभाषा करना अनुचित होगा जिसमें केवल यह सीमित वर्ग ही सम्मिलित हो। किसी नागरिक अथवा उसके माता पिता के जन्म स्थान को भाषाई अल्पसंख्यकों की किसी सामान्य परिभाषा की कसौटी नहीं बताया जा सकता। वर्तमान परिभाषा के सीमित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा करना आवश्यक नहीं है, अपितु जिन लोगों को भर्ती के नियमों में छूट का लाभ दिया जाता है उन्हें गैर–तमिल भाषी उम्मीदवार अथवा तमिलेतर मातृभाषा वाले उम्मीदवारों की संज्ञा दी जा सकती है; जिनकी परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि जिनमें वह प्रत्येक व्यक्ति शामिल है जिसकी मातृभाषा तमिल से भिन्न है और जिसने संबंधित पद के लिये निर्धारित अर्हता प्रदान करने वाली परीक्षा मद्रास राज्य के किसी स्कूल, कालेज या अन्य संस्था से पास की है। समिति ने मद्रास राज्य महाधिवक्ता के इस सुझाव को मान लेने का निर्णय किया और इस विषय पर सहमति प्रदान की कि सेवाओं में भर्ती के मामले में क्षेत्रीय भाषाओं के पर्याप्त ज्ञान तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम संबंधी नियमों में छूट मद्रास में गैर–तमिल भाषियों को, आन्ध्र प्रदेष में गैर–तेलुगु भाषियों को, मैसूर में गैर कन्नड़ भाषियों को और केरल में गैर–मलयालम भाषियों को दी जानी चाहिये और उनकी परिभाषा में वह सब लोग शामिल होंगे जिनकी मातृभाषा तमिल या, यथास्थिति, तेलुगु या कन्नड़ या मलयालम से भिन्न कोई भाषा हो, और जिन्होंने उस पद के लिये, जिसके लिये भर्ती की जानी है, अर्हता प्रदान करने वाली परीक्षा मद्रास (या आन्ध्र प्रदेश या मैसूर या केरल) राज्य की किसी शिक्षा संस्था के पास की हो। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के जिन व्यक्तियों ने अर्हक परीक्षा राज्य की किसी संस्था से न पास की हो, सेवाओं में भर्ती के अधिकार से वंचित होंगे, परन्तु उन्हें ऊपर बताए गए नियमों से छूट की रियायत का अधिकार न होगा।

12. सुरक्षणों का स्वरूप

छूट के स्वरूप के विषय में मद्रास ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत कियेः

1. भर्ती की पात्रता के लिये तमिल के पर्याप्त ज्ञान की शर्त

राज्य के भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के किसी भी उम्मीदवार को किसी भी पद के लिये आवेदन–पत्र देने का अधिकार होना चाहिये, चाहे आवेदन पत्र देने के समय उसे सामान्य नियमों के अभिप्राय के अनुसार तमिल का पर्याप्त ज्ञान न हो। उसे नीचे खण्ड (3) में बताई गई शर्तों के अधीन रहते हुए चुने जाने का पात्र भी समझा जाना चाहिये।

2. परीक्षा का माध्यम

जहां मद्रास लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाला सार्वजनिक परीक्षा के माध्यम के रूप में तमिल को लेना आवश्यक हो, मद्रास राज्य के भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग का कोई सदस्य, यदि चाहे, तो नीचे खण्ड (3) में बताई गई शर्तों के अधीन रहते हुए, तमिल के स्थान पर अपनी मातृभाषा को परीक्षा का माध्यम रखा जा सकता है।

3. नियमों से छूट के साथ लगी शर्तें

ऊपर खण्ड 1 और 2 में बताये गये सामान्य नियमों में छूट इस शर्त पर दी जायेगी कि उम्मीदवार निर्धारित समय में तमिल में द्वितीय श्रेणी भाषा परीक्षा पास कर ले। इसके साथ शर्त यह है कि उसे यह परीक्षा परिवीक्षा की अवधि के समाप्त होने से पहले और राज्य की स्थायी लोक सेवा में स्थायी होने से पहले पास कर लेनी होगी।

समिति ने उपर्युक्त सुरक्षणों का इस शर्त पर अनुमोदन किया कि उसमें निम्नलिखित परिवर्तन कर दिये जायेंः–

1. वे सुरक्षण मद्रास में उन सब गैर–तमिल भाषियों, आन्ध्र प्रदेश में गैर–तेलुगु भाषियों, मैसूर में गैर–कन्नड़ भाषियों और केरल में गैर–मलयालम भाषियों को प्राप्त होंगे जो पिछले पैरा में बताई गई कसौटी की दृष्टि से नियमों में छूट के अधिकारी होंगे।

2. परीक्षा के माध्यम के विषय में इन छह भाषाओं में से किसी को अर्थात तमिल, कन्नड़, मलयालम, उर्दू और अंग्रेजी को माध्यम के रूप में चुनने की छूट होनी चाहिये। राज्यों को अधिकार होना चाहिये कि वे चाहें तो अन्य भारतीय भाषाओं में भी परीक्षा के उत्तर पत्र लिखने की छूट दे दें।

3. चुने गये उम्मीदवारों को क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा पास करनी होगी जिसका स्तर चारों राज्यों की परस्पर सहमति से निर्धारित किया जाना चाहिये।

13. सुरक्षणों के जारी रहने की अवधि

इन सुरक्षणों की अवधि के विषय में सब एक मत थे कि सुरक्षणों को इस समय उनकी समाप्त की तिथि निष्चित किये बिना आरम्भ कर देना चाहिये और 1.5.1964 के बाद जल्दी से जल्दी जब इस रियायत से लाभ उठाने वालों लोगों की संख्या के विषय में सूचना उपलब्ध हो जाये, इस प्रश्न पर पुनः विचार कर लिया जाये।

14. मद संख्या 7ः राज्य सेवा में भर्ती के वास्त ली जाने वाली परीक्षाओं में अल्पसंख्यक भाषाओं को परीक्षा के माध्यम के रूप में मान्यता प्रदान करना।

समिति ने राज्य पुनर्गठन आयोग के इस सुझाव पर विचार किया ''राज्य सेवा'' कहलाने वाली सेवाओं में, अर्थात् उच्च या राजपत्रित सेवाओं में जिनके लिए प्रतियोगिता की परीक्षायें होतीं हैं, भर्ती के लिये उम्मीदवार को छूट होनी चाहिए कि वह संघ की भाषा अंग्रेजी या हिंदी अथवा किसी ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा को, जिसकी आबादी राज्य की जनसंख्या का 15 से 20 प्रतिशत या अधिक हो, राज्य की मुख्य भाषा के विकल्प के रूप में परीक्षा का माध्यम चुन सके। राज्य की राजभाषा में उसकी दक्षता की परीक्षा सेवा के लिये चुने जाने के बाद परिवीक्षा की

अवधि की समाप्ति से पहले ली जाय। समिति ने महसूस किया कि वह उस बड़ी समस्या का भाग है जिस पर मद 9 के अंतर्गत विचार किया गया है तथा इस समय राज्य सेवाओं में भर्ती के विषय में चारो राज्यों में किसी भी भाषाई अल्संख्यक वर्ग को किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो प्रतियोगिता परीक्षायें हो रही है, उन सब का माध्यम अंग्रेजी है। इस बात पर सब सहमत हुए कि इस मामले में सब राज्यों को भाषाई अल्पसंख्यकों को निम्नलिखित रूप में सुरक्षण देने चाहिये :–

(अ) ऐसे सुरक्षण केवल उन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए होगें, जिनकी मातृभाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या उर्दू और केवल आन्ध्र प्रदेश और मैसूर राज्यों में मराठी होगी।

(ब) यदि किसी राज्य सेवा में भर्ती के वास्ते ली जाने वाली किसी प्रतियोगिता परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर राज्य की क्षेत्रीय भाषा कर दी जाये तो इन अल्पसंख्यक वर्गो की परीक्षा के उत्तर–पत्र अंग्रेजी या हिन्दी में लिखने की छूट दी जानी चाहिए।

(स) यदि कोई राज्य उपर्युक्त खण्ड (1) मे बताई गई भाषाओं के अतिरिक्त कोई और भाषा बोलने वाले भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग को भी रियायतें दे तो उनमें कोई आपत्ति नहीं है

15. मद संख्या 8: जिलों के लिए संवर्ग मानी जाने वाली अधीनस्थ सेवाओं के संवर्गो की भर्ती।

भारत सरकार का यह सिफारिश करने का विचार है कि जहां राज्य की अधीनस्थ सेवाओं में सम्मिलित कोई संवर्ग जिला संवर्ग, के रूप में समझा जाये, वहां जिले की मान्यता प्राप्त सरकारी भाषा को जिले की प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम के रूप में भी स्वीकार किया जाना चाहिए। समिति ने इस बात पर ध्यान दिया कि दक्षिणी प्रदेश की किसी भी राज्य का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ के 70 प्रतिशत लोग राज्य की भाषा से भिन्न कोई भाषा बोलते हों। राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार किसी अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा को जिले की सरकारी भाषा घोषित करने के लिये यह आवश्यक शर्त है। इस प्रकार की यह सिफारिश दक्षिणी प्रदेश के किसी भी राज्य पर लागू नहीं होती।

16. मद संख्या 10: निवास संबंधी नियमों और अपेक्षाओं का पुनरीक्षण।

समिति ने इस बात पर ध्यान दिया कि भारत सरकार द्वारा सरकारी रोजगार (निवास संबंधी शर्ते), अधिनियम 1957 पास किये जाने पर राज्य की सेवाओं में प्रवेश के लिये अधिवास विषयक योग्यताओं के संबंध में सारी पाबंदियां हटा दी गई है, इसलिये इस विषय में अब कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

17. मद संख्या 11: ठेकों, मछली पालन आदि के संबंध में निजी अधिकारों पर प्रतिबंध।

समिति ने नोट किया कि चारों राज्यों से किसी एक में भी वाणिज्य, व्यापार और उद्योग धंधो के मामले में अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता है।

18. **मद संख्या 12: अखिल भारतीय सेवाओं में नए प्रवेश पान वाले के न्यूनतम प्रतिशत की भर्ती राज्य के बाहर से की जाए।**

मद संख्या 13: किसी राज्य के उच्च न्यायालय के जजों की एक निश्चित संख्या की भर्ती राज्य के बाहर से की जाए।

मद संख्या 14: दो या दो से अधिक राज्यों के लिये लोक सेवा आयोगों का गठन, इस प्रश्नों पर किसी भी राज्य सरकार ने कोई टिप्पणियां नहीं भेजी हैं।

19. **मद संख्या 15: सुरक्षणों को लागू करने के लिए अभिकरण।**

समिति इस बात से अवगत हुई कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के निदेशानुसार समय–समय पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गो को दिये सुरक्षणों के अनुसार हो रहे काम पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक भाषाई अल्पसंख्यकों का आयुक्त नियुक्त किया जा चुका है। समिति का विचार था कि दक्षिणी क्षेत्र के सब राज्यों द्वारा स्वीकार किये गये भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण और समन्वय करने के अभिकरण के रूप में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की एक स्थायी समिति नियुक्त की जानी चाहिये। प्रत्येक राज्य में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए मंत्रियों में से एक मंत्री इस स्थायी समिति में अपने–अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। यह समिति भाषाई अल्पसंख्यक वर्गो को दिये गये सुरक्षणों के अनुपालन के संबंध में उठाने वाली सारी समस्याओं पर विचार–विमर्श करेगी। सर्वसम्मति से तय किया गया कि ऐसी एक समिति बना दी जानी चाहिये।

20. भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त ने समिति को एक नोट भेजा था जिसमें उन्होने कई राज्यों में प्रचलित इस प्रथा की ओर संकेत किया था कि वहाँ आर्ट्स और साइन्स कोलेजों के विज्ञान पाठ्यक्रमों और व्यावसायिक कालेजों और पालिटेक्निकों में सभी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिये प्रादेशिक भाषा के पूर्व ज्ञान पर एक अनिवार्य शर्त के रूप में बल दिया जाता है। उन्होने यह भी कहाँ कि उन्हे शिकायतें भी मिली हैं कि इस शर्त पर केवल इसलिये जोर दिया जाता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवार को प्रवेश न मिल सके। समिति ने पाया कि दक्षिण क्षेत्र के चारों राज्यों में से किसी में भी ऐसा कट्टरपन नहीं पाया जाता है।

1. ऊपर दी गई रिपोर्ट में दक्षिण क्षेत्रीय परिशद 16 अप्रैल, 1960 को नई दिल्ली में हुई बैठक में निम्नलिखित निर्णय किये गये:–

(क) दक्षिण क्षेत्र के राज्यों में स्कूलों को बाहर की संस्थाओं के साथ संबंद्ध करने की अनुमति देने के प्रश्न पर विचार किया गया। मद्रास के शिक्षा मंत्री श्री सुब्रहमण्यम ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि जहाँ तक कालेजो का प्रश्न है इस बात का फैसला करना अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड का काम है, सरकारों का नहीं। चर्चा के समय यह भी स्पष्ट किया गया कि राज्यों के स्कूलों में परीक्षा केवल क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं, वरन् विभिन्न अल्पसंख्यक भाषाओं में भी ली जाती है, और यदि कोई समस्या उठे तो उस पर स्थायी समिति द्वारा विचार कर लिया जायेगा जिसके निर्माण मंत्रियों की समिति ने की है।

(ख) चर्चा के समय श्री सुब्रहमण्यम ने कहा कि यद्यपि भारत के किसी भी नागरिक को, जिसके पास अपेक्षित अहर्ता हो, राज्य सेवाओं में प्रवेश के लिये समान शर्त पर प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने का अधिकार है, तथापि मंत्रियों की समिति ने प्रत्येक राज्य के अन्तर्गत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गो को कुछ छूट स्वीकृत करने की अनुशंसा की है। इसके लिए किसी अभ्यर्थी को राज्य के भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य तभी समझा जायेगा जब उसने आवश्यक अर्हता परीक्षा उसी राज्य से पास की हो और उसकी मातृभाषा राज्य की क्षेत्रीय भाषा से भिन्न कोई भाषा हों। लोक सेवा में भर्ती को अधिवास संबंधी प्रतिबंधों से समिति नहीं किया गया क्योंकि ऐसा करना सरकारी रोजगार (निवास संबंधी शर्त) अधिनियम, 1957 के विरूद्ध होगा, दक्षिण क्षेत्र के चारों में से किसी में भी इस प्रकार की पाबंदियां नहीं है। यह तय हुआ कि हिन्दी को भी उन भाषाओं की सूची में जोड़ दिया जाय जिनमें भाषाई अल्पसंख्यक वर्गो के सदस्य लोक सेवा में भर्ती की परीक्षाओं क उत्तर लिख सकते है।

(ग) कुछ विचार–विमर्श के बाद परिषद् ने रिपोर्ट का अनुमोदन किया और इस बात पर सहमति प्रकट की कि यदि समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करने में किसी प्रकार की कठिनाई उपस्थित हो तो मामला स्थायी समिति के सामने रखा जाय। प्रस्तावित स्थायी समिति के गठन के संबंध में यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व एक–एक मंत्री करेगा और उस वर्ष के लिये परिषद का उपाध्यक्ष समिति का संयोजक होगा। उस वर्ष के लिये क्षेत्रीय परिषद का सचिव समिति का सचिव होगा। यह भी तय किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त को भी समिति में ले लिया जाए।

परिशिष्ट–VII

अगस्त, 1961 में हुई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों की बैठक द्वारा जारी किया गया वक्तव्य

राष्ट्रीय एकता के प्रश्न पर विचार करने के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक 10 अगस्त, 1961 को बुलाई गई। प्रधान मंत्री ने इसकी अध्यक्षता की और मंत्रिमंडल के मंत्रियों तथा राज्यों और केन्द्रीय सरकार के कुछ अन्य मंत्रियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री डा. बी. सी. राय को छोड़कर अन्य मुख्य मंत्री बैठक में 10 अगस्त से लेकर आगे तक उपस्थित थे। पष्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने विदेष से वापस आने पर 11 और 12 अगस्त को हुई बैठक में भाग लिया, राजस्थान के मुख्य मंत्री भी उपस्थित नहीं हो सके क्योंकि जब वे 10 अगस्त की बैठक में भाग लेने के लिए जयपुर से दिल्ली कार द्वारा आ रहे थे, रास्ते में दुर्भाग्यवश दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे।

10 अगस्त

(1) अपने उद्घाटन भाषण में प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय एकता के सांस्कृतिक, शैक्षिक, भाषाई और शासन सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं का जिक्र किया। उन्होंने जातिवाद और भाषाई समस्याओं का हवाला दिया और इन प्रश्नों का अखिल भारतीय स्तर पर हल निकालने के लिए कहा।

(2) केन्द्रीय गृह मंत्री ने 31 मई और 1 जून, 1961 को हुए मुख्य मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में हुई चर्चा और जातिवाद से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए उपायों का हवाला दिया। उन्होंने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153क में संशोधन के लिए दो विधेयक के बारे में विस्तार से बताया। यह विधेयक संसद में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के संशोधन के प्रस्ताव के बारे में भी बताया।

(3) बैठक इस बारे में सहमत थी कि यदि कोई व्यक्ति या ग्रुप देश के किसी हिस्से को भारत संघ से अलग करने की बात करता है, तो इसे दण्डनीय अपराध माना जाना चाहिए। इस मामले पर आगे विचार बाद में किया जाएगाा।

(4) प्रधान मंत्री ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश का हवाला दिया कि अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाए। इंजीनियरी, चिकित्सा और वन विभागों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं के सिद्धान्त को इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया गया कि इस विषय पर तैयार किये जाने वाले प्रारूप को विचार के लिए राज्य सरकारों में परिचालित किया जाएगा।

(5) बैठक का मत था कि वर्तमान अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की केन्द्र और राज्यों के बीच अदला–बदली करने के नियम का और अधिक कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए।

(6) बैठक ने राज्य के बाहर से प्रत्येक उच्च न्यायालय में कुछ न्यायाधीशों को लेने की वांछनीयता को भी स्वीकार किया गया है।

11 और 12 अगस्त

1. प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों की बैठक की कार्यवाही 11 और 12 अगस्त को जारी रही। यह कार्यवाही 11 अगस्त को सुबह और दोपहर दोनों समय चलती रही, और 12 अगस्त को सुबह भी।

2. बातचीत का मुख्य विषय भाषा और उसके विभिन्न पहलुओं का सवाल था। प्रधान मंत्री ने इस विषय पर संविधान के उपबंधों की ओर ध्यान दिलाते हुए विचार विमर्ष आरम्भ किया। उन्होंने विशेष रूप से अनुच्छेद 29, 30, 350(क) और 350(ख) की ओर ध्यान दिलाया। प्रधान मंत्री ने भारत सरकार के 4 सितम्बर, 1956 के ज्ञापन की चर्चा की, जो भाषाई अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले सुरक्षणों के बारे में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिषों पर विचार करने के बाद तैयार किया गया था। यह ज्ञापन राज्यों के मुख्य मंत्रियों से परामर्ष करने के पश्चात् जारी किया गया था। एक प्रकार से यह ज्ञापन अखिल भारतीय संहिता (कोड) के रूप में था जिसमें सभी राज्यों के भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए स्वीकृत न्यूनतम सुरक्षणों का उल्लेख था।

3. यद्यपि ज्ञापन के सामान्य सिद्धान्तों को फिर से पुष्टि कर दी गई, तथापि उनमें कुछ संशोधन स्वीकार किए गए जो निम्नलिखित हैं :–

(क) **प्राथमिक शिक्षाः** भाषाई अल्पसंख्यकों की प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाई के अधिकार की बात पुनः स्वीकार की गई। इसे वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 350क से संवैधानिक मान्यता मिल चुकी है और राष्ट्रपति को, जहां भी आवश्यक हो, निदेश देने का अधिकार प्राप्त है।

प्राथमिक शिक्षा के संबंध में दक्षिणी क्षेत्रों के राज्यों के निर्णय सिद्धान्तरूप में स्वीकार कर लिए गए। चूँकि ये निर्णय राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखकर वहां की तत्कालीन विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए दिए गए थे, अतः वे अन्य राज्यों पर पूर्णतया लागू नहीं हो सके। परन्तु सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया और उसे यथोचित रूप देने का निश्चय किया गया। मुख्य उद्देश्य यह है कि जो सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हें कम नहीं किया जाए और जहां सम्भव हो सुविधाएं बढ़ाई जाएं।

(ख) **माध्यमिक शिक्षाः** इस संबंध में भी 1956 के ज्ञापन की सामान्य व्यवस्थाओं की पुनः पुष्टि की गई और इस बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों के निर्णय सिद्धान्तरूप से स्वीकार कर लिए गए। इन सिद्धान्तों पर राज्यों के शिक्षा विभागों को इस दृष्टि से विचार करना चाहिए कि वे अपने राज्यों में वर्तमान परिस्थतियों को ध्यान में रखते हुए इसे अपना सकें।

मातृभाषा फार्मूला माध्यमिक स्तर की शिक्षा के माध्यम के बारे में पूर्णतया लागू नहीं हो सकता। इस स्तर पर छात्रों को ऐसी उच्च शिक्षा दी जाती है जिसमें पढ़ाई पूरी करने के बाद वे कोई व्यवसाय अपना सकें। यह शिक्षा छात्रों को विश्वविद्यालयों की उच्चतर शिक्षा के लिए भी तैयार करती है। इस में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषायें संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लेखित आधुनिक भारतीय भाषायें तथा अंग्रेजी ही होना चाहिये।

4. प्राथमिक और माध्यमिक दोनों ही प्रकार के स्कूलों के लिए उपर्युक्त पाठ्य–पुस्तकों की महत्ता पर भी जोर दिया गया। सामान्यतः ये पाठ्य–पुस्तकें राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित की जानी चाहिए और निजी प्रकाशनों के हाथ में नहीं छोड़नी चाहिए। पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की बननी चाहिए जिसमें छात्रों के दिमाग में समन्वित दृष्टिकोण और भारतीय एकता की भावना पैदा हो, तथा उससे उन्हें भारत की मूलभूत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की भी जानकारी मिल सके। साथ ही उन्हें भारत व अन्य देशों की आधुनिक परिस्थितियों की जानकारी भी दी जानी चाहिए। इस प्रकार की पाठ्य–पुस्तकें तैयार करने का काम अधिक योग्यता वाले व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को प्राथमिक व माध्यमिक दोनों स्तरों के लिए समर्थन पाठ्य–पुस्तकें तैयार करनी चाहिए।

5. भारत की प्रादेशिक भाषाओं के विकास और शिक्षा में धीरे–धीरे उनका प्रयोग बढ़ाने से अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क के लिए एक अखिल भारतीय भाषा का शीघ्र विकास आवश्यक हो जाता है। अब तक यह काम अंग्रेजी करती रही है। यद्यपि आने वाले कुछ समय तक के लिए अंग्रेज़ी माध्यम बनी रहेगी पर यह स्पष्ट है कि हिन्दी को माध्यम बनाने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए ताकि वह उद्देश्य यथासंभव जल्दी से जल्दी पूरा हो सके अन्यथा ऐसा खतरा है कि विभिन्न राज्यों के बीच भाषा संबंधी सम्पर्क का कोई साधन नहीं रहेगा।

6. अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क और आधुनिक विज्ञान खास तौर से विज्ञान, उद्योग और प्राद्यौगिकी के भारत में विकास के कारण यह महत्वपूर्ण है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा की व्यापक रूप से जानकारी होनी चाहिए। यद्यपि यह कोई भी महत्वपूर्ण यूरोपीय भाषा हो सकती है परन्तु अंग्रेजी यह काम अधिक आसानी से पूरा कर सकेगी क्योंकि भारत में इसकी अच्छी जानकारी है। अतः अंग्रेजी इस लिये महत्वपूर्ण है।

7. यह अवष्य याद रखने की बात है कि यदि भाषाओं को अच्छी तरह पढ़ना है तो उन्हें पढ़ाई के आरम्भिक काल में शुरू कर देना चाहिए क्योंकि उस समय बच्चे के लिए सीखना आसान होता है। इसलिए आरम्भिक अवस्था से ही अंग्रेजी और हिन्दी दोनों पढ़ाई जानी चाहिए।

8. बैठक की यह राय थी कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक समान लिपि केवल वांछनीय ही नहीं है, बल्कि वह विभिन्न भारतीय भाषाओं में सम्पर्क की एक शक्तिशाली कड़ी भी सिद्ध होगी। इसलिए वह राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में बहुत सहायक होगी। भारत में ऐसी एक समान लिपि वर्तमान परिस्थितियों में देवनागरी ही हो सकती है। यद्यपि निकट भविष्य में एक समान लिपि को अपनाना कठिन हो सकता है पर यह उद्देश्य सामने रखकर उसके लिए काम करना चाहिए।

9. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर भाषा विषय पढ़ाने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके एक त्रिभाषा फार्मूला तैयार किया था। इस विषय में सहमति रही कि इस फार्मूले को सरल बनाया जाए और अंग्रेजी का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है।

शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर भाषा विशयों की पढ़ाई निम्न प्रकार से होनी चाहिएः

(क) क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा जबकि मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा से भिन्न हो;
(ख) हिन्दी या हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अन्य भारतीय भाषा; और
(ग) अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषा।

10. अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग करने वाले स्कूलों और कालेजों को राज्य से बाहर के विश्वविद्यालयों या अन्य प्राधिकरणों से सम्बद्ध कराने के विषय पर विचार किया गया। यह स्वीकार किया गया कि अधिकांश मामलों में इस प्रकार की संस्थाओं को राज्य के अन्दर के विश्वविद्यालयों

या मण्डलों से सम्बद्ध कराने की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। परन्तु जहां राज्य के अन्दर के विश्वविद्यालयों अथवा मण्डलों से सम्बद्ध कराने में कोई अनिवारणीय कठिनाई हो तो ऐसी संस्थाएं राज्य से बाहर के विश्वविद्यालयों या मण्डलों से सम्बद्ध कराई जा सकती हैं।

11. यद्यपि प्रत्येक राज्य में सरकारी कार्य के लिए एक या अधिक भाषाएं हो सकती हैं पर यह माना जाना चाहिए कि कोई भी राज्य पूर्णतया एकलभाषी राज्य नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखकर शिक्षा आदि के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं के प्रबन्ध का सुझाव दिया गया है। सरकारी भाषा सामान्यतः सरकारी कार्य के लिए है। कोई बात जनता को बताते समय उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो बात बताई जाए उसे अधिक से अधिक लोग समझ सकें। इसलिए जहां प्रचार की आवश्यकता हो वहां सरकारी भाषा के अलावा उस क्षेत्र में प्रचलित भाषाओं का भी प्रयोग होना चाहिए।

12. यदि किसी जिले की आबादी के कम से कम 60 प्रतिशत लोग राज्य की सरकारी भाषा के अलावा कोई अन्य भाषा बोलते हों या उसका प्रयोग करते हों तो वह अल्पसंख्यक भाषा उस जिले में राज्य की सरकारी भाषा के अलावा सरकारी भाषा समझी जानी चाहिए। इस कार्य के लिए साधारणतया केवल उन प्रमुख भाषाओं को मान्यता दी जा सकती है जो संविधान की आठवीं अनुसूची में दी हुई हैं। असम के पहाड़ी जिलों और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के संबंध में अपवाद हो सकता है, जहां आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं के अलावा अन्य भाषाएं प्रचलित हैं।

13. जहां जिले या नगरपालिका या तहसील जैसे छोटे क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की संख्या कुल जनसंख्या का 15 से 20 प्रतिशत हो, वहां यह वांछनीय होगा कि महत्वपूर्ण सरकारी सूचनाएं और नियम आदि उस अन्य भाषा या भाषाओं के अलावा, जिनमें सामान्यतः ऐसे दस्तावेज प्रकाशित होते हैं, अल्पसंख्यक भाषा में भी प्रकाशित किए जाएं।

14. प्रशासन का आन्तरिक कार्य, जैसे फाइलों पर टिप्पणी लिखना, विभिन्न सरकारी कार्यालयों के पत्र व्यवहार आदि सामान्यतः और सुविधाजनक रूप में उस राज्य की सरकारी भाषा या केन्द्र की सरकारी भाषा में होना चाहिए। लेकिन जहां प्रशासन का जनता के साथ सम्पर्क हो, वहां प्रार्थना पत्र, आवेदन आदि अन्य भाषाओं में भी स्वीकार किए जाने चाहिए और जहां भी सम्भव हो इस तरह का इंतजाम किया जाना चाहिए कि जिस भाषा में जनता से आवेदन प्राप्त हों, उसी भाषा में उनके उत्तर दे दिए जाएं। राज्यों या जिलों में जहां कहीं भी भाषाई अल्पसंख्यक 15 से 20 प्रतिशत हों, वहां महत्वपूर्ण कानूनों, नियमों, विनियमों आदि के सारांश का अनुवाद अल्पसंख्यक भाषा में प्रकाशित करने का प्रबन्ध होना चाहिए। यह तथ्य भी स्वीकार किया गया कि इस काम के लिए राज्य के मुख्यालय में अनुवाद कार्यालय की स्थापना वांछनीय होगी। जहां राज्य सरकार का कोई परिपत्र या अन्य आदेश या विज्ञप्ति स्थानीय जनता के सूचनार्थ जारी होना हो वहां जिला अधिकारियों को अधिकृत किया जाए कि वे उनका उस जिले या नगरपालिका क्षेत्र (जैसे भी स्थिति हो) की स्थानीय भाषा में अनुवाद करा सकें।

15. राज्य के मुख्यालय और जिले के बीच पत्र–व्यवहार आन्तरिक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में आता है, अतः साधारणतया यही उपयुक्त होगा कि राज्य और जिला मुख्यालय के बीच पत्र–व्यवहार राज्य की सरकारी भाषा में हो। राज्य की सरकारी भाषा के स्थान पर इस कार्य के लिए केन्द्र की सरकारी भाषा के प्रयोग की भी राज्य राजभाषा के स्थान पर उपयोग करने की अनुमति होनी चाहिए। इस तरह की यह केन्द्रीय सरकारी भाषा, हिन्दी या अंग्रेजी होगी।

16. राज्य सरकार के अधीन राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए भाषा बाधक नहीं होनी चाहिए। इसलिए राज्य की सरकारी भाषा के अलावा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिन्दी का प्रयोग करने की छूट भी दी जानी चाहिए। राज्य की सरकारी भाषा में प्रवीणता की परीक्षा चयनोपरान्त परन्तु परिवीक्षा की समाप्ति के पहले होनी चाहिए।

17. राज्य में सेवकों की नियुक्ति के लिए जहां विश्वविद्यालय की डिग्री या डिप्लोमा होना अर्हता के अन्तर्गत अनिवार्य है, उस स्थिति में केन्द्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य सभी विश्वविद्यालय या संस्थाओं द्वारा प्रदत्त डिग्रियॉ या डिप्लोमा मान्य होने चाहिए।

18. विश्वविद्यालयों में षैक्षिक माध्यम के प्रश्न पर विस्तार से चर्चा हुई। विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाने की जो प्रवषत्ति है वह कई प्रकार से वांछनीय तो है पर जब तक कि एक अखिल भारतीय भाषा के रूप में कोई कड़ी न हो इस प्रवृत्ति में इस प्रकार के विश्वविद्यालयों का शेष भारत से अलगाव हो सकता है। एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालयों को छात्र और अध्यापक आसानी से नहीं आ–जा सकेंगे और विभिन्न भाषा–भाषी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों में परस्पर सामान्य सम्पर्क के अभाव में शिक्षा का अहित हो सकता है। विश्वविद्यालयों के बीच इस परस्पर समन्वय सम्पर्क के महत्व पर जोर दिया गया। ऐसी सम्पर्क भाषा अन्ततः अंग्रेजी या हिन्दी ही हो सकती है। आखिरकार इस भाषा को हिन्दी ही होना है। अतः यह आवश्यक है कि इस काम के लिए हिन्दी को उपयुक्त बनाने की हर सम्भव कोशिश की जाए। हिन्दी या सामान्यतः अन्य क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना तभी प्रभावकारी हो सकता है जबकि इस प्रकार की भाषा आधुनिक शिक्षा के लिए और विषेशतः वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों के लिए पर्याप्त रूप से विकसित हो जाए। इस कार्य के लिए हिन्दी और अन्य भाषाओं का विकास करने का हर संभव प्रयत्न किया जाना चाहिए। जब तक ऐसा हो सके तब तक के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए और हिन्दी या प्रादेशिक भाषा शुरू करने का काम कई चरणों में या विषयों में विभाजित कर लिया जाए। इस प्रकार वैज्ञानिक और तकनीकी विषय तब तक अवश्य ही अंग्रेजी में पढ़ाए जा सकते है और अन्य विषय हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ाए जा सकते हैं। इन दोनों स्थितियों में स्कूलों व कालेजों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में अध्यापन का स्तर उँचा उठाया जाना चाहिए और विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में उच्च स्तर बनाए रखा जाना चाहिए।

19. जैसा कि केन्द्रीय सरकार निर्णय ले चुकी है, सभी तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार पर आधारित होनी चाहिए और सभी भारतीय भाषाओं में एक समान होनी चाहिए।

20. बैठक में इस बारे में केन्द्रीय सरकार की ओर से की गई इस घोषणा का स्वागत किया गया कि हिन्दी के अखिल भारतीय सरकारी भाषा बन जाने पर भी अखिल भारतीय सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग शासकीय सह भाषा के रूप में चलता रहेगा। यह तथ्य संघ की राजभाषा के सम्बन्ध में जारी किये गये राष्ट्रपति के आदेश से पुनः पुष्ट हो जाता है।

21. यह स्वीकार किया गया कि भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए निर्धारित नीति पर अमल करने और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के कार्य का ब्यौरा अनुच्छेद 350ख में दिए गए हैं। यद्यपि स्पष्टतः ही आयुक्त को सुरक्षणों के कार्यान्वयन हेतु कोई कार्यकारी अधिकार नहीं सौंपे जा सकते हैं, पर इस बात पर पुनः बल दिया गया कि सभी राज्यों को उन्हें पूरा सहयोग देना चाहिए। भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त को न केवल वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए बल्कि समय–समय पर अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी अधिक रिपोर्ट बनानी चाहिए जो सम्बन्धित मुख्य मंत्रियों को भेजी जाए और गृह मंत्रालय को भी भेजी जाए जो इसे सभी मुख्य मंत्रियों में परिचालित करें।

22. क्षेत्रीय परिषदों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनके कार्यक्षेत्र में इस नीति को पूर्णरूपेण कार्यान्वित किया जाए। केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जानी चाहिए जिसमें क्षेत्रीय परिषदों के उप–प्रधान सम्मिलित हों। यदि आवश्यक समझा जाए तो केन्द्रीय गृह मंत्री अन्य मुख्य मंत्रियों को उस समिति की बैठक में भाग लेने लिए आमंत्रित कर लें। यह समिति भाषाई अल्पसंख्यकों को दिये गए सुरक्षणों के कार्यान्वयन और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के अन्य कार्यों में निकट सम्पर्क बनाए रखेगी।

23. राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन के विशेष महत्व को दृष्टि में रखते हुए मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों की बैठकें और कम समय के अन्तर में होनी चाहिए ताकि वे हो रही कार्यवाही पर नजर डाल सकें और जब भी आवश्यक हो आगे के कदम सुझा सकें। इस उद्देश्य की सफलता सभी राज्यों की सरकारों और केन्द्र सरकार की निरन्तर निगरानी और सहयोग पर निर्भर है।

24. बैठक में यह भी स्वीकार किया गया कि राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता को बढ़ावा देने के लिए बेहतर और अधिक व्यापक प्रचार वांछनीय है। केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस विषय पर एक लेख तैयार करेगा और उसे आगे की बैठक में विचारार्थ मुख्य मंत्रियों को भेजेगा।

25. राष्ट्रीय एकता के अत्यधिक महत्व को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया कि उसका कार्यान्वयन राष्ट्रव्यापी आधार पर होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए बड़ा सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए जिसमें मुख्य मंत्री और केन्द्रीय मंत्रियों के अलावा संसद की विभिन्न पार्टियों के प्रमुख सदस्य और शिक्षा शास्त्रियों, वैज्ञानिकों तथा विभिन्न व्यवसायों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाये।

परिशिष्ट–VIII

क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्षों की नवम्बर 1961 में हुई समिति की पहली बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थित

1. श्री लाल बहादुर शास्त्री, गृह मंत्री — **अध्यक्ष**
2. श्री प्रताप सिंह कैरो, मुख्य मंत्री, पंजाब (उपाध्यक्ष, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद)
3. श्री वाई॰ बी॰ चव्हाण, मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र (उपाध्यक्ष, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद)
4. श्री वी॰ पी॰ चलिहा, मुख्य मंत्री, असम (उपाध्यक्ष, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद)
5. श्री सी॰बी॰ गुप्त, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश (केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद)
6. श्री सी॰ सुब्रहमण्यम, वित्त मंत्री, मद्रास (दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि)

भारत सरकार के अधिकारी

1. श्री बी॰एन॰ झा, सचिव, गृह मंत्रालय
2. श्री विष्वनाथन, विशेष सचिव, गृह मंत्रालय
3. श्री पी॰एन॰ कृपाल, सचिव, शिक्षा मंत्रालय
4. श्री हरि शर्मा, अपर सचिव, गृह मंत्रालय
5. श्री एल॰ पी॰ सिंह, अपर सचिव, गृह मंत्रालय
6. श्री आर॰ प्रसाद, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय
7. श्री आर॰पी॰ नायक, सयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय
8. श्री पी॰एन॰ कौल, उप सचिव, गृह मंत्रालय

2. **कार्य सूची की मद संख्या 1**: नम जिससे समिति को संबोधित किया जाए।

यह स्वीकार किया गया कि इस समिति को 'राष्ट्रीय एकता के लिए क्षेत्रीय परिशदों की समिति' कहा जाए।

3. **कार्य सूची की मद संख्या** 2: (क) क्षेत्रीय स्तर और (ख) राज्य स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों को दिए गए संरक्षण को लागू करने वाली एजेंसी की संरचना।

(क) **क्षेत्रीय स्तर**: यह स्वीकार किया गया कि प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद एक स्थायी समिति को नियुक्त करें जिसमें क्षेत्र के मुख्यमंत्री हों और वह समिति राष्ट्रीय एकता और भाषाई अल्पसंख्यकों को दिए गए सुरक्षणों के संबंध में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए नीति निर्णयों को लागू करने में हुई प्रगति का समय–समय पर परीक्षण करे।

(ख) (I) **राज्य स्तर**: समिति का विचार था कि राष्ट्रीय एकता (भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षणों सहित) से संबंधित कार्यो के समन्वय का उत्तरदायित्व मुख्य मंत्री का होना चाहिए और इस कार्य में उनकी मुख्य सचिव द्वारा सहायता की जानी चाहिए। यह भी स्वीकार किया गया कि प्रत्येक राज्य में एक अधिकारी होना चाहिए जो मुख्य सचिव के निदेशाधीन काम करे।

यह भी स्वीकार किया गया कि यह अधिकारी (I) भाषाई अल्पसंख्यकों को दिए संरक्षण को लागू करने में हुई प्रगति, (II) भारत सरकार के भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त और अन्य राज्य सरकारों के साथ भाषाई अल्पसंख्यकों के संबंध में यदि कोई पत्र–व्यवहार हुआ हो और यह लम्बित पड़ा हो, (III) भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त ने यदि कोई दौरा किया हो, और (IV) राश्ट्रीय एकता से संबंधित अन्य प्रकरण, इन सबका समय–समय पर पुनरीक्षण करते हुए टिप्पणी तैयार करे।

(ग) (II)**जिला स्तर**: समिति ने स्वीकार किया कि जिला स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों को दिए संरक्षणों और राष्ट्रीय एकता से संबंधित काम के समन्वय का दायित्व जिला अधिकारी का होना चाहिए। यह भी स्वीकार किया गया कि राज्य सरकारें स्थानीय निकायों का संचालन करने वाले नियमों में यदि आवश्यक समझें तो कोई संशोधन कर सकती हैं ताकि इन निकायों द्वारा राष्ट्रीय एकता से संबंधित नीति निर्णयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

4. **कार्य सूची की मद संख्या 3**: 10 से 12 अगस्त, 1961 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गए निर्णयों परराज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही का पुनरीक्षण।

यह पता चला कि अभी तक केवल सात राज्य सरकारों और चार संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर प्राप्त हुए हैं और कुछ मामलों में दी गई सूचना अधूरी है। तत्काल उपलब्ध सूचना के आधार पर 10 से 12 अगस्त, 1961 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा जारी किए गए विवरण में निहित विभिन्न नीति निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में समिति ने पुनरीक्षण किया और निम्नलिखित निर्णय लिए:

(I) **प्राइमरी और माध्यमिक स्तर की शिक्षा अपनी मातृभाषा में लेने का भाषाई अल्पसंख्यक का अधिकार (विवरण का पैरा 3)**

यह स्वीकार किया गया कि सभी राज्य सरकारों (दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों को छोड़कर) का ध्यान दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों द्वारा लिए गए निर्णय की शीघ्र कार्यान्वयन की आवश्यकता की ओर दिलाया जाना चाहिए क्योंकि इन्हें मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया था।

समिति का यह भी विचार था कि प्रत्येक राज्य में पिछले 4–5 वर्षो के दौरान प्राइमरी और माध्यमिक स्तरों के अल्पसंख्यक भाषा समूहों के लिए स्कूल की संख्या, प्रत्येक ऐसे समूह मे आने वाले विद्यार्थियों की संख्या और प्रत्येक समूह के लिए उपलब्ध अध्यापकों की संख्या के बारे में सूचना एकत्रित की जाए ताकि समिति स्थिति का ठीक–ठीक मूल्यांकन कर सके।

(II) **समुचित पाठ्य–पुस्तकों का प्रबन्ध (विवरण का पैरा 4)**

यह बात ध्यान में लाई गई कि विभिन्न राज्यों में प्राइमरी और माध्यमिक स्तरों पर प्रयोग में लाई जा रही वर्तमान पाठ्य–पुस्तकों की जांच के बाद माडल पाठ्य–पुस्तकें तैयार करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने यह कार्यक्रम तैयार किया था और उन्होंने राष्ट्रीय एकता सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार एक उच्च शक्ति प्राप्त सलाहकार समिति के गठन का भी प्रस्ताव दिया था। यह स्वीकार किया था कि पाठ्य–पुस्तकों को तैयार करने का प्रश्न शिक्षा मंत्रालय पर छोड़ दिया जाए जो राज्य सरकारों के परामर्श से उस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन किसी बाद की बैठक में समिति द्वारा सामान्य पुनरीक्षण के लिए विभिन्न राज्यों से विस्तृत रिपोर्ट मंगाई जाए।

(III) **शुरू के स्तरों पर अंग्रेजी और हिंदी को पढ़ाना (विवरण का पैरा 7)**

यह स्वीकार किया गया कि इस बारे में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा लिए गए निर्णयों पर विचार करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए।

(IV) **त्रिभाषा–सूत्र (विवरण का पैरा 9)**

समिति का विचार था कि राज्य सरकारों द्वारा की गई और की जाने वाली 22 कार्यवाही के बारे में सभी राज्यों से सूचना एकत्रित की जाए, ताकि बाद की बैठक में मामले पर पूरी तरह से विचार किया जा सके।

(V) **बाहरी संस्थानों से स्कूलों और कालेजों को सम्बद्ध करना (विवरण का पैरा 10)**

यह स्वीकार किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ाने वाले स्कूलों और कालेजों को विभिन्न राज्य के बोर्डो और विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध करने के बारे में स्थिति की जांच राज्य प्राधिकारियों द्वारा यह बात ध्यान में रख कर की जाय कि सम्बद्ध करने के मामले में इन संस्थानों को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना तो नही करना पड़ेगा।

(VI) जनता के साथ पत्र–व्यवहार और प्रसार के उद्दश्यों के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग (विवरण का पैरा 11 और 13)

यह स्वीकार किया गया है कि जिन राज्यों में जिलों या नगर पालिकाओं, तहसीलों जैसे छोटे क्षेत्रों की सूची तैयार नहीं है, जहां कि 15 प्रतिशत या उससे अधिक जनसंख्या भाषाई अल्पसंख्यकों की है जो उन्हें ये सूचियां तैयार करने के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए।

(VII) **जिला स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देना (विवरण का पैरा 12)**

यह ध्यान में लाया गया कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गए निर्णय के अनुसरण में असम के कछार जिले में बंगला भाषा को और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में नेपाली भाषा को सरकारी तौर पर मान्यता दी गई थी।

(VIII) **प्रशासन द्वारा जनता के साथ पत्र–व्यवहार में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग (विवरण का पैरा 14)**

यह ध्यान में लाया गया कि कुछ राज्यों के राज्य–मुख्यालयों में पहले से ही अनुवाद ब्यूरो काम कर रहे हैं, हालांकि उन्हें और सुदृढ़ करने की आवश्यकता हो सकती है। यह विचार किया गया कि इस विषय पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गए निर्णय की ओर सभी राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया जाय और समिति की अगली बैठक में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

(IX) **राज्य मुख्यालयों और जिलों के बीच पत्र–व्यवहार (विवरण का पैरा 15)**
यह ध्यान में लाया गया कि अभी तो सभी राज्यों में जिला मुख्यालयों के साथ पत्र–व्यवहार में केवल संघ की सरकारी भाषा (हिन्दी या अंग्रेजी) का या फिर राज्य की सरकारी भाषा के साथ–साथ उसका उपयोग किया जाता है।

(X) **राज्य सेवाओं में भर्ती (विवरण का पैरा 16)**

यह ध्यान में लाया गया कि भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त ने इस विषय को कई राज्यों के साथ उठाया है जिनमें भर्ती के वास्ते अनिवार्य परीक्षा क्षेत्रीय भाषा में ली गई थी। समिति ने निर्णय किया कि आयुक्त और केन्द्रीय गृह मंत्रालय को सम्बद्ध राज्यों से अन्तिम उत्तर प्राप्त हो जाने के बाद किसी बाद की बैठक में स्थिति का पुनरीक्षण समिति द्वारा किया जाएगा।

(XI) **सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा दी गई डिग्रियों या डिप्लोमा को मान्यता देना (विवरण का पैरा 17)**

समिति का विचार था कि सम्बन्धित राज्य सरकारों से मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गये निर्णय के अनुसरण में विद्यमान नियमों में संशोधन करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध किया जाए। यह स्वीकार किया गया कि राज्य सरकारों से प्राप्त आगे की सूचना को देखते हुए समिति की अगली बैठक द्वारा स्थिति का पुनरीक्षण किया जा सकता है।

(XII) **विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम (विवरण का पैरा 18)**

इस मद पर समिति की बाद की बैठक में विचार किया जाएगा।

(XIII) **अन्य राज्यों से एक तिहाई जजों की नियुक्ति**

अध्यक्ष ने समिति को सूचित किया कि उन्होने इस विषय पर सभी मुख्य मंत्रियों को 23 सितम्बर, 1961 को लिखा था लेकिन अन्तिम उत्तर केवल उड़ीसा से ही प्राप्त हुआ है। कुछ बहस के बाद यह स्वीकार किया गया कि मामले को शीघ्र निपटाने के लिए मुख्य मंत्री अपने मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकते हैं।

(XIV) **नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन**

अध्यक्ष ने समिति को सूचित किया कि इंजीनियरी, वन और स्वास्थ्य की अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने के लिए योजनांए तैयार की गई है और इन्हें शीघ्र ही राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियों के लिये भेजा जाएगा। अध्यक्ष ने आशा व्यक्त की कि राज्य सरकारें इन योजनाओं पर शीघ्र विचार करेंगी ताकि अनुचित देरी किये बगैर संसद में एक विधेयक पेश करने की आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

5. **कार्य–सूची की मद संख्या 4** : समिति के कार्य का विस्तार क्षेत्र

यह तय हुआ कि समिति, भाषाई अल्पसंख्यकों को दिए गए सुरक्षणों सहित, राष्ट्रीय एकता से संबंधित सभी मामलों को निपटायेगी।